खण्ड-141, अंक-1
शनिवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(18 सितम्बर, 1954 ई0)

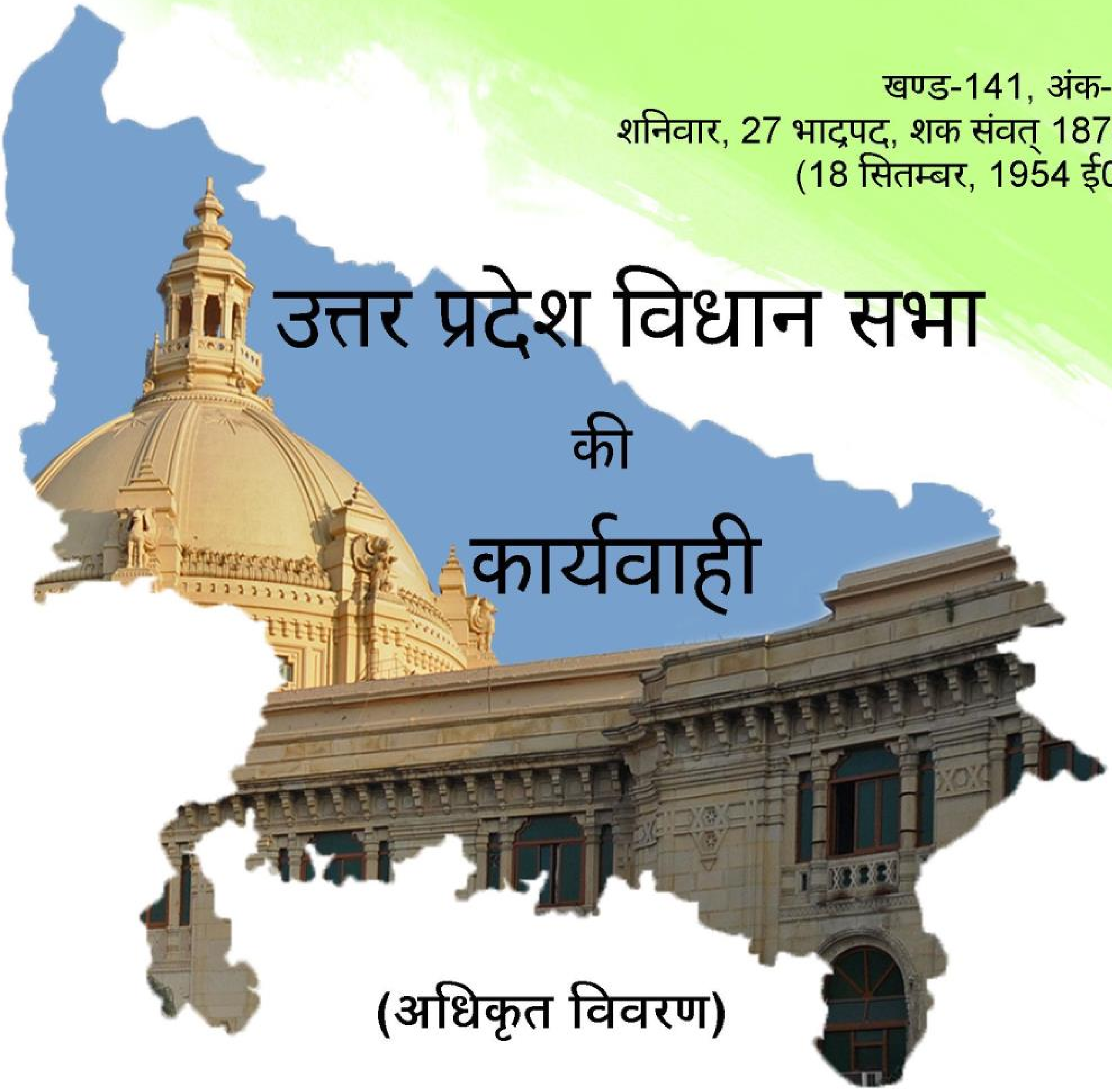

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८६)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द काछी, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
छेदालाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री

जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री

मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री

शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ में नये संशोधन रखने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता था। वह यह कि जो अमेंडमेंट माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य की तरफ से एजेंडे में चढ़े हुए हैं, उस स्कीम के मुताबिक सारे अधिवासी आटोमेटिकली सीरदार होने वाले हैं, अगर वह यहां से मंजूर हो गये तो अब तक जो इसके अन्दर कुछ धारायें हैं उनके मुताबिक हम अधिवासियों का जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट में करने जा रहे थे। लेकिन सब सीरदार अगर होने वाले हैं तो विचार यह था कि सब सीरदारों का जुरिस्डिक्शन.....

श्री अध्यक्ष---आप चाहते क्या हैं वह पहले बता दीजिये।

श्री चरणसिंह---वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि चूंकि इस समय जल्दी थी और यह था कि जल्दी से जल्दी यह बिल ऐक्ट बन जाय तो इरादा यह था कि एक छोटा-सा बिल तीन चार महीने के बाद जो अगला बजट का सेशन हो, तब लाया जाय। लेकिन मैं अब समझता हूं क्योंकि दो दिन का मौका मिला है तो वह कोई सबस्टेंस की बात तो है नहीं। केवल ड्राफ्टिंग में देर हो रही थी इस वजह से नहीं ला रहे थे। लेकिन जैसे बार-बार बिल लाना और लोगों को अच्छा नहीं लगता वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां लफ्ज अधिवासी और शिकमी आया है वहां सीरदार जोड़ देना चाहिये। इसके लिये कुछ अमेंड्मेंट्स और कुछ कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उनके छपने में कुछ देर है।

कल दोपहर तक शायद वह तैयार हो जायेंगे और उसकी कापियां बंटवा दी जायंगी। तो मैं यही चाहता था कि पहले से इत्तिला हो जाय, जिसमें किसी को उसकी शिकायत न हो।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जब आपका इरादा तीन चार महीने में दूसरा बिल लाने का था तब तो यही ठीक होगा कि अगर आपस में एकोमोडेशन की भावना रहे और आप दूसरों से बात कर लें, और किसी को विरोध न हो तब तो आप नये संशोधन ले आयें वरना जब आप तीन चार महीने उन संशोधनों के लिये ठहर ही सकते हैं तो जितने एजेंडे पर चढ़े हुए संशोधन हैं उन्हीं के साथ जो कुछ कांसक्वेंशल संशोधन हो सकते हैं उन्हीं को लाकर सोमवार को हमें विधेयक खत्म करना चाहिये, क्योंकि इतना भी कार्य बहुत काफी है जिसके लिये मैं नहीं समझता कि दो रोज समय मिल जाने से कोई बहुत काफी समय मिल गया है। वह इसलिये नहीं मिला है कि यद्यपि कल विधेयक समाप्त हो सकता था तथापि सदन ने एक दो दिन फालतू दिन उसी कार्य के लिये दिये हों, बल्कि यह अधिक समय इसलिये मिला है कि कल कार्य समाप्त नहीं हो पा रहा था। लाचारी की वजह से ये दो दिन मिले हैं और जितना बाकी है वह बहुत काफी है। तो जब एक दफा यह तय हो गया तो अगर कुछ संशोधन ऐड हो जाते हैं तो तस्फिये से छुटकने का भी सवाल पैदा हो सकता है। अगर कुछ एडीशंस होते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जो समझौता कल किया था, वह समझौता खत्म हो गया है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसके बारे में आप दोपहर में विरोधी दल से बातचीत कर लें और अगर वह इसे मंजूर कर लें तो आप नये संशोधन ले आयें। जैसा आप कहते हैं शायद उनके इन्टरेस्ट में वे हो सकते हैं और शायद उन्हें कोई आपत्ति न हो कि वे संशोधन लाये जायं। लेकिन अगर उनको कोई आपत्ति होगी तो मैं उचित नहीं समझूंगा कि इस वक्त वे संशोधन लाए जायं।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा बहुत ही अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप ही इसे उचित नहीं समझते हैं तो मुझे बहुत कम उम्मेद है कि दूसरे इसे उचित समझेंगे। मुझे अंदेशा है और मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है। मैं इसको बेहतर समझूंगा कि दूसरा बिल ले आऊं बजाय इसके कि मैं उनके पास जाऊं और फिर कोई बात हो और अटक जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रात नहीं हो पा रहा था यह ठीक है। लेकिन जैसा कि हाउस तय कर चुका था वह दो घंटे में तय हो जाता। रात को कम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं था, बल्कि मैंने तो आपके कहने पर सरेण्डर किया था। अब उसे आप चाहे कम्प्रोमाइज कहें चाहे कुछ कहें। वे दो रोज के लिये कह रहे थे और मैं एक रोज के लिये कह रहा था। आपने कहा कि अपोजीशन की बात कौन नहीं मानेगा। इसलिये मैंने मान लिया। कम्प्रोमाइज तो यह होता कि वह दो हफ्ते मांगते होते और मैं एक दिन के लिये कहता होता और फिर दो दिन के लिये तय हो जाता। लेकिन उन्होंने दो दिन मांगे और वही तय हो गया बावजूद इसके कि मुझे बड़ी कठिनाई पड़ी और कुछ तय नहीं हुआ था कि इसमें कोई नयी चीज नहीं आ सकती है। यह कोई नयी चीज है भी नहीं। लेकिन जब आपका यह खयाल है तो मैं क्या अर्ज करूं। आपका इंटरपिटीशन सही है। मुझे अफसोस है कि इसे आप कम्प्रोमाइज कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—बात तो यह है कि मैंने बहुत डिगनीफाइड तरीके से बात को रखा जिसमें मैंने आपको विरोधीदल के बराबरी के लेविल पर रखा लेकिन आप उसको अपनी ओर से सरेंडर कहते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। खैर, जो शब्द आप प्रयोग में लाना चाहें ला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो ख्वाहिश आपने जाहिर की थी उसको पूरा करने के लिये ही मैंने यह सुझाव दिया था। सदन का समय व्यर्थ न जाय यह बात उसमें गर्भित है। अगर आपको उनसे बात करने का तलब तजुर्बा है तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सदन का समय व्यर्थ न जाय इसलिये इस बात को यहां इसी समय उठाना ठीक नहीं होगा। मैं बाद में बात कर लूंगा और आपकी बात मान्य होना सम्भव

[श्री अध्यक्ष]

हुआ तो मैं आपको इत्तिला दे दूंगा और अगर नहीं हुआ तो भी मैं आप से कह दूंगा और उस हालत में आप ३-४ महीने बाद दूसरा बिल ला सकते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी जी के उठने पर)

श्री अध्यक्ष---मैंने फैसला दे दिया है अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, बार-बार मंत्री जी ने ऐसी बात कही है लेकिन हम तो उनकी हर रीजनेबिल बात मानने के लिये तैयार रहते हैं और मानते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---हम लोग स्पीकर साहब के ऊपर ही छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं जज होने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कभी कोई रीजनेबिल होता है और कभी कोई और होता है। यह तो चलता ही रहता है।

*उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४-(क्रमागत)

खण्ड २२-ख

२२-ख-मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"१७१---यदि कोई पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व का उत्तराधिकार धारा १६९ और १७३ के निदेशों को बाधित न करते हुए निम्नलिखित क्रम से होगा :---

(क) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज (male lineal descendants in the male line of descent) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता के पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृत पुत्र को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) विधवा पत्नी।

(ग) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा पत्नी (Widow of male lineal descendants in the male line of descent)।

(घ) पिता।

(ङ) माता जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

(च) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र।

(छ) पुत्री।

(ज) नवासा (Daughter's son)।

(झ) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता के पुत्र का पुत्र।

(ञ) पितामह (Father's father)।

(ट) पितामही (Father's mother) जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(ठ) पुत्र की पुत्री।
(ड) बहिन।]
(ढ) बहिन का पुत्र।
(ण) सौतेली बहिनें।
(त) भाई के पुत्र का पुत्र।
(थ) पितामह का पुत्र।
(द) पितामह का पौत्र।"

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की धारा (ण) में शब्द "सौतेली बहिन" के स्थान पर शब्द "सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह केवल स्पष्टीकरण के लिये ही मैंने संशोधन रखा है हाफ सिस्टर के मतलब अंग्रेजी में तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सौतेली बहिन उसको कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की कोई स्त्री है उससे एक लड़की पैदा हुयी और वह स्त्री कहीं और चली गयी। फिर बाद में उसने रि-मैरेज कर ली और दूसरी लड़की पैदा हुयी तो भी सौतेली बहिन हो जाती है मां से।

श्री अध्यक्ष---लेकिन दोनों के लिये अंग्रेजी भाषा में भी ऐसा ही होता है, यह आप न सोचिये कि अंग्रेजी में नहीं होता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसका मतलब यह है कि एक पुरुष की एक स्त्री है, उस से लड़की हुयी, फिर दूसरी स्त्री से हुयी, तो वह दोनों सौतेली बहिन हैं। इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिये ताकि यह भ्रम न हो कि सौतेली बहिन एक माता से पैदा होने से भी बन जाती है, इसको स्पष्ट कर दिया गया। मुझे आशा है कि यह स्वीकार होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---मुझे इसमें एक संशोधन करना था। अगर इसमें जहां अंग्रेजी में 'हाफ सिस्टर' लिखा है, उसके स्थान पर 'स्टेप सिस्टर' रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---(श्री चरण सिंह से) आपको स्वीकार है ?

श्री चरणसिंह---जी, अंग्रेजी में उसके लिये "हाफ सिस्टर" ही आता है। हाफ सिस्टर के माने ही यह हैं कि फादर एक हो, मदर दो हो सकती हैं। हिन्दी में सौतेली बहिन में वह बहिन भी आती हैं जबकि मदर एक हो और फादर दो हों। जहां तक "स्टेप सिस्टर" रखने की बात है तो अंग्रेजी में "स्टेप सिस्टर" नहीं होती, "स्टेप मदर" होती है। इसलिये यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (ण) में शब्द "सौतेली बहिनें" के स्थान पर शब्द "सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि इससे पहले एक संशोधन है ७७-ग, तो मैं चाहता था कि इस संशोधन में जो 'सौतेली बहिन' है वह "बहिन के पुत्र" के पहले आ जाय तो उस संशोधन को पेश करने की इजाजत दे दी जाय, अगर मेरी

[श्री चरणसिंह]

तरफ से नहीं तो उन दोस्तों की तरफ से। यह संशोधन जल्दी में निकल गया। माननीय अतहर हुसेन साहब खड़े नहीं हो पाये। मेरी गलती हो गयी, यह पेश हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—किसी को आपत्ति तो नहीं है ? अगर किसी को आपत्ति हो तो मैं उसको नहीं लूंगा पास आन करूंगा, अगर आपत्ति नहीं है तो ले लूंगा।

श्री राजनारायण—तो फिर हरि प्रसाद जी का संशोधन ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हरि प्रसाद जी का बाद में है। तो इसको ले लिया जाय ?

श्री राजनारायण—ठीक है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, इस अमेंडमेंट के अल्फाज यह हैं—

खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (ढ) और (ण) निम्नप्रकार से रख दी जायं —

(ढ) सौतेली बहिन।

(ण) बहिन का पुत्र।"

मैं समझता हूं कि इस पर खास रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। अगर सदन समझे कि यह संशोधन मंजूर है और इक्वीटी डिमांड करती है कि इस तरीके से हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे मंजूर कर लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया और 'सौतेली बहन जो मृतक की पुत्री हो' इतना इसमें जुड़ गया। लेकिन जो अब माननीय अतहर साहब ने रखा है उसमें अकेले उन्होंने सौतेली बहन रखा है। तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। मेरे विचार से (ढ) जो अब नया बनाया जा रहा है वह इस प्रकार हो 'सौतेली बहन जो मृतक के पिता की पुत्री हो।' इस तरह से कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री चरणसिंह—जी हां, वह ठीक ही है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर (ढ) (ण) हो जायगा क्योंकि (ण) (ढ) हो जायगा।

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (ढ) और (ण) निम्नप्रकार से रख दी जांय।

(ढ) बहिन का पुत्र।

(ण) सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"(घ) यदि एक भाई और दूसरे भाई का लड़का मौजूद है तो चाचा और भतीजे दोनों को बराबर हक मिलना चाहिये।"

माननीय राजस्व मंत्री ने धारा १७१ में इतने लोगों को हक दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी के तीन लड़के हैं जिनमें दो भाई मर जाते हैं और मरे हुये दोनों भाई अपना एक-एक लड़का छोड़ गये हैं। तो मौजूदा कानून में उन दोनों मरे हुए भाइयों के जो एक-एक लड़का है उनमें से एक मर जाता है तो चाचा के भतीजे को नहीं मिलता है, बल्कि मरे हुए लड़के का हक चाचा को मिल जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर चाचा का भाई मौजूद होता और तीसरे भाई का लड़का अगर मौजूद होता तो दोनों को बराबर हक मिलता लेकिन उस लड़के के मरने के बाद भतीजे को न मिल कर चाचा को मिल जाता है। यह कितना बड़ा अनर्थ है, क्योंकि जब दोनों भाइयों को मिलता है तो भतीजे को क्यों नहीं हक मिलना चाहिये। मैं इसलिये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह धारा उसमें जोड़ दी जाय।

दूसरा मैंने कल आपके सामने एक प्रस्ताव पेश किया था।

श्री अध्यक्ष—वह तो नहीं आ सकता।

श्री हरि प्रसाद—उसका जिक्र नहीं कर सकता ?

श्री अध्यक्ष—जिक्र आप कर सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद—उसमें यह था कि दो भाई हैं। एक के लड़का है और दूसरे के लड़की है। लेकिन इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है, अच्छा बरताव नहीं है। खाना पीना साथ नहीं है। सब अलग-अलग अपना-अपना काम करते हैं। जब उनके मां बाप के हाथ पैर में ताकत नहीं रही तो लड़की ही उनका पालन-पोषण करती है। तो क्या वजह है कि मां-बाप के मरने के बाद लड़की को हक क्यों नहीं मिलना चाहिये, जबकि दूसरे भाइयों का उसके साथ बरताव अच्छा नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस लड़की को जरूर हक मिलना चाहिये।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बाद की बात नहीं समझा कि लड़की कहां से आ गयी ?

श्री अध्यक्ष—पहले का संशोधन था। जो खंड स्वीकृत हो गया उसका जिक्र है।

श्री चरणसिंह—अब तो संशोधन यह है कि एक भाई अगर जिन्दा हो और दूसरे भाई का लड़का हो तो दोनों को बराबर-बराबर हक मिले तो ऐसा हो ही रहा है। लेकिन अगर आपके संशोधन का मंशा दूसरा है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक शख्स मर गया उसके दो लड़के थे। एक लड़का उस मृतक के सामने ही मर गया। एक लड़का रह गया और पोता रह गया। पहले लड़के का लड़का और खुद अपना लड़का, पुत्र और पौत्र रह गया। अब तो दोनों को बराबर हक मिलेगा अगर यही मंशा है तो वह पूरा ही हो रहा है। लेकिन जिस तरह से माननीय मित्र ने शब्द रखे हैं उसका मतलब यह हो सकता है कि दो लड़कों में से जो एक लड़का मर गया उसके सात लड़के हैं। दूसरा एक लड़का बैठा है और सात पौत्र हो गये। तो आपके संशोधन का मतलब यह है कि १/८ भाग सब को मिले।

श्री हरिप्रसाद—ऐसा मंशा नहीं है।

श्री चरणसिंह—अगर आप यह चाहते हैं कि उनके पिता का ही हक उनको मिले, तब तो पहले से ही मौजूद है। ए मर गया। बी, सी लड़के थे। सी ए से भी पहले मर गया। सी का लड़का डी है। तो बी और डी को बराबर-बराबर मिलेगा। यह पहले से मौजूद है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृत पुत्र को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।"

[श्री चरण सिंह]

यानी जो उनके पुत्र का हक होता वही हक उनके पोते का होगा। अगर यही मंशा है तो वह पूरी हो रही है। लेकिन जो शब्द आपके हैं उसमें यह भी हो सकता है कि मृतक का भाई हो और एक मृतक का भतीजा हो उनको बराबर-बराबर मिले। ऐसा इसमें नहीं है बल्कि यह है कि नियरर एक्सक्लूड्स रिमोटर हिन्दू ला और गालिबन और कानूनों में भी यही है। लेकिन दूसरा भाई जो मर गया और उसका लड़का है, उसको नहीं मिलेगा।

श्री हरिप्रसाद---अगर ऐसा है तो उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२-ख इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२-ग

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७२ का संशोधन।

२२-ग---मूल अधिनियम की धारा १७२ में :

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(१) जब किसी भूमिधर, सीरदार अथवा असामी ने किसी खाते में, निहित होने के दिनांक के पश्चात् स्वत्व दाय रूप से---

(क) विधवा पत्नी, माता अथवा पिता की माता होने के नाते प्राप्त किया हो, और वह मर जाय, विवाह कर ले, खाते को अथवा उसके किसी भाग को परित्यक्त अथवा समर्पित कर दे, अथवा

(ख) पुत्री अथवा बहिन अथवा भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (half sister) होने के नाते प्राप्त किया हो और वह मर जाय अथवा खाते को अथवा उसके किसी भाग को परित्यक्त अथवा समर्पित कर दे तो खाता अथवा उसका भाग पिता के पिता के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न अंतिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार अथवा असामी के निकटतम अतिजीवी (Surviving) उत्तराधिकारी को दाय रूप में प्राप्त होगा। (और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।)

(२) उपधारा (२) में---

(क) शब्द "सौतेली बहिन" के स्थान पर शब्द "भिन्न पिता या माता से उत्पन्न बहिन" रख दिया जाय।

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(ख) मर जाय, परित्याग कर दे अथवा समर्पित कर दे तथा विधवा पत्नी, माता, पिता की माता की दशा में पुनर्विवाह कर ले।

और ऐसे भूमिधर अथवा सीरदार के अधिकार में खंड (क) में अभिदिष्ट मध्यवर्ती अथवा काश्तकार से भिन्न रूप में उक्त दिनांक से ठीक पहले खाता था, तो पितामह के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न अन्तिम पुंजातीय काश्तकार के निकटतम अतिजीवी उत्तराधिकारी को खाता दायरूप में प्राप्त होगा।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२—ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "विधवा पत्नी, माता अथवा पिता की माता,, के स्थान पर शब्द 'विधवा पत्नी' पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent), माता अथवा पितामही (father's mother)" रख दिये जाय।

मेरे संशोधन का केवल इतना ही आशय है जिस प्रकार कि हमने उत्तराधिकार १७१ में निश्चित किया है उसमें जो लोग बढ़ाये गये हैं उनको यहां रखना जरूरी था और उसके अनुकूल ही इसमें संशोधन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२-ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "विधवा पत्नी, माता अथवा पिता की माता" के स्थान पर शब्द "विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent), माता अथवा पितामही (father's mother)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "पुत्री अथवा बहिन अथवा भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (half sister)" के स्थान पर शब्द "पुत्री, पुत्र की पुत्री, बहिन अथवा सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री" हो, रख दिये जायं।

यह भी इसी तरह का एक कंसिक्वेंशनल अमेंडमेंट है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इसमें पहले से कुछ अन्तर मालूम होता है। पुत्र की पुत्री पहले नहीं था लिहाजा यह शाब्दिक संशोधन नहीं है। माननीय मौर्य जी ने इस पर कतई प्रकाश नहीं डाला। हमारे सामने जो विधेयक था उसमें पुत्र की पुत्री को स्थान नहीं दिया गया था। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस संशोधन को जरा स्पष्ट कर दें।

श्री चरणसिंह—जैसा कि मौर्य जी ने कहा कांसिक्वेशनल इस मानी में है कि १७१में हमने सिलेक्ट कमेटी में पुत्र की पुत्री को अख्तियार दिया, जो पहले नहीं था। जब १७१ में दिया गया है तो १७२ में भी आना जरूरी था। पहले तो जिक्र हुआ नहीं था। फिर सौतेली बहिन भी नहीं थी, अब वह भी है। इसलिये यह कांसिक्वेशनल है।

श्री राजनारायण—निवेदन के लिये कह रहा हूं कि जैसा हिन्दू ला और पर्सनल ला है उस ढंग से चला जाय तो क्या दिक्कत हो जाती ?

श्री चरणसिंह—यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन पूरे हिन्दू ला पर अमल नहीं किया। हिन्दू ला में पहले डाटर को मिलता है और भाई को मिलता है। यहां पहले भाई को रक्खा गया है। एक दो चेंजेज हैं। प्योर हिन्दू ला की तरह नहीं है। पर्सनल ला रखने से जो और इंसीडेंट्स् हैं, वे भी आ सकते हैं। सब लोगों के लिये हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि के लिये रक्खा गया है। बहुत डिसकशन के बाद लोगों ने इसे मंजूर किया था।

यह भी अर्ज कर दूं कि यह सक्सेशन का मामला ऐसा है कि कौन पहले आये और कौन पीछे आए इस पर एक बहुत लम्बी बहस हो सकती है क्योंकि आरगुमेंट हर एक के हक में दिये जा सकते हैं। लेकिन यह सेलेक्ट कमेटी में काफी वादविवाद के बाद मंजूर हुये थे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२-ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "पुत्री अथवा बहिन अथवा भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (Half

[श्री अध्यक्ष]

sister)" के स्थान पर शब्द "पुत्री, पुत्र की पुत्री, बहिन अथवा सौतेली बहिन (Half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) में खंड (ख) के बाद आये हुये शब्द 'पिता के पिता के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न" निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "पिता के पिता के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न यानी पिता का पिता औरों की कैटेगरी में रख दिया गया है, यानी पिता का पिता मरे तब उसका वारिश न हो, जैसा कि औरतों के लिये होता है, इस जगह यह ठीक नहीं बैठता था, इसलिये यहां से इसको निकाल दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२-ग के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) में खंड (ख) के बाद आये हुये शब्द "पिता के पिता के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड २२-ग के उपखंड (२) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"(क) शब्द 'विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन' के स्थान पर शब्द 'विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent) माता, पत्री, पितामही (father's mother), पुत्र की पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन (Half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो' रख दिये जायं ।"

यह एक कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट है जो कि यहां पर रख दिया गया है । इसमें और कोई खास बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२-ग के उपखंड (२) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"(क) शब्द 'विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन' के स्थान पर शब्द 'विधवा पत्नी', पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent), माता, पुत्री, पितामही (father's mother), पुत्र की पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन (Half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हों' रख दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-ग के उपखंड (२) की मद (ख) में प्रस्तावित खंड (ख) की पंक्ति २ में शब्द "विधवा पत्नी" और "माता" के बीच में शब्द "पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent)" रख दिये जांय, तथा शब्द "पिता की माता" के स्थान पर शब्द "पितामही (father's mother)" रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल कांसिक्वेन्शियल अमेंडमेंट है । मुझे आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२–ग के उपखंड (१) की मद (ख) में प्रस्तावित खंड (ख) की पंक्ति २ में शब्द "विधवा पत्नी" और "माता" के बीच में शब्द "पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent)" रख दिये जायं तथा शब्द "पिता की माता" के स्थान पर शब्द "पितामही (father's mother)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२–ग के उपखंड (२) की मद (ख) में प्रस्तावित खंड (ख) की पंक्ति ६ में से शब्द "पितामह के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह उसमें से निकाल दिया गया है, उसी के लिये यह संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२–ग के उपखंड (२) की मद (ख) में प्रस्तावित खंड (ख) की पंक्ति ६ में से शब्द "पितामह के रूप में दायाधिकार प्राप्त करने वाले से भिन्न" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२-ग इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२-घ

२२-घ—मूल अधिनियम की धारा १७२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं को १७२–क और १७२–ख के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १७२–क और १७२–ख का बढ़ाया जाना।

"१७२–क—उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा धारा १७१ की उपधारा (१) अथवा धारा १७२ में किये गये संशोधन की कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगी:—

(क) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उत्पन्न अथवा उपगत (accured or incurred) किसी अधिकार अथवा उत्तरदायित्व पर, अथवा

(ख) किसी स्वत्व पर जो किसी व्यक्ति में उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निहित हो चुका हो।

धारा १७१ तथा १७२ में किये गये संशोधन कुछ विषयों में लागू नहीं होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई अधिकार अथवा स्वत्व अविवाहिता पुत्री अथवा अविवाहिता बहिन के पक्ष में उत्पन्न अथवा निहित हो चुका हो, ऐसी अविवाहिता पुत्री अथवा अविवाहिता बहिन जीवित हो और उक्त दिनांक तक अविवाहिता रहे तो वह धारा १७१ और १७२ में संशोधन से पूर्व किसी भी बात के होते हुये भी ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व की अधिकारिणी रहेगी मानों उक्त धाराओं में किये गये संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रभावशील थे।

१७२–ख—यदि कोई ऐसा सीरदार या अधिवासी जिसने किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, माता, पुत्री, पितामही (fathers mother),

बहिन, भिन्न माता या पिता से उत्पन्न बहिन (half sister) या पितामह के नाते उत्तराधिकार में पाया हो, ऐसी भूमि में धारा १३४ या २३५ के अधीन भूमिधर के अधिकार उपार्जित करले, तो इस प्रकार उपार्जित अधिकारों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे धारा १७२ तथा १७३ के अधीन उत्तराधिकार के प्रयोजनों के निमित्त यथास्थिति अंतिम पुंजातीय सीरदार या अधिवासी के खाते के परिवर्धित अधिकार (accession to holding) हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-घ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"२२-घ---मूल अधिनियम की धारा १७२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १७२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"१७२-क-यदि कोई ऐसा सीरदार या अधिवासी जिसने किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent) माता, पुत्री, पितामही (father's mother) पुत्र की पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो, के नाते उत्तराधिकार में पाया हो, ऐसी भूमि में धारा १३४ या २३५ के अधीन भूमिधर के अधिकार उपार्जित करलें, तो इस प्रकार उपार्जित अधिकारों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे धारा १७२ के अधीन उत्तराधिकार के प्रयोजनों के निमित्त अंतिम पुंजातीय स्वत्व रखने वाले व्यक्ति (last male holder) के खाते के परिवर्द्धित अधिकार (accession) है।"

यह अध्यक्ष महोदय विधेयक की जिस तरह से शब्दावली रखी गयी है उसमें ही परिवर्तन करके यह रखा गया है क्योंकि इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । पहले बताया गया था कि अगर ऐसी विधवा स्त्री या जो भी हो, वह अगर भूमिधर हक प्राप्त करले तो वह इसी प्रापर्टी का जुज समझा जायगा तो ठीक कर दिया गया है । आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-घ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"२२-घ---मूल अधिनियम की धारा १७२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १७२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय ---

"१७२-क---यदि कोई ऐसा सीरदार या अधिवासी जिसने किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent), माता, पुत्री, पितामही (father's mother), पुत्र की पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन (half sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो, के नाते उत्तराधिकार में पाया हो, ऐसी भूमि में धारा १३४ या २३५ के अधीन भूमिधर के अधिकार उपार्जित करलें, तो इस प्रकार उपार्जित अधिकारों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे धारा १७२ के अधीन उत्तराधिकार के प्रयोजनों के निमित्त अंतिम पुंजातीय स्वत्व रखने वाले व्यक्ति (last male holder) के खाते के परिवर्द्धित अधिकार (accession) है"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह जो खंड २२-ख के द्वारा १७२-क को बढ़ाया जा रहा है उसमें जो उपधारा (१) का जिक्र किया गया है, यह कहां है ?

श्री अध्यक्ष—उसको तो वह पेश ही नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—वही मैं कहता हूं कि जब पेश नहीं कर रहे हैं तो उपधारा (१) मूल अधिनियम में है कहां?

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो वे नहीं पेश कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२-घ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड २२-ङ

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-घ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २२-ङ के रूप में रख दिया जाय—

"२२-ङ—मूल अधिनियम की धारा १७३ निकाल दी जाय।"

धारा १७३ में पितामह के लिये भी उसी तरह से विरासत कायम की गयी थी जिस तरह से औरतों के लिये है। तो जिस तरह से पहली दो जगहों से पिता को निकाल दिया गया है उसी तरह से यहां से भी निकालना जरूरी था। इसीलिये मूल अधिनियम से धारा १७३ को निकाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यह अनुचित ही होगा।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम है उसकी धारा १७३ में यह कहा गया है

"यदि कोई भूमिधर सीरदार या असामी, जिसको निहित होने के दिनांक से पहले या बाद किसी खाते में कोई स्वत्व पितामह के रूप में उत्तराधिकार में मिला हो मर जाय या ऐसे खाते का या उसके भाग का परित्याग या समर्पण कर दे (abandons or surrenders) तो ऐसा खाता या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अंतिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार या असामी के, जिससे ऐसे पितामह ने खाते में स्वत्व का उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा" यह १७१ भी पहली धारा थी और उसके बावजूद भी १७३ की आवश्यकता हुई और इस समय भी १७१ जैसा है वैसा है ही। मैं समझता हूं कि इस से उलझ पैदा हो सकती है और उस को स्पष्ट करने के लिये ही १७३ धारा रखी गयी है। अब पितामह ने कोई जमीन हासिल कर ली तो उसका अधिकार किस तरह से निश्चित किया जायगा। मुकदमेबाजी न हो और जिस तरह से १७१ की व्यवस्था है उसी तरह से मिल सके, इसलिये मैं समझता हूं कि इस का रहना जरूरी है। मौर्य जी ने भले ही समझा हो कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको रखने की जरूरत है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय, गेंदा सिंह जी ने १७१ तो पढ़कर सुना ही दी। उसका अर्थ यह है कि अगर पितामह को विरासत में जायदाद मिली है तो उसने जिससे जायदाद पाई है तो उसकी १७३ के अनुसार विरासत मुकर्रर होगी और अगर पुरुष मर गया और स्त्री को जायदाद मिली और उसके मरने के बाद १७१ के अनुसार उस पुरुष को विरासत मिल गई होगी, यानी स्त्री के मरने या उस के दोबारा शादी करने के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

उस की विरासत उस जायदाद के बारे में १७१ के अनुसार निश्चित होगी और अगर कोई मर्द वारिस होता है जैसे लड़का, पुरुष वारिस होगा तो उसकी विरासत चलेगी लेकिन अगर विरासत पितामह को मिली है तो वह मर्द है उस के वारिस को १७१ के मुताबिक नहीं मिलेगी बल्कि पोते से पाई है तो उसको वारिस बनाया जायगा जैसे औरतों में १७१ के मुताबिक लास्ट मेल होल्डर से चलता है उसी तरह से पितामह के मामले में होगा जैसे औरत के मामले में है, पितामह खुद मेल है उस को वारिस होना चाहिये। इसी ख्याल से पितामह को पहले निकाला गया। १७३ में यही बात रखी गई है कि अगर पितामह को जायदाद मिली हो तो बजाय इसके कि पितामह के वारिस को मिले उस में रख दिया गया है कि "ऐसे खाते या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अंतिम पुंजातीय भूमिधर सीरदार या असामी के, जिस से ऐसे पितामह के खाते में स्वत्व का उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।" यानी इस में भी लिख दिया गया है कि जिसके पितामह से मिला उसका वारिस नहीं बल्कि पितामह का जो खुद का वारिस होगा उस से विरासत मिलेगी।

श्री राजनारायण---पितामह ने जिस से पाया हो वहां क्यों नहीं जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पितामह ने जिस लास्ट मेल होल्डर से पायी, अब जब पितामह मरेगा तो जिनको यह जमीन उस पितामह का वारिस कौन है और उसका वारिस जैसा कि मरदों का १७१ में वारिस दिखाया जाता है उसी तरह दिखाया जाना चाहिये कि उसका वारिस कौन है लेकिन १७३ के रहते हुये मौजूदा हालत यह है कि अगर किसी व्यक्ति से जायदाद पितामह को मिल गई तो १७१ के मुताबिक उसकी विरासत कौन पायेगा। उसको किस तरह से देखा जायगा यही सवाल है कि आया पितामह के मरने पर यह विरासत से ली जाय या जिस व्यक्ति से पितामह ने पायी थी उसके वारिस को जाय। पितामह वारिस हो गया, लेकिन पितामह जब मर गया तो उसके बाद उसके यानी पितामह के वारिस को जाय या जैसा कि औरतों के मरने पर जिससे औरत ने पाया था उसके वारिस को जायदाद लौटायी जाती थी, उस औरत के रूप में पितामह को रखा जाय या पितामह के लिये जैसे और मरदों का चलता है उसी तरह से उसकी भी विरासत चले। इस संशोधन का यही मतलब है कि पितामह अगर पा गया विरासत में तो फिर पितामह के मरने पर जो वारिस होगा वह अब पितामह का वारिस चलेगा और १७१ के मुताबिक पितामह का वारिसउसी तरह से होगा जैसे कि और मरदों का होता है न कि उसको औरतों की तरह समझकर जैसा कि औरतों के मामले में होता है कि जिससे औरत ने पाई थी उसकी विरासत चलती है उस तरह से विरासत चले। अब वैसी नहीं चलेगी। अब पितामह को औरत की कैटिगरी से निकालकर जैसे पुत्र पौत्रादिकों का चलता है जैसे पिता या भाई पाता है उनकी कैटेगरी में रख दिया है न कि माता या पुत्र की पुत्री या बहिन वगैरह जैसे पाती हैं। अब उस कैटेगरी से पितामह को निकाल दिया गया है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, जरा माननीय मौर्य जी उस पर रोशनी डाल दें कि १७३ में यह लिखा हुआ है---यदि कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसको निहित होने के दिनांक से पहले या बाद किसी खाते में कोई स्वत्व पितामह के रूप में उत्तराधिकार में मिला हो मर जाय या ऐसे खाते का या उसके भाग का परित्याग या समर्पण कर दे (abandons or surrenders) तो ऐसा खाता या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अंतिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार या असामी के जिससे ऐसे पितामह ने खाते में स्वत्वका उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा और ऐसा उत्तराधिकारी धारा १७१ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।तो इसमें यह है कि नई १७१ के हिसाब से जो पितामह के रूप में वारिस होगा उसकी विरासत में एक फैसला हो जायगा १७१ के मुताबिक लेकिन पितामह निहित होने के दिनांक से बाद का हो तो फिर क्या होगा और इसलिये अध्यक्ष महोदय यह बात थी। १७१ में यह बात स्पष्ट थी जो

हम बना रहे हैं "यदि कोई पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व का उत्तराधिकार धारा १६९ और १७३ के निदेशों को बाधित न करते हुये निम्नलिखित क्रम से होगा।" तो वह निहित होने के दिनांक से पहले पितामह महोदय को जो कुछ मिला उसके लिये कुछ गुंजायश ही नहीं है। उसके लिये क्या होगा।

श्री चरणसिंह---१७३ जिसमें हम निकाल रहे हैं उसमें विरासत दादा को चाहें जमींदारी विनाश अधिनियम से मिलती हो चाहे बाद में मिली हो दोनों के लिये लागू होता था। पहले पीछे का कोई सवाल नहीं है। एक मोटी सी बात यह है कि ला आफ इन्हेरिटेंस के मुताबिक जब मेल इंटरवीन करता है तो मेल टेक्स एज ए फुल ओनर। भाई को मिला तो भाई के वारिसों को जायदाद जायगी, चाचा को मिली तो चाचा के वारिसों को जायगी। लेकिन यहां दादा को मिलने वाली जायदाद जो है उसमें क्यों उसे फीमेल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इस बात की वजह मालूम करने की मैंने कोशिश की। लेकिन कोई खास बात नहीं पता चल सकी कि ऐसा क्यों हुआ। जो मौजूदा कानून है उसमें दादा का नम्बर पांचवां था और हमने दादा का नम्बर दसवां कर दिया है। अगर दादा को इस हिसाब से जायदाद मिलती है तो दादा के जो सक्सेसर्स हैं, उसके पुत्र या पौत्रादिक को उनकी जायदाद जायगी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-घ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २२-ङ के रूप में रख दिया जाय---

"२२-ङ---मूल अधिनियम की धारा १७३ निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-ङ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड २२-च

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :---

खंड २२-ङ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २२-च के रूप में रख दिया जाय---

"२२-च---मूल अधिनियम की धारायें १७८ से १८२ तक निकाल दी जायं।"

जिन धाराओं को निकालने का मेरा प्रस्ताव है वह निम्नलिखित हैं---

खाते का बटवारा

१७८---(१) उस दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गई है, यदि बंटवारे के किसी वाद में न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचे कि---

(क) बंटवारा किये जाने वाले खाते या खातों का कुछ क्षेत्रफल (Aggregate area) ६ १/४ एकड़ से अधिक नहीं है, या

(ख) बंटवारे का परिणाम यह होगा कि कोई खाता सवा छः एकड़ से कम का बन जायगा, तो खंड (क) में आने वाली दशाओं में खाते या खातों को बंटने की कार्यवाही करने के स्थान पर यह निदेश करेगा कि वे बेच दिये जायं और उसके विक्रय में मिला धन बांट दिया जाय, और खंड (ख) में आने वाली दशाओं में या तो वाद को खारिज कर देगा या खाते को ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, बांट देगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाए गए नियम उन परिस्थितियों को नियत करेंगे, जिनमें किसी सह खातेदार को खाते में उसके अंश के स्थान पर प्रतिकर दिया जा सके और ऐसे सह खातेदार को गांव सभा द्वारा धारा १९५ के निदेशों के अधीन भूमि उठाई जा सके।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(३) उस खातेदार के विषय में, जिसे धारा १५७ के निदेश लागू होते हों, और जिसने खाते में अपना अंश या उसका कोई भाग दूसरे को उठा दिया हो तथा ऐसे सह खातेदार के विषय में, जिसने इस अधिनियम के या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ के निदेशों के अधीन खाते के केवल एक अंश के सम्बन्ध में ही भूमिधरी अधिकार यथावत् प्राप्त किये हों, न्यायालय बांट कर उक्त अंश को अलग कर देगा, और शेष खाते के सम्बन्ध में, यदि उसे उस धारा के निदेश लागू होते हों, उक्त निदेशों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

बेचे जाने वाले खाते का मूल्यांकन।

१७९---यदि न्यायालय ने धारा १७८ के अधीन खाते या खातों के विक्रय की आज्ञा दी हो तो वह ऐसी रीति से, जो नियत की जाय आज्ञा के द्वारा उनका मूल्यांकन (valuation) करायेगा और फिर इस प्रकार निश्चित किये गये मूल्य पर उन सहखातेदारों से क्रयाधिकार के ऐसे तारतम्य (order of preference) के अनुसार, जो नियत किया जाय, मोल लेने को कहेगा।

क्रयाधिकार में तारतम्य

१८०---यदि दो या अधिक ऐसे सहखातेदार, जिन्हें तारतम्य के अनुसार बराबर या क्रयाधिकार हो, मोल लेने की अलग-अलग इच्छा प्रकट करें, तो न्यायालय उसे उनमें से ऐसे के हाथ बेचने की आज्ञा देगा, जो धारा १७९ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य से ऊपर सबसे अधिक मूल्य पर मोल लेने को तैयार हो।

धारा १८० के अधीन क्रय न करने पर विक्रय।

१८१---यदि कोई भी अंशधर (share holder) धारा २७९ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य या उससे अधिक पर मोल लेने को तैयार न हो तो न्यायालय उसे ऐसे अंशधर के हाथ बेच दिये जाने की आज्ञा देगा, जो सब से अधिक मूल्य देने को तैयार हो।

विक्रय की प्रक्रिया

१८२---उस दशा को छोड़कर, जिसके विषय में इससे पहले व्यवस्था की गई है, यदि किसी खाते के सम्बन्ध में धारा १७८ के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार बेचने की आज्ञा दी गई हो तो न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इन धाराओं के जरिये सरकार ने पहले यह सोचा था कि भूमि की एक मिनिमम होल्डिंग मान ली जाय और उसके नीचे की होल्डिंग्ज को सरकार आज्ञा न दे कि वह विभाजित की जा सके तो यह प्रश्न एक बहुत ही वादविवाद का प्रश्न था। सरकार के सामने प्रश्न था और हम लोगों ने जोर दिया था कि इस किस्म का बन्धन न रखा जाय। यों तो अध्यक्ष महोदय, एक सरसरी निगाह से देखने से उचित सा मालूम होता है कि इकोनामिक होल्डिंग के लिए कोई क्षेत्रफल नियत कर दिया जाय और उसके नीचे बटवारा न किया जाय क्योंकि खाते छोटे टुकड़ों में हो जायंगे और ऐसी स्थिति में उपज की दृष्टि से भी मुनासिब न होगा। लेकिन हमारे प्रदेश की जो स्थिति है उसमें लगभग ७० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास दो-दो, तीन-तीन एकड़ से कम के खाते हैं। तो ऐसी हालत में तो फिर ३१/२ एकड़ कम से कम क्षेत्र के नीचे बटवारा न रखने की बात यह विरोधाभास होता है। यदि बटवारे में रुकावट डाली जाय तो एक हिस्सेदार को जमीन छोड़ देनी पड़ती है। ऐसी सूरत में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इस तरह से, एक तो वैसे ही हमारे यहां भूमिहीन लोग ज्यादा हैं, उनकी संख्या में और वृद्धि हो जावेगी और नतीजा यह होता है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्ति हमारे प्रदेश के न किसी भूतपूर्व जमींदार के, न काश्तकार के काम के होते हैं बल्कि वह गरीब अपना घर छोड़ करके शहरों में जाकर पूंजीपतियों के यहां नौकरी करते हैं और वहां भी नौकरी न मिलने पर निकम्मे हो जाते हैं। इसलिये छोटी से छोटी जोत का भी बटवारा कर देने में कोई हर्ज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीन में छोटी-छोटी हॉल्डिंग्ज हैं और जापान में १०० मन या १५० मन एक-एक एकड़ में पैदा किया जाता है और माननीय

राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में कई मर्तबा यह विचार प्रकट किया कि बड़े-बड़े फार्मों का युग नहीं है। अगर छोटे खाते लोगों को दे दिये जायं तो पूरे परिवार सहित कोशिश करके इस बात की कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उत्पन्न कर सकें। तो ऐसी स्थिति में बंटवारे का प्रतिबन्ध रखना ठीक नहीं मालूम होता। प्रस्तुत विधेयक के जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे इस संशोधन के कुछ अंश तक सहमत हैं कि अब मिनिमम होल्डिंग तीन सही एक बटे आठ होंगी। लेकिन इसी सरकार का दूसरा कानून चकबन्दी का है उसमें अपनी इच्छानुसार कोई भी बटवारा करा सकता है और जो माननीय मंत्री जी महोदय संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी अगर तीन सही एक बटे आठ से ऊपर जमीन हो तो ४, ५ साझेदार तक छोटे से छोटे टुकड़े करा सकते हैं। तो एक अजीब सी बात हो जाती है कि ३ १/८ पर तो एक जगह रुकावट डाली जाय और अगर ४ एकड़ किसी के पास हो जाय और उसके ८ लड़के हों और वह बटवारा कराना चाहें तो आधा आधा एकड़ ले लें ऐसा कर सकते हैं। यह एक बड़ा अव्यवस्थित सा कानून हो जाता है। चकबन्दी जो दस बारह जिलों में शुरू ही होने वाली है उसमें तो कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है कि चाहे आधा बिस्वा हो या एक बिस्वा हो वह भी टुकड़े टुकड़े हो सकती है और राजस्व मंत्री जी की योजना है कि सारे सूबे में चार पांच साल में चकबन्दी हो जाय। तो अगर कोई रुकावट उससे होती भी है तो वह सिर्फ चार पांच साल के लिये। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि लाखों की संख्या में भूमिहीनों की तादाद बढ़ जायगी क्योंकि बटवारा वह करा नहीं सकेंगे और उनको लाचार होकर अपने एक हिस्सेदार को अपनी जमीन दे देनी पड़ेगी। तो यह ऐसी समस्यायें हैं जिनको मैंने राजस्व मंत्री जी के सामने रखा और मुझे आशा है कि चूंकि राजस्व मंत्री जी स्वयं चकबन्दी विधेयक में इससे सहमत हैं तो यहां भी उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चरणसिंह—जो बातें माननीय रामनारायण जी ने कही हैं उनसे मैं बहुत हद तक सहमत हूं। जो उन्होंने चकबन्दी कानून के सिलसिले में कहा है वह बिल्कुल ठीक है। जो कानून इस वक्त है उसके अनुसार ऐसी कोई तकसीम नहीं होगी जिसमें कि एक हिस्सेदार को १० बीघे पुख्ता या सवा छः एकड़ से कम जमीन मिले और जब एक हिस्सेदार का हिस्सा सवा छः एकड़ से कम नहीं हो सकता तो सवा छः एकड़ से कम की तकसीम का सवाल ही कहां उठ सकता है। मान लीजिए १८ एकड़ एक शख्स के पास जमीन थी। उसके तीन लड़के हैं। तो आज के कानून के हिसाब से उस १८ एकड़ की भी तकसीम नहीं हो सकती। हमारे यहां बड़े खाते तो, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, कई बार जिक्र आ चुका है, एक फीसदी भी नहीं हैं। तो इस तरह से प्रायः सारे ही खातों की तकसीम रुक जाती थी। अब हमने जो संशोधन किया है वह यह है कि सवा छः एकड़ की जगह ३.१२५ एकड़ कर दिया जाय। अर्थात् ५ बीघे पोख्ता से बड़ा जो खाता है उसकी तकसीम हो जाय चाहे वह एक-एक ही एकड़ का हिस्सा क्यों न पड़े। और अगर ५ बीघे पोख्ता से कम का खाता हो तो उसकी तकसीम न हो। इसमें एक एनामली है। पांच एकड़ है। चार भाई हैं। तो उसकी तकसीम हो जायगी और सवा-सवा एकड़ एक-एक को मिल जायगा। लेकिन ढ़ाई एकड़ है और दो भाई हैं तो वह तकसीम नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक है। यह एनामली है इसमें। यह बात भी ठीक है कि चकबन्दी के कानून में हमने यह रखा है कि खाते के रकबे का बिना लिहाज किये, अगर हिस्सेदार अपने हिस्से की तकसीम चाहता है तो चकबन्दी के अफसरान उस तकसीम को कर दें। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जब उसमें तकसीम होना ही है तो इसे आप क्यों रोक रहे हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो जवाब में अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि इकानामिक होल्डिंग और अन-इकानामिक होल्डिंग का बड़ा टेढ़ा मसला है। इकानामिक होल्डिंग कौन सी होती है और कितना रकबा कम हो जाय तो अनइकानामिक होने लगती है, यह ऐसा प्रश्न है, जो आज तक तय नहीं हुआ। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, सर्कमस्टांसेज होती हैं जिन पर

[श्री चरण सिंह]

यह निर्भर करता है कि कितने रकबे का खाता या जोत किन परिस्थितियों में इकानामिक है या अनइकानामिक। अभी तक जो परिभाषा बड़ी मुश्किल से हो पायी है जिस पर कि अधिकतर लोग सहमत हैं वह यह है कि ऐसी होल्डिंग इकोनामिक मानी जायगी जिसमें कि एक किसान के घर पर जो लेबर रिसोर्सेज हैं यानी काम करने वाले हैं, आम तौर पर दो आदमी एडल्ट होते हैं, जो कि काम करने वाले माने जाते हैं, तो उन लोगों को और मिनिमम ऐग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अर्थात् उन साधनों को कि जिनके बिना खेती चल ही नहीं सकती, तो ऐसे साधन और लेबर जितने कि एक खान्दान में वयस्क मेल मेम्बर्स हों उनके लिये सारे साल के लिए काम मिल जाय। यानी 'एग्रीकल्चर लेबर के लिये और ऐग्रीकल्चर इक्विपमेंट' के लिये साल भर तक काम मिल जाय। अब मिनीमम एग्रेरियन इक्विपमेंट में दो बैल जरूरी हैं चाहे खेती कम हो या ज्यादा हो तो दो बैल और दो आदमियों को सारे साल रोजगार मिल सके उसको एग्रेरियन इकोनोमिस्ट मानते हैं कि इसे इकोनोमिक होल्डिंग्स कह सकते हैं। बुंदेलखंड में १२ एकड़ और मेरठ में ६ ही एकड़ की हो सकती हैं। लेकिन उसूल यह माना है, अध्यक्ष महोदय, कि साल भर दोनों को काम मिल जाय उसे इकोनोमिक होल्डिंग्स कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ गई देश के शासन की, तब तक इस बात पर थ्योरिटीकल विचार होता रहा और हम समझते रहे कि हम अनइकोनामिक होल्डिंग्स कभी नहीं होने देंगे और किसी न किसी तरह से उनको इकोनोमिक होल्डिंग्स कर देंगे।

श्री राजनारायण जी ने यह कहा कि इस तरह से आप अधिवासियों को अधिकार देते जा रहे हैं तो इससे कैसे इकोनोमिक होल्डिंग्स हो जायंगी। चाहे मौका हो या न हो लेकिन यह बात सब के मन में उठती है, रह रह कर सब के मन में यह सवाल उठता है, चाहे उसका कोई ताल्लुक हो या न हो। अब हमने यह देखा कि इकोनोमिक होल्डिंग्स नहीं हो सकती है क्योंकि इतनी जमीन हमारे पास नहीं है और अब हम कठिनाई में हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं एक आम बात अर्ज कर देना चाहता हूं। अब हमारी कोशिश यह है इधर के बैठने वालों की और उधर के बैठने वालों की भी कि जोत ज्यादा तकसीम न हो जाय। इसको चाहे एक कंकरीट रिजल्ट कह लो या एक रूप कह लो। हमने जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में धारा रखी थी उसको भी हमने टर्न डाउन कर दिया है और फिर मैं दुहराना चाहता हूं कि तीन एकड़ से नीचे का भी एक पूरा हो सकता है लेकिन उसमें कुछ रुकावट होंगी। इसमें अदालत के जरिये तकसीम कराने का मौका है, जो तकसीम कराना चाहें करा सकते हैं। लेकिन सब अदालत में कहां जाते हैं। दो भाई हैं उन्होंने एक खेत ले लिया। कोई बात नहीं है, लेकिन जब झगड़ा होता है तब अदालत में जाते हैं। वैसे हमारे यहां होना चाहिये कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाय अच्छा है और जमीन पर भी बोझा कम हो जाय। हमें प्राइमोजिनेचर का उसूल मानना पड़ेगा तब फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स का किस्सा खत्म होगा। आज हमारे यहां छोटी-छोटी जोत होती चली जा रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जहां यह उसूल है वहां बड़े भाई को छोटे भाई की जमीन मिलती है और जब तक वह मेजोरिटी हासिल करता है उसको मेंटीनेंस अलाउंस देता है। वरना छोटा भाई पाता है। इस तरह से कहीं मुआवजा देने का रिवाज है और कहीं नहीं। कहीं मेंटीनेंस अलाउंस देने की जिम्मेदारी है उसको जिसको जमीन विरासत में मिली है। लेकिन हमारे यहां जमीन तकसीम दर तकसीम होती जाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जहां चीन और जापान का जिक्र किया तो उनके यहां ठीक है। लेकिन हमारे यहां और बिहार में करीब-करीब एक ही लेबिल पर सबसे छोटी छोटी

होल्डिंग्स है। सब से अच्छी जो एवरेज होल्डिंग्स है वह ५ एकड़ की पड़ती है एक फैमिली की उत्तर प्रदेश में, अगर सारे सूबे का एवरेज निकाला जाय। चीन में बहुत कम है, जापान में बहुत कम है। जापान में दो-सवा दो एकड़ पड़ती है। लेकिन जापान और चीन का भी तजुर्बा यह है और चीन के जो लेटेस्ट फिगर्स है वह यह है कि अगर २.६ एकड़ से कम होल्डिंग हो जाय तो उसकी पैदावार कम हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भी अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है, तकरीरें भी सुनने को मिलती हैं, तो इस समय दो विचारधारा काम कर रही है। कुछ हमारे यहां लोगों का यह ख्याल है कि बड़ी होल्डिंग में फी एकड़ ज्यादा पैदावार होती है और कुछ कहते हैं कि छोटी होल्डिंग में फी एकड़ में ज्यादा पैदावार होती है। मैं, बाद का जो मत है, उसका मानने वाला हूं कि जितनी छोटी होल्डिंग्स होती है उसमें फी एकड़ ज्यादा पैदावार होती है। उसके लिए और भी उदाहरण हैं। इसके अलावा हमारे यहां छोटी ही होल्डिंग्स हो सकती है। अगर गवर्नमेंट रोकना भी चाहे तो भी उसको नहीं रोका जा सकता। मैं उसमें जाना मुनासिब नहीं समझता। मैं छोटी होल्डिंग का हामी हूं। परन्तु छोटी होल्डिंग भी कितनी छोटी हो उसकी भी एक सीमा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था चीन के लेटेस्ट आंकड़े यह हैं कि अगर वह २.६ एकड़ से कम हो गयी है तो पैदावार घट जाती है। तो कोशिश हमारी यह है कि यह जितनी रोक सकें उतना अच्छा है। असली इलाज, तो जैसा मैंने रिडिस्ट्रब्यूशन आफ लैंड का जिक्र किया था वह है कि स्माल काटेज इंडस्ट्रीज और खोलें ताकि जमीन के ऊपर से बोझा हटे, लेकिन वह काम देर का है। अब अगर हम इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं और आज ही यह चीज हट जाती है तो उससे जो कुछ तकसीम अब रुकी रहती थी वह हो जायगी। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जो तकसीम रुकी हुई है वह बहुत कम है। ५ बीघा पुख्ता से जो होल्डिंग्स कम होंगे उनकी तादाद कुल की २२ या २५ फीसदी से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ६८ फीसदी किसान हैं तो १७ परसेंट कुल पापुलेशन की ऐसी है जो म्युचुअल अरेंजमेंट से तकसीम कर सकते हैं, हमने सिर्फ अदालत से रोक दिया है।

माननीय रामनारायण जी कह रहे थे कि जिसको जमीन न मिले, भाई उसको निकाल दें तो वह गरीब भाई कहां जायं? फैजाबाद जायं, लखनऊ जायं, कहां जायं? लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे केसेज बहुत कम हैं। और फिर इस सिलसिले में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह ख्याल कि इससे अनएम्पलायमेंट बढ़ेगा, वह ख्याल भी गलत है। १० साल में १२ परसेंट हमारी पापुलेशन बढ़ती है। एक साल में एक परसेंट बढ़ती है। तो १७ परसेंट पापुलेशन की पौने दो परसेंट बढ़ी, जिसमें से आधी लड़कियां होंगी जिनको हक मिलता ही नहीं। तो वह १० साल में एक परसेंट आती है जो कि बढ़ती है। अगर तकसीम बिल्कुल बन्द कर दें कि ३ एकड़ से कम किसी के पास न जाय तो जो पापुलेशन बढ़ती है १० साल में, जिसको हक नहीं मिलता, वह नगण्य है, ज्यादा पापुलेशन नहीं है।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी की तर्कपूर्ण बात सुनने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर आता हूं कि उनको रामनारायण जी का संशोधन मान ही लेना चाहिये। क्योंकि रामनारायण जी ने जितने तर्क रखे, माननीय राजस्व मंत्री जी ने करीब-करीब सब तर्कों को उन्हीं रूप में महसूस किया। तो मैं यहां माननीय राजस्व मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह जो पहले संशोधन जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में हुआ है, जो विधेयक में सवा छः एकड़ रखा हुआ है, उसको देखें तो उसमें भी करीब-करीब माननीय राजस्व मंत्री के यही तर्क थे। हमारी ओर से श्रीमन् बराबर उनसे यही निवेदन किया गया था कि अपने प्रान्त में ७५ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनकी जोतें दो एकड़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

से कम हैं और माननीय राजस्व मंत्री ने उस तर्क को माना था। माननीय राजस्व मंत्री का यह तर्क जिसके कारण ३ १/८ एकड़ पर उनका मोह आकर अटक गया है यही उस समय सवा ६ एकड़ के लिये था। हमें खुशी है कि दो वर्षों के बाद उन्हीं तर्कों ने माननीय राजस्व मंत्री जी को आकर्षित किया और वह स्वतः अबकी बार ३१/८ एकड़ ले आये। अगर उन्होंने रामनारायण जी के किसी तर्क का विरोध किया होता तब तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता होती लेकिन वह तो मानते ही हैं। यह वे नहीं बता पाये कि ३१/८ रखने का उनका क्या कारण है। वे स्वयं मानते हैं कि अगर कोई आपस में बटवारा कर ले तो ३ १/८ एकड़ से कम के खाते कर सकता है, केवल अदालत में यह प्रतिबन्ध रख रहे हैं। तो ऐसे प्रतिबन्ध को रखने से क्या लाभ जो व्यवहार में लाया न जा सके। कानून ऐसा नहीं रखना चाहियें, जो कि व्यवहार की कसौटी पर पूरा न उतरे। माननीय मंत्री जी जापान, चीन, रूस, अमरीका सब जगह की पद्धति की जानकारी प्राप्त करें तो उनको मालूम होगा कि रूस में ३० एकड़, अमरीका में ७० एकड़ और हमारे यहां सवा एकड़ पड़ता है। तो हर तर्क को सामने रखते हुये यही बात आती है कि ३ १/८ न रखा जाय। मैं श्रीमन्, यहां आज बतला देना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ दिनों के बाद फिर एक विधेयक यहां लायेंगे, जिसमें इस सीमा को कम करेंगे, क्योंकि चकबन्दी में उन्होंने स्वतः रखा है कि अगर कोई अपना बटवारा करना चाहे तो उसको किसी खाते की पाबन्दी नहीं रहेगी। और चकबन्दी कानून को माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं समय-समय पर कहते रहते हैं कि वे सारे सूबे में लागू करेंगे। या कोई शंका है?

श्री चरणसिंह—क्यों शंका होती है जब हजार बार कहा जाता है।

श्री राजनारायण— शंका की गुंजायश माननीय राजस्व मंत्री जी ने खुद ही पैदा कर दी। वे स्वतः बता दें कि ३ १/८ एकड़ पर क्यों अटक गये हैं। दस मिनट तक जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने भाषण दिया मैं समझता हूं, श्रीमन् आपको भी वह समझा नहीं पाये होंगे कि ३ १/८ एकड़ क्यों रखना चाहते हैं। इसलिये जब इतना हमारा निर्दोष और तर्कपूर्ण और माननीय राजस्व मंत्री जी के तर्क से मेल खाता हुआ संशोधन है और इसको वह नहीं मानेंगे तो इच्छा न होते हुये भी हमें यही कहना पड़ता है कि वह हठी बहुत ज्यादा हैं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन के समर्थन में खड़ा हूं। जहां तक सिद्धान्त की बात हुई उसमें कोई अधिक अन्तर नहीं प्रतीत होता है। एक समय था जब कि सवा छः एकड़ एकोनामिक होल्डिंग बनायी गयी थी। तदुपरांत ३ १/८ माननीय मंत्री महोदय मान रहे हैं। जहां तक चकबन्दी का सवाल है उसमें इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय मंत्री महोदय का यह उद्देश्य और लक्ष्य है कि चकबन्दी इस प्रदेश में पांच वर्ष के अन्दर कोने-कोने में कर दी जाय। जब कि आप को इसको पांच साल के अन्दर करना ही है तो मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि उसमें क्या कठिनाई हो सकती है। श्रीमन्, रामनारायण जी के कुछ तर्कों से मैं असहमत हूं। जब कि वह और माननीय राजनारायण जी, जापान, चीन और रूस की बातें करते हैं तो इस बात को समझने की श्रीमन् यह लोग कभी कोशिश नहीं करते कि जापान में सब बोझ खेती पर नहीं है बल्कि उद्योग धंधों पर है। वहां की आबादी की एक बहुत थोड़ी सी फीसदी खेती पर बोझ डाले हुए है। आज इस प्रदेश में ८५ प्रतिशत लोग भूमि पर एक प्रकार का बोझ हो रहे हैं। उद्योग धंधों की कमी की जिम्मेदारी किसी अंश में इस सरकार और पूर्णतया विदेशी सरकार पर डाली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकती है। उद्योग धंधे अगर इस प्रदेश में बढ़ाये जायं तो यह हो सकता है कि बोझ हल्का हो और किसानों की स्थिति में एक प्रकार की उन्नति हो। माननीय मंत्री महोदय का यह कथन कि इंटेंसिव कल्टीवेशन अधिक लाभप्रद है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह मान सकता हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए मंत्री महोदय इसके लिए विवश हैं। उस हद तक तो ठीक है। लेकिन एक आम सिद्धान्त यह प्रतिपादित करना कि इंटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन से अधिक लाभप्रद है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है।

आज जब चीन, जापान, रूस और अमेरिका का उदाहरण इस विधान सभा में देते हैं तो मैं समझता हूं कि नकल एक चीज है, जिसके पीछे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वह संतुलन जब नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है तो उनको इस बात का आभास नहीं रहता कि उनको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि इन बटवारों से कभी उनको कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। अवध इस्टेट्स ऐक्ट में रूल आफ प्राइमोजिनेटचोर रखा गया है जिससे रियासतें न टूटें और इतने छोटे-छोटे टुकड़े न हो जायं कि वह रियासत ही खत्म हो जायं। आज बराबर उस तबके से जिससे लोगों को बराबर घृणा है, मैं जानता हूं कि वही रूल आफ प्राइमोजिनेटचोर याद आ रहा है। अवध इस्टेट्स ऐक्ट अभी रिपील नहीं हुआ है। अगर उसका सिद्धान्त मान लें तो बहुत अच्छा होगा। जब तक आबादी जो है या तो आप उसको किसी दूसरे मुल्क में भेज दें या समुद्र को भूमि में परिणित कर दें तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। और दूसरा उपाय यह है कि यह सरकार उद्योगीकरण पर अग्रसर हो और अपनी अगली पंचवर्षीय योजना में जो कुछ सर्फ कर सकें करें ताकि खेती पर जो बोझ है उसको धीरे से दूसरी तरफ ले जायं।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की सेवा में दो बातें कहूंगा। पहली तो यह कि मुझे कुछ उनकी याददाश्त के बारे में शिकायत है। पहले पहल मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आंकड़ों की याददाश्त में वह कुछ कमजोर होते जा रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट के पेज ३८५ पर अगर वह देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ८१ प्रतिशत किसान तो ५ एकड़ के नीचे के हैं और ६७ प्रतिशत किसान ३ एकड़ के नीचे के हैं। १७ परसंट उन्होंने बतलाया। अगर १७ परसेंट तक ही बीमारी होती तो कोई हर्ज नहीं था। ऐसी हालत में ३१/८ एकड़ के नीचे के बटवारे को रोक देना एक प्रकार से बटवारे को रोक देना होगा लेकिन जो कुछ उनकी मंशा है वह पूरी नहीं हो रही है। एक तो यह किस गरज से वह उनको रोक रहे हैं। यही कि खाते छोटे न होने पायें। वह शायद खतौनी के खातों के बारे में सोचते होंगे कि उसमें छोटे न होने पायें। तो यह तो नहीं होगा ऐसा करने से, लेकिन जो खाते मौके के हैं वह खाते बटने से नहीं रुकते। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गांव में बटवारे के वक्त ही झगड़ा होता है। जब कभी होता है तो झगड़ा होता है। जितना बड़ा खाता होता होगा उतना ही कम झगड़ा होगा और जितना छोटा खाता होगा उतना ही बड़ा झगड़ा होगा। मैंने उनसे पहले भी निवेदन किया था कि इसमें कमजोर मारा जाता है। बटवारे में वह आदमी जाता है जो मजबूत पट्टेदार हिस्सेदारों से सताया जाता है। उसको उचित हिस्सा नहीं दिया, या उसको छोड़ दिया तब वह जाकर कानून का रास्ता लेता है। इस तरह से इस कानून का रास्ता बन्द होता है और कोई राह नहीं रहती।

मैं आखिर में उनसे यह कहता हूं कि वह नाराज न हों। कहीं इसमें यह बात तो छिपी हुई नहीं है चाहे अनकांशसली हो कि हम तब बटवारा करने की इजाजत देंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

जब वह भूमिधर बन जाय। जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह लिखा है ६५ वें पेज पर कि वेल्युएशन इस तरह से होगी जमीन के बटवारे के वक्त कि जितना मौरूसी लगान उसका होगा उसकी १० गुनी कीमत मुकर्रर की जायगी सीरदार की और २५ गुना कीमत मुकर्रर की जायगी भूमिधर की। अब वह आदमी मजबूर होता है जो कि बटवारा कराने जाय और अगर वह सवा तीन एकड़ से नीचे का है तो उसका यह सोचने में लाभ होगा कि पहले उसे भूमिधर हो जाना चाहिये नहीं तो १० गुना मिलेगा। २५ गुना नहीं मिलेगा। यह बड़ी भारी कमी है इस कानून में। अगर ४ हिस्सेदार हैं और चारों ऐसे हों जो न खरीद सकते हों, २५ या १० गुनी कीमत न दे सकते हों। उसके लिये आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए सिर्फ कागजी खतौनी से काम नहीं चलेगा, असली सूरत उनके सामने रहे तो ज्यादा सहूलियत होगी और समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट तो पास कर दिया, लेकिन वास्तव में उस ऐक्ट की सुविधा से छोटे किसानों को वंचित कर दिया है। जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह सुविधा इस संशोधन में है और इसको स्वीकार न करके वे उन छोटे काश्तकारों को इस सुविधा से वंचित रखना चाहते हैं। अब पहले सवा छः एकड़ का बटवारा था। अब माननीय मंत्री जी ने उसको तीन सही एक बटा आठ एकड़ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े किसान हैं वही बटवारा करा सकते हैं और ऐसे लोग नहीं करा सकते हैं जो छोटे किसान हैं। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की सुविधा उन लोगों को प्रदान नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने खुद अब भी और पहले भी इस बात को स्वीकार किया है कि छोटे खातों का इन्टेंसिव कल्टीवेशन अधिक लाभकर हो सकता है बनिस्बत बड़े खातों के। क्योंकि इन्टेंसिव खेती में जो काश्तकार होते हैं वह अपनी सारी शक्ति को उसमें केन्द्रीभूत कर देते हैं। मैंने यह देखा है कि जो छोटे काश्तकार हैं अभी तक वे सवा छै एकड़ के थे तो उनमें इस बात की लड़ाई रहती थी कि यदि एक भाई बटवारा कराना चाहता है तो दूसरा भाई नहीं कराना चाहता है और इस प्रकार से उनमें हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। इतना ही नहीं बल्कि इसके ऊपर फौजदारी और कत्ल भी बहुत हुआ करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने इसमें यह रखा है कि यदि वह खेतों का बटवारा कराना नहीं चाहें तो उसको बेंच सकता है। इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार से बटवारे के बहाने छोटे काश्तकारों को जो अपनी अलग भूमि लेकर उसमें अच्छी से अच्छी खेती के नमूने पेश कर सकते हैं उनको वंचित करके इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि वह अदालत में जायं और उसको बेच दें। इस प्रकार के जोतने वाले लाखों किसान हैं।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने दलील दी कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि इन्टेन्सिव खेती से लाभ होता है। यह तो मानी हुई बात है कि जो छोटे काश्तकार हैं वे अधिक फायदा कर लेते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास बड़े फार्म हैं। उन्होंने अपने यहां का उदाहरण दिया कि उन्होंने इतना अच्छा फल निकाला है कि कई राज्यों का इस प्रकार का अस्तित्व है जो शताब्दियों से चल रहा है। जो बड़े बड़े जमींदार रहे हैं वह यही इसका परिणाम निकालते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको भी इस ऐक्ट से सुविधा देनी चाहिये और इस बटवारे की लिमिट को तोड़ दें, क्योंकि यह लिमिट छोटे

काश्तकारों को मजबूर करती है कि वह लड़ने के लिये अदालत में जायं। जिन लोगों के पास ३ या ४ एकड़ है वह भी बटवारा कर सकें ताकि हर एक आदमी काश्तकार हो सके। देहातों में जहां तक मैं समझता हूं लोगों की आबरू, इज्जत या लियाकत का मापदंड केवल खेती ही है, इसी से उनकी इज्जत आबरू की नाप होती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

* **राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने इस संशोधन को रख कर यह तो स्वयं ही मान लिया है कि उन्होंने जो सवा छै एकड़ की लिमिट रखी थी, वह इस प्रान्त में चल नहीं सकती। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह तो उचित किया। देहातों में हम देखते हैं कि सरकार जितना लाभ छोटे किसानों को समझती थी वह नहीं होता था। गांवों में आज कल इतने झगड़े बढ़ गये हैं कि जो जबरदस्त है, जिनके पास ताक़त है, वही कब्जा कर लेता है, उसी का वहां पर राज्य है। गरीब किसानों को उनका हक़ नहीं मिल पाता था। सरकार ने ३ १/८ एकड़ की लिमिट रख दी। यह तो सभी जानते हैं कि एकोनोमिक होल्डिंग किसे कहते हैं। जो खेती एक हल की हो सके वह एकोनोमिक होल्डिंग हो सकती है, लेकिन चाहे यह सरकार हो, चाहे सोशलिस्ट हो कोई भी एक हल की काश्त प्रत्येक किसान को नहीं दे सकता क्योंकि इतनी जमीन ही नहीं है। गांवों में लोग क्या करते हैं, या तो रामो करते हैं या सखियारी करते हैं और एकोनोमिक होल्डिंग बना लेते हैं। इसलिए सरकार को अब यह भय तो होना ही नहीं चाहिये कि छोटी-छोटी होल्डिंग्स हो जायंगे, क्योंकि उस हिसाब से ३ एकड़ भी छोटी ही रहती है, क्योंकि एक हल का कोई खाता नहीं है इसलिये उसमें नुकसान न रहे वे लोग सरकार की मंशा के अनुसार ही सखियारी करके इकोनोमिक होल्डिंग बना लेते हैं। इसके बिना उनका काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि एक बैल ही आज-कल १ हजार रुपये में आता है। इसलिये आज जब कि बिना सखियारी या रामो किये अब भी उनका काम नहीं चलता है, आज भी उनकी होल्डिंग एकोनोमिक नहीं है तो फिर सरकार को इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि छोटी होल्डिंग हो जायेंगी। जब आगे चल कर चकबन्दी होगी तब अपना अपना बटवारा वे करा लेंगे उसमें एको-नोमिक और अन-एकोनोमिक का सवाल ही नहीं है। ऐसी हालत में यह १७८ और १८२ की जो धारायें हैं वे बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और सरकार का जो मक़सद ३ १/८ एकड़ से है उसमें किसानों का लाभ है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल बटवारे के लिये ही किसानों और भाई भाइयों में झगड़ा होता है, एकोनोमिक और अनएकोनोमिक का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी होल्डिंग्स अनएकोनोमिक ही होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन के द्वारा सदन के सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, यदि हम जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो हमें मालूम होगा कि अपने प्रान्त में प्रति व्यक्ति जमीन का औसत ०.७ एकड़ आता है तो जब यहां इतनी भूमि की कमी है, इतनी आबादी अधिक है कि केवल प्रति व्यक्ति ०.७ एकड़ जमीन का औसत आता है। अब हमें यह सोचना है कि लाभकर जोत और अलाभकर जोत की बहस में कहीं हम व्यावहारिकता को न भूल जायं। जो आज वस्तुस्थिति है उसको न भूल जायं। श्रीमन्, यह जो सवा ६ एकड़ के प्रतिबन्ध की पहले बात थी वह जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार थी। उस कमेटी की यह राय थी कि १० एकड़ को एकनामिक होल्डिंग माना जाय लेकिन माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चरण सिंह जी चाहते थे कि सवा ६ एकड़ को ही एकोनामिक होल्डिंग माना जाय और उसी को माना गया। जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में पेज ४९९ में यह सिफारिश की गयी थी 'ऐन इफोनामिक होल्डिंग इज आफ ६ १/४ एकड़।' श्रीमन्, जो मूल अधिनियम में प्रपोजल है उसी को आधार मान कर श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने सवा ६ एकड़ को इकोनामिक होल्डिंग माना है। तो प्रश्न यह है आज कि हम सवा ६ एकड़ रखें या, जैसा कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं, सवा ३ एकड़ कर दिया जाय। जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो सवा ६ एकड़ का एक लेबिल तय हो गया था लेकिन अब माननीय मंत्री जी या सरकार ने सवा ६ एकड़ को इकोनामिक होल्डिंग न मान कर सवा ३ एकड़ को अब इकनामिक होल्डिंग माना है। तो क्या अब इसका पार्टिशन नहीं है? जमींदारी एबालिशन कमेटी रिपोर्ट की जो एक बुनियाद थी वह बुनियाद तो खत्म हो गयी, जो सिद्धान्त था वह तो खत्म हो गया। अब तय तो यह करना है कि सवा तीन एकड़ रखें, या ४ एकड़ रखें या २ एकड़ रखें, यह तो ऐसी बात है जिसका कोई आधार ही नहीं है। यह न तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार है, न माननीय मंत्री जी की योजना के अनुसार है और न जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है। प्रश्न तो यह था कि जो इकोनामिक होल्डिंग है उसको अनइकोनामिक होल्डिंग न बनने दिया जाय। माननीय मंत्री जी जरा सोचें कि मान लीजिये पार्टीशन की उन्होंने इजाजत दे दी, तो जो इकोनामिक होल्डिंग है उसकी बिक्री भी होगी। बिक्री होने पर जिसने पार्टीशन किया है उसके लिये तो वह अनइकोनामिक होल्डिंग हो जायगी और इससे लैंड प्रोबलम साल्व नहीं हो सकता। श्रीमन्, उत्तराधिकार का जो शाश्वत नियम है, भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिन्दू संस्कृति के अनुसार चाहे वे अनीश्वरवादी ही क्यों न हों लेकिन माननीय मंत्री जी जो ला आफ इनहेरिटेंस को चेंज कर रहे हैं उनकी सरकार जो हिन्दू और मुस्लिम ला को चेंज कर रही है तो उसके लिये जहां एक और सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता है वहां दूसरी ओर केन्द्रीय विधान की भी आवश्यकता है, वहां भी उसके बदले जाने की आवश्यकता है। श्रीमन्, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां भारतीय परम्पराओं के अनुसार रूढ़वादिता इतनी जटिल है कि हमारे यहां पार्टीशन या अपनी जमीन के प्रति व्यक्ति का लगाव इतना अधिक है कि जो और देशों में कम दिखलाई देता है। हम भी मानते हैं कि होल्डिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है लेकिन बिना किसी आधार के डिस्क्रिमिनेशन करना और ला आफ इनहेरिटेंस को बदल कर किसी चीज को भूमि व्यवस्था में फिट कर देना मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी की भावना है कि जहां तक हो सके हम इकोनामिक होल्डिंग का प्रोसेस करें लेकिन आप अलाभकर प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं जब तक कि हम जैसा कि वे कहते हैं और आज तो आचार्य बिनोबा जी का आन्दोलन वे अधिक सार्थक मानते होंगे तो अगर उसकी पृष्ठभूमि में इसको लेते हैं तब तो वह प्रश्न आगे रहता ही नहीं। फिर तो सहयोगी खेती का आधार रह जाता है या गांव समाजों के संगठित आधार पर जो खेती हो सकती है वह आधार रह जाता है। तो यह तो हम उन सिद्धान्तों के अनुसार काम करें या हम ला आफ पार्टिशन को बदल दें लेकिन वह उसको भी रोक नहीं सकते। और न उसका अभी समय ही मालूम होता है कि पार्टिशन न हों लेकिन बिना लाभकर या अलाभकर जोत की परिभाषा निश्चित किये हुये कोई तीन या सवा ३ एकड़ की जोत की बात करना कोई सिद्धान्त की बात नहीं हो सकती। इसलिये मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के समर्थन में काफी बहस हो चुकी है और न मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं लेकिन एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान गया। वह चीज मुझे बहुत अपील की और वह सचमुच हमारे प्रदेश की समस्या है, और वह यह है कि क्या छोटे-छोटे खेत बनाये जायं या एको-

—नामिक होल्डिंग रखी जायं या उसके साथ में देहातों में छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाय जायं जिससे हर एक को काम गांव में मिल सके। यह समस्या हमारे और सभी सदस्यों के सामने है कि खेती का बटवारा रोका जाय या नहीं, यह सब ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में शासक दल सोच सकता है कि देश के लिये क्या समुचित योजना हो सकती है लेकिन यह सब बगैर ऊपर धन और धरती की सीमा बांधे नहीं हो सकता। अगर वह चाहते हैं कि यह समस्या हल हो तो धन और धरती की जो सीमा हम बांधते हैं वह उसको बांधें और उस धन की सीमा के बांधने से जो अधिक धन प्राप्त हो उसको छोटे छोटे कल कारखानों में लगाया जाय जिनमें देहात के गरीब लोग काम पा सकें, यह नहीं कि बड़े कल कारखाने जो बम्बई कलकत्ता और अहमदाबाद में हैं और कानपुर में हैं उस तरह के सरकार बनावें। अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः नौकरी करने के लिए परदेश जाने वालों के परिवार के लोगों का स्टेशनों पर आपने रुदन सुना होगा। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मौत हो गई है। वह अपने निजी जनों से दूर चले जाते हैं और जीवन भर परेशान होते हैं। तो बड़े उद्योग धंधों से गांवों की समस्या हल नहीं हो सकती और भारत का भविष्य आज भी तकाजा करता है कि लोगों को खेती से हटा कर हमें छोटे छोटे उद्योगों की तरफ लाना होगा तभी हमारे यहां जो अनएम्पलायमेंट दिखाई देता है वह दूर हो सकता है या सामूहिक तरीके पर काम करके जैसे दूध उत्पन्न करना या दूसरे काम जो गांवों में आसानी से हो सकते हैं वह चला कर हम अपने ग्रामों को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी कहती है उस तरह की योजना बना कर ही काम हो सकता है। जब तक सरकार धन और धरती की कोई सीमा नहीं बांधती है तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। सरकार को एक योजना के अनुसार चलना होगा, अधूरी योजना कोई हो ही नहीं सकती। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि माननीय चरण सिंह जी को हम कभी-कभी अपने बहुत नजदीक पाते हैं और वह राजस्व मंत्री होने के नाते पार्टी व्हिपिंग में भले ही आ जाते हों और उनकी इस असमर्थता को हम जानते हैं लेकिन यह सही है कि माननीय चरणसिंह जी की बुद्धि और दिमाग सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और कभी-कभी मालूम होता है कि वह हमारे बहुत नजदीक आ गये हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि विधान को परिवर्तन करने का जो नकशा है और जो हमारा भविष्य का सुनहरा नकशा है उसको वह बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बटवारे को रोकने से दूसरी एक समस्या खेती पर काम करने वालों और घरगृहस्थी का काम करने वालों दोनों के लिये उत्पन्न हो गई है। वैसे तो बटवारा रुकने के फलस्वरूप लोग बेकारबार होने से लोग कलकत्ता, कानपुर और बम्बई को दौड़ते हैं और वहां भी थोड़ी मुसीबत उनको नहीं उठानी पड़ती। वहां भी इम्प्लायमेंट पाने के लिये काफी कम्पेटीशन होता है। इधर हमारे देहात में लोगों को, स्त्रियों को, विधवाओं को सेवक के रूप में लोगों की आवश्यकता होती रहती है उससे भी वह वंचित हो जाते हैं। तो यह समस्या देहातों में उत्पन्न हो रही है जिसकी तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संशोधन विधेयक में भी वह समस्या अपनी जगह पर है। यह तरमीम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सार्वजनिक हित में यह है कि इस बंधन को निकाल दिया जाय और इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, जहां तक माननीय गेंदासिंह जी ने आंकड़ों की बात कही उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आंकड़ों का मतलब लगाने में गलती हो जाय तो आंकड़ों का कसूर नहीं है। मसलन्, ४४ लाख खाते हमारे यहां अधिवासियों के हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा यकीन है कि खातों के बजाय लोगों ने लिखा है कि ४४ लाख अधिवासी हमारे यहां हैं, ४४ लाख अधिवासी नहीं है। ८५ लाख तो कुल खान्दान हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अधिवासी कैसे हो जायेंगे? हमारे यहां जो आर्थिक कार्य है वह तो फेमिली के हिसाब से चलती है

[श्री चरणसिंह]

तो फी फैमिली वह जमीन बताई जाती है जो माननीय गेंदा सिंह जी बतला रहे हैं। मैंने बतलाया ५ एकड़ फी फैमिली औसत और तीन एकड़ जब मैं कहता हूं तो २०, २५ फीसदी के करीब फैमिलीज ऐसी होंगी---मैंने फेमिलीज के लिये कहा है--जहां ७१ फीसदी या ८१ फीसदी लिखा है तो गलत लिखा है। १ करोड़ २३ लाख खाते उस रिपोर्ट में लिखे गये हैं। १ करोड़ २३ लाख कैसे हो जाते हैं जब एक करोड़ २३ लाख फेमिलीज ही नहीं होती ? तो उसमें भी कुछ आंकड़े गलत रह गये हैं। तो अब फी होल्डिंग जो रकबा दिया हुआ है वही तो सही है। फी व्यक्ति भी कह सकते हैं लेकिन फी खान्दान नहीं है। जब हम स्टैटिस्टिक्स, ऐग्रेरियन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम गलती करते हैं फी व्यक्ति, फी परिवार और फी खाते में। इस सब को कंफ्यूज करते हैं और अच्छे से अच्छे राइटर्स कन्फ्यूज करते हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अच्छी से अच्छी रिपोर्ट में अच्छे से अच्छे राइटर्स यह गलती करते हैं और इसीलिये नतीजा गलत निकलता है। तो मैं कह रहा था कि २०, २५ फीसदी खानदान ऐसे होंगे जिनके पास तीन एकड़ से कम जमीन होगी। और जहां यह लिखा है कि ८१ फीसदी के पास तीन एकड़ जमीन है वह आंकड़े गलत है और वह उद्धरण गलत हैं। या अगर यह नहीं लिखा है तो वह गलत समझ रहे हैं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि ३ एकड़ से कम जमीन रखने वाले खानदान हमारे यहां २५ फीसदी होंगे किसानों के। किसानों की आबादी ६५, ६७ फीसदी है तो कुल आबादी के १७ फीसदी आदमी हैं कि जिनके पास ३ एकड़ से जमीन कम है।

जहां तक माननीय गेंदा सिंह जी की दूसरी बात का संबंध है कि कहीं मैं भूमिधर बनाने की बात तो मन में नहीं छिपाये फिरता हूं तो उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी सीरदार और भूमिधर का सवाल आयेगा, उसकी जायदाद के मूल्यांकन का सवाल आयगा, तो चूंकि उसकी मालगुजारी कम है इसलिये हमने उसका दाम ज्यादा रक्खा है। जिस खाते की तकसीम आज नहीं हुई है और तकसीम होती है तो चाहे वह सीरदार हो या भूमिधर हो उसमें इस बात का कोई सवाल नहीं उठता। मैं सिर्फ एक मिनट और लेना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जहां मैं छोटी होल्डिंग्स का हामी हूं वहां मेरी राय यह भी है कि ऐसा रकबा भी न होना चाहिये कि जिसमें खेती हो ही न सके। मैं समझता हूं कि ३ एकड़ का रकबा ऐसा है कि जिससे कम अगर किसी के पास जमीन हो तो पैदावार कम होगी और मैं समझता हूं कि ३.२५ एकड़ से लेकर २५ एकड़ तक के बीच में हमारी होल्डिंग्स ठीक बैठती है। ३.२५ से कम की होल्डिंग्स को मैं डिस्करेज करना चाहता हूं। अगर हम अधिवासी को, जिसके पास कि औसत जमीन डेढ़ एकड़ है, कोई दूसरा रोजगार दे पाते तो उसे हक न देते। उनको हक देकर मैं उनकी हिमायत नहीं करता लेकिन मजबूरी यह है कि उनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है इसलिये उनके हक को महफूज हम करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश इतनी ही है कि जहां तक हो सके कम तकलीफ के साथ इससे कम की होल्डिंग्स के लिये हम एक रुकावट डालें। थोड़ी सी रुकावट होगी चकबन्दी से।

मैं आपकी इजाजत से सिर्फ एक मिनट और चाहता हूं। चकबन्दी के जो अधिनियम हैं उनके हिसाब से तकसीम हो सकती है लेकिन उसमें अमेलगमेशन भी हो सकता है और वह मिल कर अपना चक बना सकते हैं। लेकिन इस बात को छोड़ें। मैं इस चीज को हाउस की फ्री विल पर छोड़ देने के लिये तैयार हूं। बिना किसी पार्टी का प्रश्न उठाये मैं इस सवाल को सब लोगों की फ्री विल पर छोड़ देता हूं।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं कि अगर इस बात पर वोट सोमवार को ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह---जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उसको देखते हुये इस प्रश्न पर सोमवार को सदन का मत लिया जाय क्योंकि यह एक नई बात उठाई गई है और इस समय हाउस की उपस्थिति भी कम है तो सोमवार को वोट लेना, हालत को देखते हुये, उचित होगा।

श्री चरणसिंह---इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या उस दिन कुछ कहना-सुनना होगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो मैं नहीं होने दूंगा। बहस नहीं होगी।

श्री चरणसिंह---आज ही वोट ले लिये जायं तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-ङ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड २२-च के रूप में रख दिया जाय:---

"२२-च---मूल अधिनियम की धारायें १७८ से १८२ तक निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई---)

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, यदि यह संशोधन इसी रूप में स्वीकार किया गया तो आगे कठिनाई पड़ेगी इसलिये इसकी मंशा को रक्खें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---इस समय मैं खड़ा हूं और इसलिये आप बैठ जायं। सदन को इस बात का ज्ञान है।

(घंटी बंद होने पर)

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह संशोधन ऐसे ही स्वीकार हो जाता तो हमको कठिनाई हो जाती। इसलिये मैं इस बात के लिये तैयार हो गया कि स्वतंत्र राय से इस पर वोट हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की घोषणा का ऐलान कर दें, क्योंकि बहुत से अन्य सदस्य भी आये हैं।

(हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार प्रश्न अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२३

विपक्ष में---६७।)

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने जो अभी वोटिंग लेने से पहले यह कहा कि सदस्य लोग फ़्री वोट दें तो क्या आपका विचार है कि वह फ़्री वोट नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैंने कहा। फ़्री वोटिंग तो हमेशा होती है वह कहना तो रिडंडेंट सा था पर वह सब के लिये लागू था मैं किसी की तरफ से वकालत नहीं कर सकता था। राजस्व मंत्री जी के वकील की तरह से मेरा यह कहना कि उनका यह कथन है, उचित न होता।

खंड २३

२३---मूल अधिनियम की धारा १७८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७८ का संशोधन।

"(१) उपधारा (३) में की गई व्यवस्था को छोड़कर जब किसी बंटवारे के वाद (suit) में न्यायालय को ज्ञात हो कि बंटने वाले खाते अथवा खातों का कुल क्षेत्र ३ १/८ एकड़ से अधिक नहीं है तो न्यायालय खाता अथवा खातों को बांटने के बजाय उसकी बिक्री का तथा बिक्री से प्राप्त आय के वितरण का आदेश देगा।"

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १७८ की प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ४ में शब्द "बजाय" और शब्द "उसकी बिक्री" के बीच में शब्द "ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो नियत किये जायं" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह संशोधन बिलकुल सरल और सीधा है। इस पर कोई विशेष भाषण की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। यह केवल ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न हो, उसके बटवारे के संबंध में बिक्री का नियम बनाना और उसकी व्यवस्था करना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब आप सवा दो बजे विरोध करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, जो मूल अधिनियम की १७८ की उपधारा (१) इस प्रकार है :--

"(१) उपधारा (३) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, जब कभी किसी बंटवारे के वाद (suit) में न्यायालय को ज्ञात हो कि बंटने वाले खाते अथवा खातों का कुल क्षेत्रफल ३ १/८ एकड़ से अधिक नहीं है तो न्यायालय खाता अथवा खातों को बाटने के बजाय उसकी बिक्री का तथा बिक्री से प्राप्त आय के वितरण का आदेश देगा।"

श्रीमन, अगर आप देखें तो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो नियत शब्द के बजाय और बीच में बढाये जाने वाले हैं; उनके संबंध में पहला एतराज तो यह है कि जो सिद्धांत की बात होती है वह नियमों में नहीं होनी चाहिये, बल्कि सिद्धांत की बात तो मूल अधिनियम का अंग होना चाहिये। यह मैं समझता हूं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स का एक मुख्य सिद्धांत रहा है कि बंटवारे या बिक्री के बाद मिलने वाले धन के सिद्धांत को रखा जाय तो मूल अधिनियम की धारा में रखा जाना चाहिये। श्रीमन्, मेरी एक शिकायत जरूर है कि सरकार की एक आदत सी बन गई है कि वह तमाम ऐसी बातें जिनका धाराओं में रखना आवश्यक है, इसमें ही नहीं बल्कि तमाम विधेयकों में उनकी एक आदत सी बन गई है कि वह सिद्धांत की बात, उसूल की बात, प्रिंसिपल की बात नियमों में डाल देते हैं। इस संबंध में मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस बात की आवश्यकता हो गई है कि सदन में एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्टेंडिंग कमेटी बनायी जाय। सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है तो यह देखने के लिये वह मूल अधिनियम के अनुसार है या नहीं इसको देखने के लिये एक इस प्रकार की कमेटी होनी चाहिये।

श्रीमन्, मेरा दूसरा एतराज यह है कि इसमें कुछ सिद्धांत पहले से ही इस विधेयक में दिये हुये हैं। मैं आपका ध्यान मूल अधिनियम की धारा १८१, १८२, १८० और १७९ की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो चार धारायें हैं और जिस प्रकार से संशोधन हो रहे हैं, यह सब उन्हीं सिद्धांतों को बताती हैं जो बिक्री के बारे में लागू होते हैं। श्रीमन्, १८० को देखें कि "यदि दो या अधिक ऐसे सहखातेदार जिन्हें तारतम्य के अनुसार बराबर का अधिकार हो, मोल लेने की अलग-अलग इच्छा प्रगट करें तो न्यायालय उसे उनमें से ऐसे के हाथ बेचने की आज्ञा देगा जो धारा १७९ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य से ऊपर सबसे अधिक मूल्य पर मोल लेने को तैयार हो।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, धारा १८१ देखें कि "कोई भी अंशदार (share holder) धारा १७९ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य या उससे अधिक पर मोल लेने को तैयार न हो तो न्यायालय उसे ऐसे अंशदार के हाथ बेच दिये जाने की आज्ञा देगा जो सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो।" श्रीमन्, अब १८२ देखें कि "उस दशा को छोड़कर जिसके विषय में इससे पहले व्यवस्था की गई है, यदि किसी खाते के संबंध में धारा १७८ के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार बेचने की आज्ञा दी गई हो तो न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।"

श्रीमन्, यह प्रक्रिया नियमावली की बात तो इसमें पहले से ही है। बिक्री के संबंध में या बंटवारे के संबंध में पहले से प्रक्रिया नियमावली की व्यवस्था है, तो श्रीमन्, यह बात समझ में नहीं आती है और मैं समझता हूं कि न माननीय मंत्री जी समझा पायेंगे क्योंकि सिद्धांत की बात है और जो सिद्धांत पहले से है उनको दुबारा नियमों में लाना चाहते हैं या वह सिद्धांतों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको मूल अधिनियम में कुछ धारायें बढ़ा देनी चाहिये। इसके साथ साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री राज नारायण--श्रीमन्, इस समय हम केवल निवेदन करने के लिये खड़े हुये हैं। माननीय राजस्व मंत्री से ऐसी बात है कि बार बार एक ही मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, इसलिये हमको झक मार कर, बाध्य होकर उसी का विरोध करना पड़ता है। राजस्व मंत्री अपने मन में समझते होंगे कि यह सब एक ही बात को बार-बार कहा करते हैं। "ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो नियत किये जायं" माननीय नारायण दत्त जी ने तो उचित बात कही कि वह सिद्धांत कब नियत किये जायं। इतना बड़ा विधेयक, काफी मोटी पोथी, तीन तीन बार जिसके संशोधन के लिये विधेयक प्रस्तुत हुये अगर उसमें उन सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं किया गया, तो कब किया जायगा? जरा विचारणीय सवाल यह है चाहे यों राजस्व मंत्री भले ही कह दें कि यह तो अपोजीशन के लिये कहता रहता है अंड-बंड कहा ही करता है, मगर हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी कभी भी यह इच्छा नहीं हुई। एक तरह की गलत विचारधारा सरकार की ओर से बहाई जा रही है, तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। एक तरीके से हमारे विरोध करने की एक गतिविधि भी होती है। इसलिये राजस्व मंत्री बार-बार कहते हैं कि पुरानी बात दोहराई जाती है। ज्यों-ज्यों सरकार अपने हाथ में सत्ता लेने की बात करेगी और अपने को इस तरह से अछूता रखेगी कि नियम, उपनियम बनाने में विधान सभा के सदस्य भी राय न दे सकें और विधान सभा के सदस्यों के सामने रखें भी नहीं, मनमाने तरीके से कुछ कैबिनेट के लोग या उच्च पदाधिकारी लोग उनको बना दें और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित कर दें, चाहे २० गुना दिया जाय या २५ गुना दिया जाय, कम से कम इन बातों को हमें छोड़ना चाहिये।

हम अपने देश में और प्रांत में सात साल से करीब करीब एक तरह से जनतांत्रिक प्रणाली पर चल रहे हैं और सात साल के बाद भी हम अपनी आदत न डालें कि जितनी बातें हों उनको सफाई के साथ रखें और हर बात के तय करने में अधिक से अधिक लोगों के खयाल को लें, अधिक से अधिक लोगों को मत को जानें और उनका एक तरीके से उसमें डायरेक्ट हाथ रहे, तो फिर कब यह चीज होगी?

श्रीमन्, डेमोक्रेसी का सब से बड़ा फंडामेंटल सिद्धांत यह है कि आम जनता यह महसूस करे कि जो कुछ हो रहा है उसके बनाने में उसका सहयोग और हाथ है। जब आम जनता के पास से वह बात चली जाती है तो वहीं पर जनतंत्र का हनन होने लगता है।

अब मैं माननीय राजस्व मंत्री से विनम्र निवेदन करते हुये यह जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो नियत किये जायं इसके रखने की क्या जरूरत थी। इसीलिये नहीं कि जिस ढंग से, जिस रूप में, जिस वर्ग को सरकार चाहे सुविधा देने की बात करे और जिसको सरकार असुविधा देना चाहे उसको असुविधा दे दे। जिसको न देना चाहिये उसको ज्यादा दे दे, जिसको कम देना चाहिये उसको कम दे दे, आखिर यह क्या बात है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह सिद्धांत में रहता है।

श्री राज नारायण---मौर्य जी कहते हैं कि यह सिद्धांत में रहता है। तो, श्रीमन्, सिद्धांत हमेशा गोल रहेगा? सिद्धांत हमेशा अन्धकार में रहेगा? सिद्धांत इस विधेयक में भी साफ नहीं होगा? वह कौन सा सिद्धांत है? मौर्य जी रंज न होंगे, मगर उस सिद्धांत को सफाई के साथ क्यों नहीं रखा गया? उसको भविष्यकाल के लिये क्यों छोड़ा जाय? इन सब बातों को सरकार को जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिये और पालन करना चाहिये ताकि हमें यह न कहना पड़े कि आप हठवादिता का परिचय देते हैं, इसमें न आपके लिये शोभा है, न हमारे लिये। हम तो महसूस करते हैं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि हम बहुत परेशान होते हैं कि क्या हम इस सदन में रह करके कुछ उपयोगी काम कर रहे हैं। और हमको खुद लज्जा की बात मालूम होती है कि हम १० रुपया रोज भत्ता लें और २०० रुपया माहवार लें, उस जनता से लें, जिसकी २५५ रुपया सालाना आमदनी है! इतनी गरीब जनता और उस गरीब जनता के जनकोष को हम इतने ऊंचे पैमाने पर अपने ऊपर खर्च करें तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो और उस जिम्मेदारी के साथ हम खेल करें, यह अशोभनीय बात है। अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस पर ध्यान न दें। यह इस सदन के लिये और इस सरकार के लिये जो बहुत दिनों तक जनतांत्रिक प्रणाली की जानकारी हासिल कर चुकी है उसके लिये ऐसे क्लाज का रखना बहुत ही निन्दनीय है, अशोभनीय है। इतना ही निवेदन करके मैं बैठूंगा और इस आशा से बैठूंगा कि इसको निकाल दिया जायगा।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मनोवृत्ति का परिचायक है, यह तो हर संशोधन के साथ कहा जाता है और निन्दनीय है, अशोभनीय है। वर्ड्स ब्रेक नो बोन्स। आप चाहे कितने ही कठोर शब्द इस्तेमाल करें उससे फायदा क्या होता है? जो कोई ठोस बातें आपने कही हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा।

आपकी तरफ से यह कहा गया कि प्रिंसिपिल्स रूल्स में नहीं जाने चाहिये बल्कि ऐक्ट में ही आ जाने चाहिये। मैं यह अर्ज करता हूं कि यह बात जहां तक फंडामेंटल्स का ताल्लुक सही है। लेकिन सबसीडियरी प्रिन्सिपिल्स होते हैं वे भी प्रिन्सिपिल्स ही कहलाते हैं। इसमें हम प्रिन्सिपिल्स न लिख कर कर देते कि इन दि मैनर ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मौलिक सिद्धान्त है वह ऐक्ट में दिया जाता है। तफसीली बातें हमेशा रूल्स में बनाने के लिये गवर्नमेंट को मौका दिया जाता है। आज से नहीं, हमेशा से यही है। इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। जहां भी डेमोक्रेसी है सब जगह गवर्नमेंट को यह अख्तियार मिलता है। यह तो ब्रिटिश सिस्टम आफ जुरिस्प्रूडेंस है, वहां इतनी तफसील में ऐक्ट बनते हैं कि एक-एक बात के लिये सेक्शन लेकिन कांटीनेन्टल कंट्रीज जो कहलाते हैं वहां केवल मोटा सा प्रिंसिपिल दिया जाता है, जिस तरह से हमारे यहां डिटेल में सेक्शन्स होते हैं, और उसके खिलाफ गवर्नमेंट या कोर्ट नहीं जा सकते इस तरह की बात जहां डेमोक्रेसी है वहां भी नहीं है। आज तक इस सदन में या भारतीय पार्लियामेंट में कोई ऐसा ऐक्ट नहीं पास हुआ है जिसमें रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को न दी जाती हो। तो यह प्रैक्टिस है। छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो तजुर्बे के मुताबिक तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। तो एक एक के लिये लेजिस्लेचर को बुलाना जरूरी नहीं होता है। इसलिये हमेशा रूल्स बनते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इसमें जनतंत्र के विरुद्ध हो गया और क्या इसमें मुसीबत आ गयी और क्या उसूल की बात हो गयी। कौन सी बदबू आ रही है जो माननीय राजनारायण जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं?

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजकुमार शर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर शर्मा जी ने धारा १७९ को देखा होता तो वह सम्भवतः यह संशोधन न लाते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं—

"यदि न्यायालय ने धारा १७८ के अधीन खाते या खातों के विक्रय की आज्ञा दी हो, तो वह ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, आज्ञा के द्वारा उनका मूल्यांकन करायेगा और फिर इस प्रकार निश्चित किये गये मूल्य पर उन सहखातेदारों से क्रयाधिकार के ऐसे तारतम्य के अनुसार, जो नियत किया जाय, मोल लेने को कहेगा।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें है कि ऐसी रीति से जो नियत की जाय; अब रीति की जगह सिद्धान्त कर दिया। बाकी बात वही है! पता नहीं कि शब्दों के हेरफेर से संशोधन-कर्ताओं का क्या अर्थ रहता है! या तो यह चाहते हैं कि जिस अर्थ की वह सिद्धि चाहते हैं वह सम्भवतः इसके अनुसार नहीं हो सकती है। या जिस उद्देश्य से यह कानून बना हुआ है वह समझते हैं कि शायद उसके माफिक उसका सिद्धान्त ठीक नहीं बैठता। (एक आवाज) फिर आपने यह क्यों नहीं लिखा कि इसको निकाल दिया जाय?)

श्री जोरावर वर्मा—इसमें सिद्धान्त है और इसमें रीति है। बिल्कुल एक ही बात है। इसमें है कि ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जांय और इसमें है कि ऐसी रीति से जो नियत की जाय। मैं कोई अन्तर ही नहीं समझ पा रहा हूं। मैं माननीय सभा सचिव जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे समझा दें कि इनमें क्या विशेष अन्तर है। मैं समझता हूं कि यह समय का दुरुपयोग है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह ब्रिटिश सिस्टम आफ जूरिस्प्रूडेंस मानते हैं तो रूल मेकिंग सिस्टम में कांटीनेंटल सिस्टम क्यों लागू करना चाहते हैं। प्रोसीडयूर के बारे में नियम बनते हैं, सबसिडियरी प्रिंसिपिल्स के बारे में नहीं बनते हैं। तो यहां माननीय मंत्री जी सबसिडियरी प्रिंसिपिल्स के बारे में क्यों नियम बनाना चाहते हैं?

श्री चरणसिंह—ब्रिटिश सिस्टम आफ जूरिस्प्रूडेंस में प्रिंसिपिल्स की बाबत नियम बनते हैं।

श्री राजकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह संशोधन बहुत सीधा और सरल थोड़े से शब्दों में रखा था। मैं नहीं समझता था कि इतना छोटा सा सीधा सा संशोधन जो है उसमें सिद्धान्त का इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जायगा। कोई भी बात बिना किसी सिद्धान्त की हो ऐसी मनोवृत्ति का परिचय माननीय नारायण दत्त जी ने दिया कि सिद्धान्त का होना ठीक नहीं है किसी धारा में। किसी ऐक्ट में सिद्धान्त न हो। उनका काम बिना उसूल का होता है, ऐसा जान पड़ता है। सिद्धान्त के अनुकूल जो काम किया जाता है वह अच्छा होता है और सारे संशोधन में, जो भी पेश होते हैं उनका कोई सिद्धान्त होता है। लेकिन सिद्धान्त शब्द न हो, सिद्धान्त शब्द से इतनी चिढ़ हो उसमें सिद्धान्त शब्द क्यों रखा गया। ऐसी असंगत बात कही गई जो नहीं कही जानी चाहिये।

मैंने विरोधी दल के नेता जी का भाषण सुना। यों तो मैं कल से ही उनके भाषणों को सुन रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर और बनारस जिले में बड़ा सूखा पड़ा है। बादल बड़े जोर से गरजते गरजते आये, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा ही हमारे विरोधी दल के नेता का भाषण है गरजना, तरजना, चमकना विशेष है लेकिन उसमें कुछ तथ्य नहीं। मेरे संशोधन के विरोध में उनके भाषण से कुछ भी लाभ किसानों का नहीं हुआ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।

श्री राजकुमार शर्मा--यह तो ऐसे ही हैं जो गरजता है वह बरसता नहीं। यही नहीं वह इलेक्शन के अखाड़े में भी उतर आते हैं, इस्तीफा देने लगते हैं, लड़ाई के मैदान के लिये तैयार हो जाते हैं जो संशोधन से कोई मतलब नहीं रखता। बिना मतलब सदन का समय बर्बाद किया जाता है। मेरा संशोधन तो बहुत सूक्ष्म और सरल है। उसका मतलब यह है कि ३१/८ एकड़ भूमि बटवारे के लिये तो, उससे अधिक भूमि न हो तो उसका बटवारा उसकी बिक्री के सिद्धान्त के अनुकूल किया जायगा।

श्री राज नारायण--सिद्धान्त से क्या मतलब है ?

श्री राजकुमार शर्मा--सिद्धान्त का मतलब तो सभी समझते होंगे, आप न समझते हों तो क्या करूं ? अगर कोई आदमी सो जाय तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागता हुआ सोये की शकल में हो तो जग नहीं सकता। मैं समझता हूं कि सदन में समझदार आदमी हैं लेकिन अगर समझता हुआ आदमी समझे नहीं और वह समझना चाहता नहीं तो मेरा खयाल है कि ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकता। आप सिद्धान्त की बात नहीं समझ पाते जब कि हर वक्त सिद्धान्त की ही बातें किया करते हैं तो फिर मैं कैसे आपको समझा सकता हूं ?

श्रीमन्, जो दलीलें दी जाती हैं वे इसीलिये कि सदन का समय बर्बाद किया जाय और इस तरह शोर मचाया जाय ताकि पेपर में निकले कि विरोधियों ने बड़ा प्रबल विरोध किया, चाहे उसमें तत्व न हो। संशोधन बड़ा सरल है। बटवारे के लिये उस सिद्धान्त के अनुकूल जो नियत किये जायं बिक्री की दर लगाई जाय और उसका वितरण किया जाय।

जोरावर वर्मा जी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि नीति और सिद्धान्त में क्या फर्क है। उनको फर्क ही नहीं मालूम होता। उनको नीति और सिद्धान्त की बात समझाई जाय तब वह समझ पायें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रेस करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, यह जो संशोधन है पहले जो १७८ की उपधारा (१) में जो शब्द थे उसमें से कुछ शब्द निकाल कर यह संशोधन रक्खा गया है "ऐसे खाते की तकसीम न होगी जिसका पूरा सवा ६ एकड़ से कम हो जाय या जिसका कुल रकबा सवा ६ एकड़ से कम हो, उसके बजाय ३ एकड़ करें। लेकिन जो शब्द उसमें थे वे शब्द इसमें रखने से ये अल्फाज बाकी रह गये थे "खाते को ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायं बांट देंगे"। ये अल्फाज माननीय राजकुमार शर्मा जी बढ़ा रहे हैं, नई बात नहीं कर रहे हैं। इसमें यह है "में आने वाली दशाओं में या तो वाद को खारिज कर देगा या खाते को ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, बांट देगा।" इस सब-सेक्शन में सवा ६ एकड़ के बजाय तीन एकड़ करने के लिये शब्द बढ़ाये जा रहे हैं। जो शब्द पहले ऐक्ट में थे वही शब्द रक्खे जा रहे हैं। पहले कोई खराबी नहीं थी और अब खराबी हो रही है। माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि नियत किये जाने में और सिद्धान्तों में क्या फर्क है। न मालूम क्या कह रहे थे ! जो शब्द पहले ऐक्ट में थे वही एड किये जा रहे हैं। 'बजाय' और 'उसकी बिक्री' के बीच ये शब्द रखे गये हैं "ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायं" तो इससे क्या फर्क हुआ ? आप यह कह रहे थे कि पहले नियत था और अब सिद्धान्त किया जा रहा है तो कुछ फर्क मालूम होता है। ऐसा कौन सा नियत था जिसको अब नहीं कर रहे हैं और वह पहले था ? माननीय सदस्य हर एक बात के लिये खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बात हो गयी

और इससे यह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बिल्कुल बेकार हो गया है और इसमें कोई फायदा नहीं होगा। एक यही सबक सीख रखा है और उसी की बारबार रट लगाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १७८ की प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ४ में शब्द "बजाय" और शब्द "उसकी बिक्री" के बीच में शब्द "ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायं" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "बांटने के बजाय" के पश्चात् का पूर्ण वाक्य "उसकी बिक्री.....आदेश देगा" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"बटवारा इच्छुक व्यक्ति को आदेश देगा कि वह खेती पर लागत पूंजी को दूसरे पक्ष को देकर जो खेती करेगा अन्न या उपज का हिस्सा ले-ले"।

तो इस संशोधन के हो जाने के बाद यह उपधारा इस तरह से हो जायगी कि "उपधारा ३ में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर जब कभी किसी बटवारे के बाद में न्यायालय को ज्ञात हो कि बंटने वाले खाते अथवा खातों का कुल क्षेत्र ३ १/८ एकड़ से अधिक नहीं है तो न्यायालय खाता अथवा खातों को बांटने के बजाय बटवारा इच्छुक व्यक्ति को आदेश देगा कि वह खेती पर लागत पूंजी को दूसरे पक्ष को देकर जो खेती करेगा अन्न या उपज का हिस्सा ले-ले" यदि मेरे संशोधन को मान लिया जाय तो वह ऐसे हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक में यह संशोधन पेश किया है इसके लक्ष्य की पवित्रता से मुझे सन्देह नहीं है। मैं कम से कम इतना तो समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की मंशा केवल यह है कि जो छोटे खाते हैं वह अब और छोटे न होने पावें। लेकिन मुझे शंका है कि ये जो छोटे खाते हैं वे और छोटे हो जायंगे यदि उनको छूट दी जायगी। यदि खातेदार अपने छोटे खातों के लिए जो तीन सही एक बटा आठ एकड़ से भी छोटे खाते हैं उनके बटवारे के लिये अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे तो अदालत उन खातों को बांट देगी और मिले हुये पैसों का यथोचित बटवारा कर देगा मैं यह समझता हूं कि इसका दो तरह से विचार हो सकता है। एक तो यह कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ जमीन जैसा माननीय मंत्री जी समझते हैं दबाव के कारण किसान डर कर कि उसके खेत का बटवारा न होजाय नीलाम न होजाय अदालत उसको बेचकर उनके पैसे का बटवारा न करदे बटवारे की दरख्वास्त नहीं देगा। मैं समझता हूं कि यह ग़लत है, मैं जहां तक समझता हूं कि इसका छोटे खातों पर अप्रत्यक्षरूप से प्रभाव पड़ता है और वह यह कि छोटे खेत बिक जायंगे। इसलिये बिकेंगे कि आज हमारे देश की हालत खराब है, गरीबी है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश का किसान दूरदर्शी नहीं है, वह सोच नहीं पायेगा। इसलिये वह वैमनस्य के कारण एक दूसरे से द्वेश के कारण और कहीं-कहीं मजबूर होकर अपने खाते के लिये बटवारे की दरख्वास्त दे देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना देश पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि इस बात के मानने में किसी को कोई एतराज नहीं होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था अव्यवस्थित है, इसमें भी माननीय मंत्री जी को कोई संदेह नहीं होगा। हमने अपने गांवों का अनुभव किया है कि इतनी ही बात नहीं है कि छोटे-छोटे खातों के लिये ही लोग लड़ते हों, रुपया और पैसों के ही पीछे लड़ते हों, लेकिन जब बटवारा होता है तो लोग पेड़ों की छाया तक के लिये लड़ते हैं और इसके पीछे कि यह पेड़ हमारे घर के सामने है इसलिये उसकी छाया हमें मिलनी चाहिये लोग यहां तक लड़ते हैं कि कत्ल तक हो जाता है। ऐसा भी होता है। मान लीजिये, एक घर का बटवारा हुआ, वसन्त की ऋतु आयी और मधु ने एक छत्ता रक्खा। अब बटवारे के बाद उस पर भी झगड़ा

[श्री रामेश्वर लाल]

होता है कि यह मधु का छत्ता चूंकि बटवारे के पहले का है इसलिये उसका मधु दोनों का है। मैं यह कहता हूं कि हमारे देश में लोग आर्थिक अव्यवस्था, गरीबी और निर्धनता से इतने पीड़ित हैं और इतने पिछड़े हुए हैं कि कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे मामलों पर लड़ जाते हैं फिर इस बटवारे को लेकर तो गांवों में बहुत से झगड़े खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जायंगे। फिर इस बटवारे का परिणाम यह होगा कि छोटे खाते वाले जमीन विहीन हो जायंगे। गांवों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे वाले हैं छोटे खाते उनके पास चले जायंगे। जब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ३ १/८ एकड़ से छोटे खाते न हों तो वे छोटे खाते वाले जो बिना खेती के रह जायं उनके लिये यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई बिना खेती के रह जाय और उसके पास जीविका का कोई साधन न हो तो उसके लिये रोजी का प्रबन्ध किया जाय। अगर यह व्यवस्था होती तो मैं आज इस संशोधन को न रखता। चूंकि यह व्यवस्था आज है नहीं इसलिए मुझे यह संशोधन रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। किसी भी जिम्मेदार और प्रजातांत्रिक सरकार को किसानों के हित का हर तरह से ध्यान रखना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं केवल उनसे ऐसा ही कहना चाहता हूं कि इसका कुपरिणाम होगा इस धारा के रहने से छोटे खाते वालों के खाते समाप्त हो जायेंगे, बिक जायंगे और बड़े खाते वालों के खाते बढ़ जायंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत सी बातें कही गयीं, माननीय मंत्री जी ने भी बहुत बड़ी-बड़ी सफाइयां दीं। जब माननीय त्रिपाठी जी ने अपना संशोधन रक्खा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो अदालत की बात है, अगर वे अदालत में दरख्वास्त देंगे तो ऐसा होगा। अगर वे पंचायती तौर पर बटवारा करते रहेंगे तो होते रहेंगे। मान लीजिये, गांव में दो भाई हैं जिनके पास ३, ३ एकड़ खेती के ८ खाते हैं। अब वे अपने खाते तकसीम कराते हैं और अदालत से हस्तक्षेप नहीं कराते, पंचायत द्वारा ही बांट लेते हैं, तो उनके पास डेढ़ एकड़ के ८ खेत हो जायेंगे। उनके पास छोटे-छोटे टुकड़ों की ८ स्थान पर खेती हो जायगी, उसमें उनको कितनी लेबर लगानी होगी, कितनी परेशानी होगी, कितना बीज और खाद डालना होगा और इस प्रकार से उनका कितना नुकसान होगा, किस प्रकार से वे सिंचाई करेंगे और कितना अधिक खर्चा होगा, इन सब को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि वे खाते अलाभकर होंगे। फिर भी माननीय मंत्री जी यह भाषण देते हैं कि यदि वे अदालत में न जायेंगे तो बांट सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को गांव की एक घटना बता देना चाहता हूं क्योंकि वे बहुत कहते हैं कि पर्सनल इक्सपीरियेंस के आधार पर संशोधन लाते हैं। मान लीजिये कि दो भाइयों के खेत अलग-अलग हुए। एक भाई अपने खेत को जोतने के लिये गया। एक खेत पर हल चला कर वह दूसरे टुकड़े पर चला गया जो कि दूसरी तरफ था, इस प्रकार वहां से वह तीसरी तरफ चला गया और फिर चौथे खेत पर चला गया। इस प्रकार उसको खेत जोतने के लिये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जाना पड़ा। उसकी औरत उसे खाना देने के लिये खेत पर गयी। वह पूरब के टुकड़े पर गयी, दक्षिण के टुकड़े पर गयी, उत्तर के टुकड़े पर गयी और जब वहां भी नहीं मिला तो फिर पश्चिम के टुकड़े पर गयी और जब वहां भी नहीं मिला तो वह खाना लेकर घर पर वापस आ गयी। चूंकि वह चार खेतों पर हल चला कर घर आया था और उसे खाना नहीं मिला था, जिससे क्रोधित था ही उसने अपनी औरत की जान ही गुस्से में ले डाली। तो माननीय मंत्री जी से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। हम चाहते हैं कि खातों के बटवारे न हों लेकिन फिर भी मुख्तलिफ खाते बन ही जाते हैं। किसानों को बड़ी परेशानी होती है और माननीय मंत्री जी जो खातों का बटवारा रोकना चाहते हैं वह इस कानून से नहीं रोक सकते। यदि वे हमारे संशोधन को मान लेते हैं तो इन खातों के बंटने की कोई जरूरत नहीं होगी। अदालतें जो बटवारा चाहता है उसको यह आदेश देंगी कि वह खेती पर लागत पूंजी

को दूसरे पक्ष को देकर जो खेती करेगा अन्न या उपज का हिस्सा लेले। अगर संयुक्त खेती या सहयोगी खेती हो तो हिन्दुस्तान का भविष्य उज्ज्वल दिखलाई पड़ सकता है। संयुक्त परिवार, संयुक्त खेती और सहयोगी खेती को लक्ष्य करते हुए आप हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि अगर एक आदमी खेती करता है तो दूसरा आदमी जो खेती नहीं करना चाहता है लागत देकर अपने हिस्से का अनाज लेले। अगर सहयोगी खेती हो तो आपके दोनों लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, बटवारा भी नहीं होता है और पैदावार भी बढ़ जाती है। बटवारा यदि होता है तो फिर संयुक्त परिवार नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह संशोधन पेश करके उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामेश्वरलाल जी के संशोधन का रलुक्टेंटली आपोजीशन करता हूं। जो इस समय सरकार की ओर से कानून बनाया गया है वह और जो इनका संशोधन है वह एक ही बात को लक्ष्य करता है कि छोटी छोटी जोतों का बटवारा न किया जाय। सरकार की ओर से जो कानून बनाया गया है वह दो दृष्टिकोणों को सामने रख कर बनाया गया है। वह यह कि वास्तव में समाज की परिस्थिति क्या है, आर्थिक अवस्था क्या होगी, उसका जुरिस्प्रूडेंस क्या होगा, अदालतें कैसे फैसला करेंगी, कैसे जजमेंट होगा, इन तमाम बातों को दृष्टिकोण में रख कर ही सरकार की ओर से कानून बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में जो ३ १/८ एकड़ के बटवारे का प्रतिबन्ध लगाया गया है वह इसीलिये कि छोटी छोटी जोत हो जायं। जहां तक संशोधन की बात है कि जो बटवारे का इच्छुक हो उसे नाज का हिस्सा बांट दिया जाय, तो यह एक बड़ा वेग सा है और अदालतों के लिये भी बड़ी मुसीबत की बात है। कानून जो हो वह सरल होना चाहिये और इतना सुविधाजनक होना चाहिये कि अदालतें कानून की परिधि के भीतर न्याय कर सकें और समाज में उसका उचित अर्थ लगाया जा सके और समझाया जा सके। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जो हमारे सामने पेश है वह समाज में एक बड़ी ही क्रांतिकारी परिवर्तन की सीमा निर्धारित करता है, जिसकी हम आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जिसके एक एक क्लाज में इधर उधर करके हम संशोधन द्वारा आसानी से नहीं बदल सकते हैं। जो उसकी पूरी सीमा है उसके भीतर से पार होना पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि छोटी छोटी जोतों के डिवाइड करने की बात बड़ी गम्भीरता से सोचने की है। फिर भी जो कानून सरकार की ओर से आया है या जो यह संशोधन आया है, हमें भय है कि ये दोनों खातों को छोटा करना रोकने में असमर्थ होंगे। और मुझे भय है कि खाते बटते चले जायंगे और छोटे छोटे टुकड़े होते चले जायेंगे और कानून भी जो बनाया जा सकता है वह भी जो जुरिस्प्रूडेंस की परिपाटी है उसके अनुसार ही बनाया जा सकता है। अभी वक्ता महोदय श्री रामेश्वर लाल जी ने यह कहा कि छोटी जोतों के होने से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। मैं इसमें उन से सहमत हूं और वाकई यह बात है कि सन् ५२ में हमारा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाया गया और दो तीन बार उस में संशोधन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो कुछ उस की रूपरेखा बनी है वह अधूरी सी ही है और वह चीज अभी तक हम नहीं कर पाये हैं कि हमारे यहां बड़ी बड़ी जोतें हों और इकनामिक जोतें हों। जमींदारी आबालीशन के बाद भी जो हमारे बड़े बड़े सीरदार या फार्म होल्डर्स हैं जिन का बड़ी बड़ी जोतों पर अधिकार है उन के पास भी इतनी पूंजी नहीं है और न उन के पास वह शक्ति है कि वह नये तरीकों से अपने यहां कलटीवेशन को आर्गेनाइज कर सकें और वह भी जो कुछ हैं इधर उधर छितराये हुये हैं। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो बना है उससे इतना ही हुआ है कि बेदखली बन्द हो गई लेकिन १, २, ४ या ५ एकड़ की जो होल्डिंग्स हैं वे अपनी जगह पर अब भी मौजूद हैं और उनके पास जो खेतों के लिये पूंजी, साधन और सुविधायें होनी चाहिये वे नहीं है। अगर सरकार उस ऐक्ट में इस तरह का क्लाज रखती कि जिससे देश में प्रोडक्शन अधिक से अधिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

होता तो बहुत ही अच्छा होता। अगर विभिन्न खेतों की फरटिलिटी देख कर एक खास प्रोडक्शन की सीमा निर्धारित की जाती कि इस से कम अगर पैदावार होगी तो बेदखल कर दिया जायगा तो निस्संदेह हमारे यहां पैदावार बढ़ जाती, जैसा कि अमेरिका इंगलैन्ड और जर्मनी वगैरह में है। अब देखना यह है कि हमें इन छोटी-छोटी जोतों पर ध्यान देना चाहिये कि जो अन-एकनामिक हो कर रह गई हैं और जिन में ठीक तरह से खाद और बीज नहीं पहुंच पाता है। छोटी जोतों के बारे में भय है कि वह उचित पैदावार दे सकें। लेकिन हमें देखना यह है कि सरकार की नीति भी तो इस संबंध में वही है जो संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य की है। उसमें कोई फर्क नहीं है। इस को मानने से बड़ा भारी प्रश्न पैदा हो जायगा कि कहां सीमा मुकर्रर करें और न इस संशोधन की कानूनी शक्ल ही रह जायगी और अजीब सी बात हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं और विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय रामेश्वर लाल जी ने पेश किया है वह अनावश्यक है। जो कुछ चाहते हैं वह दरअसिल सरकार की ओर से जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उससे पूरा हो जाता है। उनके भाषण को जहां तक मैं सुन सका उस में केवल इतनी बात है कि अगर इस तरह से नीलाम होगा तो खेतिहरों के झगड़े बढ़ने लगेंगे और रोजाना फौजदारी होंगी। मैं भी ग्रामजीवन से वाकिफ हूं और जैसा कि वहां का वातावरण है उस में वहां बटवारे का प्रश्न तभी आता है जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और आपस में झगड़ा तय नहीं हो पाता और कोई किसी कीमत पर भी भाई को हिस्सा देने को तैयार नहीं होता चाहे सर्वस्व चला जाय लेकिन विपक्षी को न मिले और सरकार ने इसमें बहुत समझ कर यह रखा है कि जो झगड़े की जड़ है वह खत्म हो जाय। दोनों आपस में जो झगड़ते रहेंगे, लिटीगेट करते रहेंगे, और यह न चाहेंगे कि एक ही आदमीउसको ले-ले बल्कि यह चाहेंगे कि दूसरा आदमी किसी प्रकार से न पाये। तो सरकार ने इस पहलू को देखा और कहा कि अगर ३ १/८ एकड़ से कम नहीं होती तो अच्छा है कि नीलाम कर दिया जाय और उस नीलाम से जो बिक्री की प्रोसीड्स हों वह उन दोनों में बांट दिया जायगा। अगर आपस में मिल कर तय कर लेते हैं तब तो बटवारे का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा और ऐसे दावे आवेंगे नहीं। तो जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे माननीय मित्र ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रश्न को देखना चाहा है लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देहात में यह है कि कोई अपने विपक्षी को फूटी आंखों नहीं देख सकता। उस आधे हिस्से को कोई अपने विपक्षी को किसी दाम पर नहीं देना चाहता। इसलिये इस झगड़े को हमेशा के लिये निपटाने के लिये ताकि दोनों पार्टियों में से किसी के दिल में जलन बाकी न रहे गवर्नमेंट ने यह कर दिया है कि तीसरा आदमी उसको ले-ले और धन का बटवारा बराबर बराबर हो जाय। मैं रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो मंशा है वह इस संशोधन विधेयक में जो बात है उससे पूरा हो जाता है और जो उनका संशोधन है उसके रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यों तो खाते के बटवारे पर बड़ी देर से बहस हो रही है लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि छोटे-छोटे खाते माननीय मंत्री जी करना नहीं चाहते लेकिन छोटे-छोटे खातों को वह बिकवाना चाहते हैं। छोटे खाते वालों के पास इस संशोधन विधेयक के अनुसार कोई जमीन न रहे, यही मंत्री जी कहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में पहले से भी धारा १७८ में कहा गया है कि सवा ६ एकड़ से कम के खाते अगर कोई बटवाना चाहेगा तो उसे दरख्वास्त देनी होगी तो नीलाम किया जायगा। इसमें

भी यही बात है कि तीन सही एक बटा आठ के खातेवाले आदमी अगर बटवाना चाहेंगे तो दरख्वास्त देंगे कि हमारे खाते का बटवारा कर दिया जाय तो उनके खाते का नीलाम करके उसका हिस्सा दे दिया जायगा। हमारे भगवती प्रसाद जी शुक्ल का कहना यह है कि झगड़ा खत्म करने के लिये यह किया जा रहा है। लेकिन नीलाम जब कर दिया जायगा तो जमीन उससे निकल जायगी और दूसरों के पास चली जायगी। जब वह जमीन नीलाम पर चढ़ जायगी तो उसके पास पैसा नहीं होगा उसके पास से जिसके पास पैसा होगा उसके पास वह खाता हो जायगा और कल से उसके पास कोई जमीन नहीं रहेगी और वह मजबूर होगा कि दूसरे के खेत पर जाकर मजदूरी करे। तो माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन के मुताबिक यह बात मान ली जाय तो खाता दूसरों के हाथ में जाने से बच सकता है। यानी अगर एक खाता है तो उसके दूसरे भाई के पास चला जायगा और उससे वह पैदावार कर सकेगा और खायेगा और कमायेगा। लेकिन जमीन किसी दूसरे के पास नहीं जायगी यह उसमें था कि बटवारा कर दिया जाय लेकिन इसमें माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन में यह किया है कि खाता तो रहे, लेकिन वह खाता दूसरे के हाथ में न चला जाय। वह जिनका खाता है उन्हीं के पास रहे। उन्होंने इस संशोधन में दिया है कि अगर कोई आदमी जो अपने खाते का बटवारा चाहता है और न्यायालय में जाकर दरख्वास्त देता है तो उस जमीन को नीलाम न करके उसको यह आदेश दिया जाय कि वह खाते में जितनी पैदावार होती है, और उसकी लागत जितनी कि उस खाते में लगी है, उसको वह आदमी कि जो बटवारे की दरख्वास्त देता है दूसरे को अदा करे और उससे जो पैदा हो उसमें से आधा-आधा बांट ले। इस तरह से वह खाता रह जाता है और जमीन उस खातेदार के पास रह जाती है। तो यह एक बहुत सुन्दर प्रस्ताव है और मैं आशा करता हूं कि इसे हमारे माननीय मंत्री जी अवश्य मान लेंगे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इस बारे में कुछ थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप निवेदन कर सकते हैं। मैं अभी प्रश्न उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन के बारे में हाउस में कुछ गलतफहमी हो रही है सही मानों में.....

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या मैं यह समझूं कि चेयर ने श्री राजनारायण जी को बोलने की इजाजत दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां।

श्री राजनारायण—खुदा की शान है नाचीज चीच बन बैठे, क्या कहूं। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन यहां पर उपस्थित किया है वह केवल एक बीच का रास्ता है और श्री रामेश्वर लाल जी या माननीय गेंदा सिंह जी या माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी सभी ने अपनी स्पष्ट राय यहां जाहिर कर दी है....।

श्री देवदत्त मिश्र—मैंने प्रस्ताव किया है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं देता। माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह बोलते रहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी सी उदारता के साथ स्ट्रिक्ट रहें। उदार भी रहिये, लेकिन स्ट्रिक्ट भी रहिये। तो मैं यह निवेदन कर रहा

[श्री राजनारायण]

था कि हमने तो अपनी राय स्पष्ट कर दी कि हम खाते के बटवारे पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, उसको नहीं मानते। ३ १/८ एकड़ हो या ६ १/४ एकड़ हो या इसके बीच में कोई और संख्या रख दी जाय, हमारा स्पष्ट मत है कि इस समय खाते के बटवारे पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। यह बात तो बिलकुल साफ हो जानी चाहिये। मगर यदि सरकार खाते के बटवारे पर प्रतिबन्ध लगाना ही चाहती है और वह लगाया जायगा तो उसके लिये एक सुन्दर सुझाव माननीय रामेश्वर लाल जी ने रक्खा और यह एक कंप्रोमाइजिंग फारमूला के रूप में है। इसलिये इसको समझने में किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिये कि माननीय रामेश्वर लाल जी जो खाते के बटवारे पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है उसके हामी हैं।

रामेश्वर लाल जी खातों के बटवारे पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है उसके विरोधी हैं। यह बीच का फारमूला उन्होंने निकाला। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे उसको अफसरों की परेशानियों से परेशान न होना पड़े। रामेश्वर लाल जी का यह संशोधन बहुत ही अच्छा है कि एक जोते और दूसरा लागत दे-दे और अन्न को बांट लें। तो इस तरह से अन्न की समस्या हल होती रहेगी। बस यही निवेदन करना था।

श्री शिवनारायण--मैं आपकी इजाजत से इस अमेंडमेंट का....

श्री देवदत्त मिश्र--मैं चाहता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने शिव नारायण जी को मौका दे दिया है। इसके बाद आपके प्रस्ताव को ले लूंगा।

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामेश्वर लाल जी के अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपोजीशन बैंच का यह बहुत ही रिएक्शनरी अमेंडमेंट है। मैंने सोशलिस्ट पार्टी की बातों को सुना। यह लोग चाहते हैं कि हर जगह झगड़ा रहे जब कि सरकार चाहती है कि मेल हो। इसलिये यह प्रतिबन्ध किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने जिन लोगों के साथ जितना एहसान किया है उतनी ही वह एहसान फरामोशी करते हैं। सन् १९३७ की गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े जमींदारों की पटौधन कानून से जमीन बिकने से रोकी वरना इस बर्लिन्गटन होटल में वह सारी जमीन बिक कर उड़ गई होती शराब में और न जाने किस-किस चीज में। आज भी गवर्नमेंट का एहसान है उन गरीब किसानों पर कि सवा ६ एकड़ से तीन सही एक बटे आठ कर दिया। इसीलिये कि गांवों में मेल हो, फूट न हो। घर की फूट से सदैव लूट होती है। रावण का नाश हुआ। हमारे लाल टोपी वाले चाहते हैं कि फूट हो और हम मजा उड़ायें देश में और निमंत्रित करें विदेशियों को और देश का ढांचा ठीक चलने न पाये। यह अमेंडमेंट बिल्कुल रिएक्शनरी है। रस्किन ने बताया है कि दो मजदूर मिल कर काम करने गये और जब एक बीमार हो गया तो एक उसकी एवज में उसके खेत पर काम करता रहा और उसके ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया और वह बीमार मजदूर उसके अधीन हो गया। यह चीज हमारे लायक दोस्त लाना चाहते हैं। भला ऐसा कौन है कि काम करे खुद और फायदा दूसरे को दे-दे। तो यह लोग देहात को बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं कि गरीबों की सही मानों में नुमाइन्दगी कीजिये। जो सही बात हो उसको सपोर्ट कीजिये। सरकार यह प्रतिबन्ध लगा करके गांव वालों को सुखी देखना चाहती है ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, उनकी गरीबी दूर हो जाय। मैं कहता हूं कि तीन सही एक बटे आठ छोड़ दीजिए। हमारे शहरों में कस्बों में जो कुंजड़े हैं उनके पास एक बीघा डेढ बीघा जमीन होती है और उसी से इतना पैदा करते हैं कि उनका सारा खानदान चलता है। सरकार का यही लक्ष्य है कि हम अन्न अधिक पैदा करें ताकि अमेरिका, रूस वगैरह से अन्न न मंगाना पड़े। अपनी इकोनामिकल प्राबलम्स को स्वयं हल करें; यही लक्ष्य है सरकार का। तो समझ में नहीं आता कि यह क्या चाहते हैं आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि कल मैंने सोशलिस्ट पार्टी के एक अमेंडमेंट को सपोर्ट किया।

गेंदासिंह जी ने एक बात कही थी जो वाकई जंचने वाली थी। उसको मैंने सपोर्ट किया था। मैंने विरोध नहीं किया था। मैंने कहा कि जायज बात है और उसको सपोर्ट किया। लेकिन यह बातें गरीबों को उजाड़ देने वाली है, उनको बरबाद कर देने वाली हैं। मैं रामेश्वर लाल जी से कहूंगा कि मैं उनसे ज्यादा गरीबों का हमदर्द हूं। वह यह समझते हैं कि लाल टोपी वाले ही गरीबों के हमदर्द हैं, क्रांतिकारी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम उनसे कम क्रांतिकारी, उनसे कम गरीबों के हमदर्द नहीं हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, वह जहां चाहें वहां मैं उनको देख सकता हूं। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि गरीबों का भला किसमें है यह देखा जाय, इसको वह देखें। इसी में उनकी भलाई है, हमारी भलाई है और सारे प्रदेश की भलाई है।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले जब इस संशोधन को उपस्थित किया था तो उपस्थित करने के साथ ही मैंने बड़े नम्र शब्दों में और विनम्र भावना से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि इसके रखने की मंशा क्या है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी ही थी कि जो खाता कम खाता होने के कारण बंट नहीं सकता और उसके लिये यह अधिकार दिया जा रहा है कि रुपये पर उसको बेंचकर उन खातेदारों को रुपया अदालत बांट दे, उसमें सीधी भावना से यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को मान लें कि वह खाता बेंचा न जाय बल्कि वह खाता उन्हीं लोगों के पास रहे जो खेती करना चाहते हैं। जो खेती करना नहीं चाहते वह खेती करने की लागत देकर अनाज प्राप्त करें। यह मेरी मंशा है। सहयोगी खेती जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजना में माना है, मैं चाहता हूं कि उसी आधार को हम यहां प्रतिपादित करें। यह मेरे कहने का मतलब था। लेकिन मेरे लायक दोस्त जिन्होंने इस पर भाषण दिये उन्होंने शायद मेरी मंशा को समझा ही नहीं और मुझे बड़ी हैरत हुई जब माननीय शिवनारायण जी हरिजन रिप्रिजेंटेटिव जो दावा करते हैं कि सारे सूबे के हरिजनों के एकमात्र रिप्रिजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रियावादी है.....

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि मैं सारे सूबे का रिप्रिजेंटेटिव हूं।

श्री रामेश्वर लाल--अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी, मैं यह नहीं कहता कि पढ़े लिखे नहीं हैं या वह पढते नहीं है यह मैं कैसे कहूं कोई साहब कह रहे हैं कि वह फेल हो गये, लेकिन अगर माननीय शिवनारायण जी राधाकमल मुकर्जी की ऐग्रेरियन रिफार्म्स इन इंडिया नाम की पुस्तक पढ़े होते तो उन्हें मालूम होता कि उन्होंने यह माना है कि खाते का बटवारा जो है, उनमें हरिजनों के पास सबसे कम खाते है और बहुत छोटे खाते हैं। माननीय शिवनारायण जी कबूल करेंगे और मैं चाहूंगा कि वह सफाई देंगे कि .....

श्री शिवनारायण--आपकी इजाजत से मैं सफाई दे दूं?

श्री रामेश्वर लाल--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जो खराब कर रहे हैं उसका खयाल रखियेगा। मैं जोर से जरूर बोल रहा हूं लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई गाली नहीं दे रहा।

तो मैं यह कह रहा था कि अपने प्रान्त में उनकी कौम एक ऐसी कौम है जिसकी हालत सबसे खराब है। जो गोबरहा से अपना पेट भरते हैं और उससे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं; उस जमात का एक आदमी जो उनका रिप्रिजेंटेटिव हो, वह भाषण करे और यह कहे कि यह रिएक्शनरी है.....(शोर)

श्री शिवनारायण--मैं अब भी कहता हूं कि रिएक्शनरी है।

श्री रामेश्वर लाल--वह भाषण देने खड़े हुये तो उन्होंने कहा कि किसी विदेशी को बुलाने की साजिश मैं कर रहा हूं। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठा हुआ मैं पाकिस्तान को लाने की या रूस या अमेरिका को लाने की साजिश कर रहा हूं। यह, उपाध्यक्ष

[श्री रामेश्वर लाल]

महोदय, समझ की नादानी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे अवसरों पर नादानी करने की कोशिश ये करते हैं हमारे होने वाले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री शिवनारायण जी मैं कहना नहीं चाहता आगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता का रिप्रेजेंटेशन करना है और सही रिप्रेजेंटेशन करना है तो जैसा वह अपने को ईमानदार समझते है वैसे ही ईमानदारी से जनता के हित की बात को समझना चाहिये। जब जमीन जायदाद के बटवारे का सवाल आता है तो यहां कहते हैं कि नहीं होना चाहिये और बाहर निकलते हैं तो उसी दिन हमसे कहते हैं कि हम तो बंधे हुये हैं।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, वह बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल---हमारे एक लायक दोस्त ने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने उनकी बात पर बड़े गौर से सोचा और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कानून की एक परिपाटी होती है। अरे क्या परिपाटी होती है कानून पर काल का प्रभाव रहता है! अगर कानून पर काल का कोई प्रभाव न हो तो बड़ा अनर्थ हो जाय। संसार के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कानून हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर फांसी नहीं होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे भी देश हैं, जहां पर डाकुओं को कत्ल किया जाता है, शेरों से नुचवाया जाता है और उनकी आंखें तक निकलवा ली जाती हैं।

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि अभी-अभी माननीय सदस्य ने दो एक शब्द ऐसे कहे हैं कि मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होना चाहता हूं या डिप्टी मिनिस्टर होना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह अन-पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--- यह कोई आपका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यदि आपको कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना होगा तो मैं आपको उसके लिये मौका दे दूंगा। आपको स्पष्टी-करण देना होगा, भाषण नहीं।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण ही देना चाहता हूं। अभी उन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लगाया कि मैंने उनसे कहा कि मैं बंटवारे से सहमत हूं और सदन में नहीं कहता हूं। वह सरीहन गलत कहते हैं और झूठ बोलते हैं। मैंने कभी भी आज तक उनसे कोई बात नहीं कही। एक सम्मानित सदस्य को दूसरे सम्मानित सदस्य के प्रति इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिये। मैं दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने शब्दों को वापस लें।

श्री चरण सिंह--- उपाध्यक्ष महोदय, धारा १७८ जिसको संशोधित किया जा रहा है उसके सिलसिले में कई दोस्तों की तरफ से आशंका प्रकट की गई है क्योंकि अगर तकसीमी नहीं होगी तो फिर फौजदारी होगी और देहातों में अशान्ति बढ़ेगी और लोग मजबूर होंगे और वह अपने-अपने खेतों को छोड़ कर शहरों में मजदूरी करने जायंगे और जमीन अमीर आदमियों के हाथ में चली जायगी। श्रीमन् मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह उनकी आशंका निर्मूल है क्योंकि आज भी छोटे खाते हों या बड़े खाते हों, गांव के लोग अपने तजुर्बे से काम लेते हैं। गांवों में हम यह देखते हैं कि १०० किसानों में से ९५ किसान ऐसे हैं जिनके खेत मुश्तर्का हैं और मौके पर अलहदा २ खेती कर रहे हैं। वह तकसीमी के लिये अदालत कभी नहीं गये हैं। मुश्किल से ५ प्रतिशत केसेज ऐसे होते हैं जब खातेदारों में झगड़ा हो जाय, मनमुटाव हो जाय या वैमनस्य हो जाय तो अदालत में जाने की नौबत आये वरना वह लाइन डाल लेते हैं,

पर्ची डाल लेते हैं, लाटरी डाल लेते हैं, गांव के लोग, खानदान क लोग और पंच इकट्ठे होते हैं और मौके पर ही तकसीमी करा देते हैं। अदालतों में तो ५ प्रतिशत केसेज के जाने की मुश्किल से नौबत आती है। इसमें भी केसेज बहुत ही कम होंगे जिनमें अदालत में जाना पड़ेगा। इसके बाद सोचने की बात यह है कि अदालत में जाना होता है जब अन्याय होता है। मान लो, ३१ बिस्वे जमीन दो भाइयों के पास ह। एक के पास १५ और दूसरे के पास १६ बिस्वे हैं। अगर उनमें झगड़ा होगा तो घर के लोग, कुटुम्ब के लोग और गांव के लोग इकट्ठा होंगे और मामले को तय करा देंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बिस्वे क ऊपर कोई अदालत में जाना चाहता ह। लकिन अगर ३१ बिस्वे में आधे का हिस्सेदार है और उसे बिल्कुल कब्जा न दिया जाय और यह बहुत कम सूरतों में होता है। और ऐसी सूरतों में ही हिस्सेदार जब कि उसको बिल्कुल महरूम कर दिया जाय डिस्पोज कर दिया जाय और अपने हिस्से के लगभग भी जमीन न दी जाय तभी अदालत में जाता है और अगर थोड़ा बहुत फर्क है दोनों के हिस्सों में टुकड़ों में, तो अदालत में जाने से पहले दोनों फरीक यह सोचेंगे कि अगर गये तो जमीन नीलाम हो सकती है और निकल सकती है। तो मेरा खयाल यह है कि इस प्रावीजन से यह होगा कि अगर एक भाई ने दूसरे भाई की थोड़ी बहुत जमीन दबा भी ली है तो इस डर से कि वह अदालत में नीलाम न हो जाय वह घर पर ही फैसला कर लेंगे, अदालत में नहीं जायंगे। यह इसका असर होगा। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ९५ फीसदी खातों में जमीन गांव-गांव में ही तकसीम हुई, जिसको रिअरेंजमेंट या म्युचुअल अरेंजमेंट कहते हैं, अदालत के जरिये नहीं हुई है और उन ५ फीसदी में भी जब यह अन्देशा है कि नीलाम हो जायगी तो मेरी गुजारिश यह है कि इन ५ फीसदी में से भी ४ फीसदी ऐसे होंगे जो घर पर बैठ कर फैसला कर लेंगे और इस खतरे को नहीं उठायेंगे कि नीलाम हो जाय। इसलिये हम केवल अपनी भावना से या कल्पना से काम ले रहे हैं कि इसमें बड़े फसाद होंगे, नीलाम हो जायगी, सब लोग भूमिहीन हो जायंगे और आम तौर से ऐसा होगा।

श्रीमन्, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं इन खातों की तादाद बहुत थोड़ी है जो ५ बीघे पुख्ता से कम हैं। बाकी तो सब बड़े हैं। इसलिये यह आशंका नहीं होनी चाहिये। अब जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, उसके जरिये आप कहते हैं कि—

"बटवारा इच्छुक व्यक्ति को आदेश देगा।"—यानी अदालत आदेश देगी—"कि वह खेती पर लागत पूंजी को दूसरे पक्ष को देकर जो खेती करेगा अन्न या उपज का हिस्सा ले-ले।" तो अदालत को कैसे पूंजी का पता लगेगा? हिस्सा लेते हैं, देते हैं, जिन्स का बटवारा होता है या नहीं इसका कौन हिसाब करेगा कि कितना अंश लिया गया? कैसे डिग्री बनेगी? कौन इजरा करायेगा? एक वेग सी चीज ह, इस तरह से अदालत में नहीं हो सकता। फरीकैन तो आपस में फैसला कर ही सकते हैं, अदालत तो मजबूरी की हालत में जायगा। अगर दोनों में यह सद्भावना हो सकती है कि एक भाई कानपुर में मुलाजिमत करता है और दूसरा भाई गांव में रह कर खेती करता है तो जो भाई वाकई खेती गांव में नहीं करता है उसका भी कब्जा माना जायगा, अगर एक भाई गांव में खेती करता है तो अदालत में आने की जरूरत ही नहीं है। यह अदालत के करने का काम नहीं है, समझौते का काम है। अदालत इस तरह की काउंटिंग नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं छोटे खातों का हामी हूं, लेकिन छोटे खातों की भी एक मिनिमम लिमिट होनी चाहिये। एक-एक एकड़ के खातों से किसी को फायदा नहीं और जैसा मैं कहते-कहते रुक गया था अधिवासियों को कि जिनके पास दो-दो डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन है, जिनको अधिकार देने के लिए बिल पर बहस हो रही है और अधिकार देने जा रहे हैं, उनको हम बिल्कुल अधिकार न देते अगर दूसरा रोजगार हमारे देश में होता, क्योंकि उस जमीन से उनकी पूरी गुजर

[श्री चरण सिंह]

होने वाली नहीं है। वह इकानामिक होल्डिंग नहीं है। उससे उसके खाने-कपड़े, बच्चों की तालीम और इलाज नहीं हो सकते, लेकिन आज कुछ न होने से थोड़ा होना अच्छा है। इसलिए उनको सीरदार या भूमिधर बनाने की योजना सदन के सामने आने वाली है। लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है उनको बेदखल नहीं करना चाहते। कुछ लोगों का यह खयाल है कि अधिवासियों को अधिकार नहीं मिलने चाहिये, जैसा कि माननीय पद्मनाथ सिंह जी की बातों से मालूम होता है, लेकिन मैं उनसे और दूसरे दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लाखों आदमी जायं कहां। आज जो कुछ है वही उनका सहारा है, उसी के सहारे पड़े हुये हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि आगे को और छोटे छोटे खाते न हो जायं।

तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी को मैं अपना नुक्ते निगाह समझाने में शायद कामयाब हो गया हूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "बांटने के बजाय" के पश्चात् का पूर्ण वाक्य "उसकी बिक्री. . . आदेश देगा" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"बटवारा इच्छुक व्यक्ति को आदेश देगा कि वह खेती पर लागत पूंजी को दूसरे पक्ष को देकर जो खेती करेगा अन्न या उपज का हिस्सा लेले।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३—क

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १८२-क तथा १८२-ख का रखा जाना।

२३—क—मूल अधिनियम की धारा १८२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १८२—क तथा १८२—ख के रूप में बढ़ा दिया जाय—

१८२—क—कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ५४ तथा आर्डर २०, रूल १८ के निदेश किसी खाते के बटवारे के बाद पर लागू होंगे मानो वह खाता ऐसा आस्थान हो जिस पर सरकार को अदा करने के लिये मालगुजारी निर्धारित की गई हो।

१८२—ख—(१) धारा १७८ से १८२ तक के निदेशों में की गई व्यवस्था को छोड़ कर, किसी खाते का बटवारा या उसमें किसी भूमिधर या सीरदार के अंश का पृथक्करण (separation) कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, किया जायगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियम बनाने के अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) खाते तथा प्रत्येक फरीक को प्रदिष्ट किये जाने वाले खाते के भागों का मूल्यांकन,

(ख) फरीकों के भागों को पृथक करने की रीति,

(ग) आपत्तियों को प्रस्तुत करने और उनकी सुनवाई तथा निस्तारण के सम्बन्ध में काम में लाई जाने वाली प्रक्रिया।

श्री राजकुमार शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३-क में प्रस्तावित धारा १८२-क की पंक्ति दो में शब्द "निदेश" और शब्द "किसी खाते" के बीच में शब्द "धारा १७६ के अधीन" रख दिये जायं और इसी धारा के अन्त में आये हुये शब्द "मानो वह खाता ऐसा आस्थान हो जिस पर सरकार को अदा करने के लिये मालगुजारी निर्धारित की गई हो" निकाल दिये जायं; तथा प्रस्तावित धारा १८२-ख में उपधारा (१) की पंक्ति ३, ४ व ५ में शब्द "कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, किया जायगा" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, किया जायगा" रख दिये जायं, और उपधारा (२) निकाल दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है; वह उसी बटवारे से सम्बन्ध रखता है। मेरी समझ में इसके बारे में विशेष समय बर्बाद करना अच्छा नहीं होगा और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३-क में प्रस्तावित धारा १८२-क की पंक्ति २ में शब्द "निदेश" और शब्द "किसी खाते" के बीच में शब्द "धारा १७६ के अधीन" रख दिये जायं और इसी धारा के अन्त में आये हुये शब्द "मानो वह खाता ऐसा आस्थान हो जिस पर सरकार को अदा करने के लिये मालगुजारी निर्धारित की गई हो," निकाल दिये जायं; तथा प्रस्तावित धारा १८२-ख में उपधारा (१) की पंक्ति ३, ४ व ५ में शब्द "कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, किया जायगा" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, किया जायगा" रख दिये जायं, और उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३-ख

२३-ख--मूल अधिनियम की धारा १८६ में--

(१) उपधारा (१) में--

(क) शब्द "खाता" और शब्द "लगातार" के बीच में शब्द "अथवा उसका भाग" बढ़ा दिये जायं,

(ख) शब्द "खाता" और शब्द "परित्यक्त" के बीच में शब्द अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं;

(२) उपधारा (३) में शब्द "खाता" और शब्द परित्यक्त के बीच में शब्द "अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं।

(३) उपधारा (४) में--

(क) शब्द "खाते को" और शब्द "परित्यक्त" के बीच में शब्द "अथवा उसके भाग को, जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १८६ का संशोधन।

(ख) शब्द "खाते के" और शब्द "विषय में" के बीच में शब्द "अथवा उस भाग के" बढ़ा दिये जायं, तथा शब्द "विषय में" और शब्द "यह" के बीच में शब्द "जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं।

स्पष्टीकरण—जब किसी खाते का साढ़े बारह एकड़ से अधिक कोई भाग उपर्युक्त से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ लगातार दो कृषि वर्षों तक न प्रयुक्त हो तो तहसीलदार यह परिकल्पित (presume) कर सकता है कि उक्त भाग परित्यक्त है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २३—ख के अन्त में प्रस्तावित स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—

"जब किसी खाते का साढ़े बारह एकड़ से अधिक कोई भाग उपर्युक्त से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ लगातार दो कृषि वर्षों तक न प्रयुक्त हो तो तहसीलदार यह परिकल्पित कर सकता है कि उक्त भाग परित्यक्त है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन रखने का तात्पर्य यह है कि जो मूल अधिनियम है उसकी धारा १८६ में बतलाया गया है कि कोई खाता या उसका कोई भाग जिस पर खेती न हो वह परित्यक्त किया जाय। लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं रखी गयी है कि वह खाता कितना है। लेकिन इस स्पष्टीकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जा रही है कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक जो खाता होगा और जितना अधिक होगा वही परित्यक्त समझा जाय। श्रीमन् जी, इस प्रकार साढ़े बारह एकड़ से कम के जो खाते होंगे, अगर उन पर खेती नहीं होगी तो वह परित्यक्त नहीं हो सकेंगे। इस तरह की परिपाटी रखने से बहुत सम्भव है कि नेशनल वेल्थ को हानि पहुंचे।

इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आगे एक संशोधन है बेचनराम जी का, जिसको माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी पेश करेंगे या अवधेश प्रतापसिंह जी का भी है कि खंड २३—ख को बिल्कुल निकाल दिया जाय। मैं इससे सहमत हूं: अगर यह मंजूर हो जाय तब इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। पहले उस पर बात हो जाय उसके बाद इसको देखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पहले तो वह लिया नहीं जा सकता है। वह एक खंड निकालने के लिए कहते हैं और इससे इस दफा का सुधार हो सकता है।

श्री राजनारायण—२३—ख पूरा निकल जायगा तो स्पष्टीकरण अपने आप ही निकल जायगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा— मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं खंड २३—ख के विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा पर जमींदारी विनाश अधिनियम की जो धारा १८६ है उसे पूरा तो

नहीं पढ़ना चाहता जिससे समय अधिक नष्ट न हो। परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि सीरदार या असामी अगर एनिमल हस्बैन्डरी पोल्ट्री फार्म पिसीकल्चर या हार्टिकल्चर, इन सब चीजों के लिये भूमि रखता हो और यदि दो वर्ष तक कोई सीरदार या असामी उस खाते को इन कामों में न लाता हो तो यह तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह नोटिस दे कर एक तरह से उसको खाली भूमि समझे। श्रीमन्, अब इस विधेयक में यह संशोधन लाया जा रहा है कि पूरा खाता नहीं बल्कि उसका कोई अंश या भाग भी प्रयोग में न आता हो तो वह खाली समझा जाय। श्रीमन्, मुझे आपत्ति यह है कि १८६ में जहां आपने यह रक्खा था कि यदि कोई जोत काम में न लाई जाय तो तहसीलदार के लिये यह आवश्यक था कि उसको खाली करार दें, लेकिन जब इस विधेयक में यह रक्खा गया कोई भाग तो इसके मानी यह है कि कोई भी मौरूसी काश्तकार या सीरदार या असामी यदि उसके पास कोई ऐसी भूमि है जिसको वह पूरे तौर से काश्त नहीं कर सकता है, फर्ज कीजिये कि जमींदारी टूटने के पहले उसके पास १०० एकड़ परती थी और उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ कर उसने कृषि, पशुपालन या उद्यान में लगाया तो पहले तो उसको यह हक था कि कुछ भूमि वह अलग रख सके और जो करना चाहे करे, लेकिन इस विधेयक द्वारा माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि जितनी आराजी उसके पास है अगर कुल पर वह दो साल तक काश्त न करे तो भी वह उस आराजी को खो बैठता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर वे गम्भीरता पूर्वक विचार करें। ऐसे सीरदार या असामियों की संख्या इस प्रदेश में कोई कम नहीं है जो अपनी आराजी का कुछ हिस्सा और कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ अभी अपने कब्जे में नहीं ला पाये हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी अक्सर कहा करते है कि जमीन नेशनल पापर्टी है, अतः इस पर किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह उसका नाजायज फायदा उठाये और जो किसान गल्ला न पैदा करता हो उसे जमीन रखने का अधिकार न होना चाहिये। उसी के साथ में माननीय मंत्री का ध्यान उन खातेदारों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी क्या दशा होगी, चाहे वे बड़े किसान हों या छोटे हों, जिनके पास भूमि थी लेकिन ऊसर होने के कारण पारिवारिक कठिनाइयों के कारण उस आराजी पर वह काबिज न हो पाये हों, इसके मानी यह होंगे कि खंड २३ (ख) के अनुसार उनको उस आराजी से हाथ धोना होगा।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इससे माननीय मंत्री महोदय यह न समझें कि जिस उद्देश्य से वह यह लाये हैं उसकी पूर्ति हो सकती है। यदि वह यह समझते हैं कि बहुत से ऐसे पट्टे हैं जिन पर अभी तक पूरे तरीके से सीरदार काबिज नहीं हो पाये हैं। अगर दो साल तक उनका कब्जा नहीं रहा तो उनकी जमीन खाली समझकर सरकार ले सकती है या जिस तरह से चाहे वह गांव समाज के द्वारा प्रबन्ध करा सकेगी। श्रीमन्, परिस्थिति ऐसी है जिस पर संभवतः बहुत से लोग यह कहेंगे और मंत्री जी भी उस दलील को दोहराते दोहराते थके नहीं हैं और सदन भी उसको भूल चुका होगा कि बहुत से जमींदारों ने पट्टे दिये और वह अपने रिश्तेदारों को पट्टे दिये। आज जो अवधेश प्रताप जी इसका विरोध कर रहे हैं उससे उनका यही इरादा हो सकता है कि वह जमीन उनके हाथ में रह जाय। जहां पर इस तरह से पट्टे हो सकते हैं वह हैं और इसके अलावा ऐसे भी पट्टे हैं जिन पर गरीब किसान या जो भूमिहीन हो सकते हैं या निर्धन हैं वे इस तरह के पट्टे लिये हुये हैं। और वे लोग किसी भी कठिनाई के कारण उस जमीन को छोड़ नहीं सकते हैं और उसके ऊपर कब्जा नहीं हो सकता है। इसके माने यह होंगे कि जो आराजी आज उनके कब्जे में है वह उनके हाथ से निकल जायगी। यदि मैं थोड़ी देर के लिये इस बात को भी भूल जाऊं कि जमींदारों ने क्या किया तो मैं यह कहूं कि वह उनका अधिकार था। उनके पास यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, जमींदारी अबालीशन एन्ड लैंड रिफार्म ऐक्ट और इंडियन कांस्टीट्यूशन था। यह कैसे रोक सकते थे? सिवाय इसके २१ मई, सन् १९५२ को रोका गया कि तब से जमींदार लोग पट्टे पर जमीन नहीं दे सकते हैं। उसके पहले कानून के मुताबिक जमींदारों ने पट्टे दिये और उन कामों को उन्होंने किया जिसके लिये उनको अधिकार दिया गया था कि वह पट्टा दे सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपत्ति उठाना मैं यह समझता हूं कि निर्मूल है। आपने २१ मई को उनको रोका। उसके पहले उनको अधिकार था कि वह दे सकते हैं।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

यदि कोई अधिकार इस विधेयक के द्वारा किसी को दिया जाय और उसके अनुकूल वह करे और उस अधिकार को बरते तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे इधर के मित्र जो बैठे हुये हैं वे बहुत काफी दूर तक सरकार की निन्दा करते हुये घूमेंगे जिस समय जमींदारी तोड़ी गयी उस समय क्यों नहीं पट्टा देना बन्द कर दिया गया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि २१ मई, सन् ५२ के बाद भी पट्टे हरगिज नहीं रुक सकते थे, अगर किसी ने आपत्ति उठायी होती तो सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ती। अगर सरकार हमारे इधर बैठने वाले भाइयों की बात में आकर गलती करेगी तो गलती होती रहेंगी।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन जब एक बात कही गयी तो उसका जवाब देना भी उचित है। अगर माननीय मंत्री जी इसको एक्सेप्ट करें तो फिर मैं बोलने की आवश्यकता भी नहीं समझूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां, उनका जो विरोध है कि यह निकाल दिया जाय तो यह मुझे स्वीकार है कि इसको निकाल दिया जाय।

*श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय मौर्य जी ने कैसे हां कर लिया कि यह पोर्शन निकाल दिया जाय। यदि माननीय जोरावर जी वर्मा ने यह पूछा होता कि क्यों निकाला जा रहा है तो माननीय मौर्य जी उस पर कोई रोशनी डालते। उन्होंने पूछा भी तो माननीय मौर्य जी ने ऐसा घुमा फिरा कर जवाब दे दिया कि सब लोग चक्कर में पड़ गये। मैं कहता हूं कि इसको न निकाला जाय। इसमें केवल इतना है कि यदि कोई अपने खाते का कोई भाग परती डाले रहे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। मैं जहां तक समझता हूं यही इसका अर्थ है। ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने १००-२००-५०० एकड़ खाते में अपनी मिल्कियत बना ली और आज केवल १०-५ एकड़ में खेती करते हैं और बाकी वैसे ही पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोग जो उस जमीन से लाभ उठा सकते हैं जमीन की सेवा देश की सेवा और अपने पेट की भी सेवा कर सकते थे वे उससे बंचित रहते हैं तो अगर समूचे विधेयक में से यह अंश निकाल दिया जायगा और निकाल कर फिर ड्राफ्ट किया जाय तब तो हम उस पर विचार भी कर सकते हैं लेकिन केवल इसको निकाल दिये जाने का कोई अर्थ नहीं होता। इसके लिये यह आवश्यकता हो जाती है कि उसके स्थान पर और क्या लायें हालांकि उपाध्यक्ष महोदय यह एक जो संशोधन इस विधेयक में आया हुआ है उसकी शब्दावली से, उसका जो आपरेटिव पार्ट है उससे मैं सहमत नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार से किसी आदमी को ज्यादा अच्छा खाना न मिलता हो और उसको जीने के लिये सत्तू मिल जाय तो वह सत्तू छोड़ कर अपने शरीर से दुश्मनी नहीं कर सकता, इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूं कि इसको हटाना उचित नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मौर्य जी फिर सोचेंगे लेकिन मुझे मालूम होता है कि माननीय बेचनराम जी ने उन पर कोई असर डाल दिया है, यह हमारे बस की बात नहीं मालूम होती कि उस असर को दूर करदें। फिर भी मैं उनसे कहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने सोच समझ कर इसको रक्खा था, इसलिये इसको रहने देना चाहिये था। अगर इसका कोई और अर्थ होता या दफा १८६ व १८७ का संबंध न होता तब तो ऐसा करना भी ठीक होता। यह बात जरूर है कि इसमें दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष करने का विचार है, जब वह अमेंडमेंट आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इसको वापिस लेने या निकाल देने का विचार माननीय मौर्य जी न करें जब तक कि उसके पूरे कारण आप सदन को न बतायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय गेंदा सिंह जी ने शंका उपस्थित की है, मैं उसका निवारण करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गेंदा सिंह जी देखेंगे .क धारा १८६ के आगे १८७ हैं। १८७ में भूमिधर और सीरदार दोनों के लिये विधान किया गया है। १८६ में सिर्फ यह है कि अगर कोई सीरदार दो वर्ष तक काश्त न करे, खाली रखे तो एबेंडन समझा जायगा। यानी यह समझा जायगा कि उसने छोड़ दिया। तो एतराज की बाबत फिर नोटिस जारी होगी और अगर उसने कह दिया कि हमने छोड़ा नहीं है तो खाली रखने के लिये किसी को एबेंडन नहीं समझा जायगा। एबेंडन तो तभी माना जायगा जब वह कहे कि हमने छोड़ दिया। दो वर्ष के बाद नोटिस दी गयी और उसने कह दिया कि हमने छोड़ा नहीं है तो वह बिलकुल बेकार हो जाता है। असल परपज तो सर्व होता है १८७ से, जिसमें यह है कि अगर लगातार तीन वर्ष तक खाली रखे तो उससे लेकर के दूसरा इन्तजाम हो जायगा। माननीय गेंदा सिंह जी का यह कहना कि दो वर्ष खाली रहने के बाद जबरदस्ती ले लिया जायगा, वह बात एबेंडन में आती नहीं है। एबेंडन होता है पूरी होलिंड का, कोई पार्ट का नहीं होता है। १८६ जहां है अपनी जगह पर ठीक है, उसको निकाला नहीं गया है। १८६ में कुछ संशोधन की बात थी वह निरर्थक जान पड़ी। इसलिये कि १८७ के रहते हुये १८६ में संशोधन करने की जरूरत नहीं समझी गयी, इसी से इसको निकाला नहीं गया है। माननीय गेंदा सिंह जी के मंशा में और मेरे मंशा में कोई फर्क नहीं है। हम भी चाहते हैं कि अगर कोई अपनी जमीन खाली रखे तो वह उससे ले ली जाय, लेकिन जब तक वह कहता नहीं है कि हमने छोड़ दिया तब तक वह अबेन्डेनमेंट के अन्दर आता नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि कोई जमीन अपनी खाली रखे तो उससे हम ले लें। हां, जो रास्ता निकल सकता है वह यही है जो कि हमने १८७ में निकाला है जिससे जमीन का ठीक इंतजाम हो सकता है। १८६ भी रहे, क्योंकि मुमकिन है कि कोई परदेश चला जाय और नोटिस देने पर दो वर्ष के बाद भी न लौटे या कुछ एतराज न करे या जवाब ही न दे तो फिर उसको एबेंडन माना जायगा। लेकिन अगर वह एतराज कर देता है तो फिर एबेंडन नहीं माना जायगा। १८६ का संशोधन निरर्थक सा लग रहा था, इसलिये हमने उसी को स्वीकार कर लिया और इसको निकाला नहीं गया। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाब वाला, मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने किसी ग़लतफहमी की बिना पर इसका विरोध किया है। अगर वे इस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इस एक्सप्लेनेशन के जरिये तो यह पाबन्दी हो जाती है कि साढ़े बारह एकड़ से कम जमीन अगर हो तो वह एबेंडन नहीं समझा जायगा। पहले तो था कुल होल्डिंग का, लेकिन अब पार्ट आफ दि होल्डिंग कर दिया गया है। अगर एक बीघा या एक बीघा का बीसवां हिस्सा भी खाली पड़ा हुआ है और तब भी वह एबेन्डन समझा जा सकता है तो मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी कुछ ग़लत फहमी में हैं कि एक्सप्ले-नेशन की वजह से किसी को नुक़सान पहुंचा है। ऐसा नहीं है, जमीन जो बेकार है वह कारामद हो जाती है और उसको फौरन् क़ब्जे में लिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन ग़लत था और उसमें यह नुक्स था और अब उसको रफा कर दिया गया है और पार्ट आफ होलिंडग बनाने से पूरा मकसद हल हो गया है। मैं समझता हूं कि इस नजरिये को समझ कर माननीय गेंदा सिंह जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय अतहर हुसैन ख्वाजा और मौर्य जी के भाषणों को सुनने के बाद भी मालूम होता है कि वह हमारे दृष्टिकोण को समझ नहीं पाये या उनका कहना स्पष्ट नहीं है। अगर आप मूल अधिनियम की धारा १८६ को ध्यान से देखें तो उसमें कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि जिसके अनुसार जो स्पष्टीकरण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में बात आती है वह पूरी हो जाय। जो नया स्पष्टीकरण है उसके अनुसार तहसीलदार यह परिकल्पित कर सकता है कि उक्त भाग परित्यक्त है और यह साढ़े १२ एकड़ से अधिक भाग एबेंडन कर दिया गया है.....।

श्री चरण सिंह—एक्सप्लेनेशन का सवाल यह नहीं है, यह तो पूरे ही खंड को निकालने के पक्ष में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं अपने स्टैंड को समझा रहा हूं और आप सारे खंड के बारे में कह रहे हैं और मैं स्पष्टीकरण के बारे में कह रहा हूं। यहां पर केवल एक बात हो सकती है कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक अगर कोई भाग होगा तो वह परित्यक्त समझा जायगा। इन शब्दों को हटाया जा सकता था। अगर उनकी बात मान ली जाय तो स्पष्टीकरण वैसा ही रहता, सिर्फ अगर यह साढ़े १२ एकड़ की बात निकाल दी जाती। इससे दो लाभ होते। एक तो यह है कि जो जमीन दो साल से नहीं जुती हो उसको परित्यक्त माना जाता। इसको दोबारा संशोधित कर दिया जाय। इस समय विचार स्थगित कर दिया जाय। जहां तक उन्होंने कहा नई धारा १८७ में यह बात आ जाती है, उसमें ३ साल है २ साल नहीं है, हम चाहते हैं कि २ साल की अवधि रखी जाय। ख्वाजा साहब चाहते हैं कि इसको हटा कर सारे खंड को दोबारा लिख लिया जाय और तब तक के लिये विचार स्थगित रखा जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हम लोगों की ओर से रखा गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मौर्य जी ने बतलाया कि धारा १८६ में लिखा हुआ है कि यदि दो साल तक किसान छोड़ कर चला जाय और फिर भी आकर कहे कि हम जमीन जोतते हैं तो वह दफा काम में नहीं आ सकती, दफा १८७ की जरूरत पड़ती है। १८६ में अगर खाते का एक हिस्सा भी छोड़ दिया जाय तब भी अबेन्डन्ड माना जाय तो इसको निकालने के लिये हमने इसलिये अर्ज किया था कि किसानों पर कभी-कभी ऐसे छोटे खाते रह जाते हैं तो उसके लिये यह दफा १८६ काम में आवे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हमारे मित्र घबड़ाते हैं असामी या सीरदार कोई हो उसको जमीन दी जायगी। १८६ जैसा मौजूद है वैसे का वैसा रहता है १८७ में जैसा है वह भी वैसा का वैसा रहेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने जैसा रखा है वह ठीक है।

श्री चरण सिंह—जो माननीय मौर्य जी ने कहा है इस सिलसिले में मैं उनका समर्थन करता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि १८७ धारा जो संशोधन विधेयक के जरिये रखी है वह सीरदार और भूमिधर दोनों के लिये है। अगर हम जैसा माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं और जैसा शुरू में मेरी भी राय थी कि १८६ में संशोधन किया जाय जिसके निकालने की बाबत मेरी राय हो गयी है उसमें एक खाते का हिस्सा भी खुला छोड़ दें तो भी वह अबन्डनमेंट माना जाय तो उस पर भी विचार करने से अबन्डनमेंट बहुत मुश्किल मालूम होता है साबित करना क्योंकि वह ज्यादातर मेंटल अटीच्यूड पर निर्भर करता है मान लो एक शख्स के पास दो बीघा जमीन है। वह आसाम टी गार्डन्स या कलकत्ता या शोलापुर चला गया उसका दो साल तक सारा खाता खाली पड़ा रहा ऐसा अबेन्डनमेंट १८६ में आ जायगा बड़ा खाता, जुजबी भी नहीं कल्टीवेट कर पाता है चाहे सीरदार का हो या असामी का तो १८७ में वह आ रहा है। तो विचार के बाद इसको अनावश्यक समझ कर में यह स्पष्टीकरण डिलीट कर दिया जाय उससे सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३-ख विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड २४

२४—मूल अधिनियम की धारा १८७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १८७– क के रूप में रख दी जाय:— उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नई धारा १८७–क का बढ़ाया जाना।

"१८७–क–(१) सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि, जिसका क्षेत्रफल १२ १/२ एकड़ से अथवा ऐसी उच्चतर सीमा से जो किसी जिला विशेष के लिये नियत हो, अधिक हो लगातार विगत ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य-पालन और कुक्कट पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लायी गयी है तो जब तक धारा १४३ के अधीन तत्सम्बन्धी प्रख्यापन न प्राप्त कर लिया गया हो, भूमिधर अथवा सीरदार से इस बात का कारण बताने को कहा जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वह भूमि कृषि के प्रयोजनों के लिये लगान पर क्यों न उठा दी जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस में, भूमि के उपर्युक्त प्रयोग में न लाये जाने पर विश्वास करने के कारण, वह अवधि जिसके लिये उसे असामी को उठाये जाने का प्रस्ताव है तथा अन्य ऐसे ब्योरे जो कलेक्टर की राय में संबद्ध भूमि अथवा सीरदार को सूचना के लिये आवश्यक हों, उल्लिखित होंगे।

(३) यदि भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित हो कर कलेक्टर को संतुष्ट कर देता है कि —

(क) भूमि का प्रयोग उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य-पालन और कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिये हुआ है,

(ख) उसके उस भूमि को इस प्रकार प्रयोग में न लाने का पर्याप्त कारण था, अथवा

(ग) वह उपधारा (१) उल्लिखित नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के भीतर भूमि का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिसमें मत्स्य-पालन और कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजन के लिये करेगा, अथवा धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन प्राप्त कर लेगा।

तो कलेक्टर खंड (क) और (ख) की दशा में तत्काल नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा और खंड (ग) की दशा में उक्त नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के लिये आज्ञा को स्थगित कर देगा।

(४) यदि भूमि उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में आई हो तो उपधारा (३) के अधीन निश्चित अथवा अन्य किसी ऐसे दिनांक पर जिस पर मामले पर विचार किया जाय, कलेक्टर नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा, अथवा यदि वह कारण अभिलिखित कर के अधिक अवधि प्रदान न करें, तो वह नियत रीति तथा शर्तों के अनुसार किसी असामी को भूमि उठा देगा और धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निदेश ऐसे असामी पर प्रवृत्त होंगे मानों उसे भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयंमेव भूमि उठायी हो।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित न हो और कलेक्टर ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो कि भूमिधर या सीरदार उपधारा (१) में अभिदिष्ट अवधि तक भूमि को उपर्युक्त प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया है, तो वह यदि नोटिस को विसर्जित करने का निर्णय न करे, नियत की जाने वाली रीति से तथा शर्तों पर किसी असामी को भूमि उठाने के लिये निर्देश कर सकता है तथा धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निर्देश ऐसे असामी पर प्रवृत्त होंगे मानों उस भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयमेव भूमि उठायी हो।

(५—क) कलेक्टर के लिये यह वैध होगा कि वह स्वयमेव भूमि उठाने के बजाय भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसा करने का आदेश दे।

(६) उपधारा (४) या (५) के अधीन असामी को भूमि उठाये जाने की निर्देश करने वाली आज्ञा के विरुद्ध कमिश्नर को अपील हो सकेगी।

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७—क की उपधारा (१) की पंक्ति ३ के शब्द "जिसका" से पंक्ति ४ के शब्द "अधिक हो" तक के सब शब्द निकाल दिये जायं। इसकी जो प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :—

"मूल अधिनियम की धारा १८७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १८७—क के रूप में रख दी जाय :—

"१८७—क (१) सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि, जिसका क्षेत्रफल साढ़े बारह एकड़ से अथवा ऐसी उच्चतर सीमा से जो किसी जिला विशेष के लिये नियत हो, अधिक हो लगातार विगत ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य-पालन और कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लायी गयी है तो जब तक धारा १४३ के अधीन तत्सम्बन्धी प्रख्यापन न कर प्राप्त कर लिया गया हो, भूमिधर अथवा सीरदार से इस बात का कारण बताने को कहा जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वह भूमि कृषि के प्रयोजनों के लिये लगान पर क्यों न उठा दी जाय।"

श्रीमन्, इसमें से मैं शब्द "जिसका क्षेत्रफल १२ १/२ एकड़ से अथवा ऐसी उच्चतर सीमा से जो किसी जिला विशेष के लिये नियत हो, अधिक हो" निकालना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की सीमा रखने से इस धारा का दुरुपयोग होगा। जैसा कि मैंने पहले अपना एक संशोधन रखा था और माननीय मंत्री महोदय के अनुरोध पर वापस ले लिया था, तो उसको देखते हुये यहां पर इस संशोधन की अतीव आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो जो काश्तकार ऐसे हैं उनको एक मौका मिल जायगा और वे अपनी जमीन खाली छोड़ दिया करेंगे। इस तरह पर जो गरीब किसानों को जो दूसरे की जमीन पर खेती करके अपना बसर करते हैं, अपनी रोटी कमाने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही हमारे देश की अन्न की समस्या भी इस प्रश्न से जुड़ी हुई है, ऐसे गरीब किसान हमारी उस समस्या का हल अपने में जहां अपना आज सहयोग दे पाते हैं वे नहीं दे पायेंगे। अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो कोई न कोई काश्तकार जरूर उस पर खेती करेगा

और उससे हमारे देश निर्माण की समस्या किसी न किसी हद तक जरूर हल हो सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे देश का कल्याण होगा।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विष्णु दयाल जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। संशोधन का मतलब है कि यह जो प्रस्तुत संशोधन विधेयक में छूट दी गयी है १२ १/२ एकड़ से अधिक जमीन परती छोड़ने वालों को, उसपर प्रतिबंध लगाया जाय। माननीय विष्णुदयाल जी का मतलब है कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो वह व्यक्ति जो १२ १/२ एकड़ खेत या उससे अधिक खेत परती रखता है या उससे कम भी रखता है तो वह परती न रख सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह संशोधन न माना जाय और एक व्यक्ति को छूट दी जाय कि वह जमीन परती रख सके, तो इससे अपने प्रान्त का क्या अकल्याण होगा इस पर विचार करना है। अगर एक जिले में दो व्यक्ति या चार व्यक्ति ऐसे हों जो १२ १/२ एकड़ जमीन लगातार तीन बरस तक परती रखते हों तो अपने पूरे प्रान्त में, अगर हिसाब लगाया जाय, तो लगभग ५४,८०० मन गल्ले की क्षति हो जायगी। यदि हम १२ १/२ एकड़ जमीन की पैदावार ३०७ मन प्रतिसाल रक्खें, १२ मन प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि हम एक आदमी का भोजन १६ छटांक प्रतिदिन के हिसाब से रक्खें तो २१ लाख ६३ हजार ६०० आदमियों की भोजन सामग्री कम पैदा होगी प्रान्त में। तो जो भोजन व्यवस्था है और देश की खाद्य समस्या है उसमें अव्यवस्था पैदा करने जा रहे हैं अगर हम छूट दें जमीन को परती रखने की हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि यह छूट न दें। यह बड़ा अन्याय है और खास तौर से ऐसे देश में जिसको अभी आजादी मिली हो, पंचवर्षीय योजना सफल बना कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अग्रसर होना चाहता हो। उस देश में यदि अनाज पैदा करने वालों की प्रवृत्ति को ठेस दी जायगी देश के आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिये मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं विष्णुदयाल वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करूं। और मंत्री जी से कहूं कि वह इस संशोधन को मान लें। यदि हमारे संशोधन को माना जाता है तो उन लोगों को जो जमीन परती रखने के लिये कभी-कभी प्रोत्साहित होते हैं, वह नहीं होंगे। दो तबके ऐसे हैं जो जमीन को परती रखते हैं। एक तो वह रखते हैं जो काहिल हैं और रुपया उनके पास हैं और दूसरे उनकी जमीन जिनके खाने का साधन तो और है, खेती नामिनल चीज है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना होगा यदि माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी के संशोधन को नहीं माना जायगा। मंत्री जी और बहुत से सदस्यों के भाषण हमें इस सदन के बाहर भी सुनने को मिले हैं जहा भूमि व्यवस्था और जमींदारी अबोलिशन कानन की बड़ी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है और यह कहा जाता है कि बड़े लोगों को हम कानून में जकड़ रहे हैं कि उनकी जमीनें छोटे लोगों के पास आ जायं। लेकिन इस कानून में कहां जिक्र किया गया है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। तीन वर्ष तक परती रख कर अगर कोई शख्स कलेक्टर के पास जा कर कह दे कि वह ६ महीने के अन्दर जोत लेगा या उठा देगा तो उसको छट मिल जायगी और कलेक्टर द्वारा पहले इश्यू किया गया नोटिस खत्म हो जायगा। विष्णुदयाल वर्मा जी चाहते हैं कि यह छूट न हो, इसलिये मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं और इसे प्रस्तुत किया माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने। मुझे ऐसा लगता है कि इस संशोधन के रखने में और समर्थन करने में रामेश्वर लाल जी की और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी की सांठगांठ है। हमारे माननीय राजनारायण जी और गेंदा सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं कि इसको स्वीकार न कीजिये और मैं समझता हूं कि उनकी बात ठीक है। क्योंकि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो नतीजा यह होगा कि जब तक उनकी कुल भूमि खाली न हो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। यानी अगर उनके

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

पास हजार एकड़ जमीन है और उसमें से एक एकड़ भी वह काश्तकार रहे हैं तो फिर हम कोई कदम न उठायें। अगर संशोधन माना जाय तो इस तरह हो जायगा---

"सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि लगातार विगत ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण वगैरह के लिये खाली हो।"

इसका मतलब हुआ कि कुल भूमि जब खाली हो तब। अब कुल भूमि न खाली हो थोड़ी खाली हो जाय या थोड़ी सी भूमि काश्त में रहे तो वह कहेगा कि अभी कुल भूमि खाली नहीं है आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो फिर मंशा ही हमारी खत्म हो जाती है। मालूम होता है कि बात कुछ और है और बात कही कुछ और जाती है और अन्दर-अन्दर कोई बात और है। अगर यह बात न होती तो फिर जो हम चाहते हैं कि अगर जमीन खाली रहे तो जमीन उसकी ले कर के इंतजाम करें। ५ सौ एकड़, ४ सौ एकड़ वाले ही खाली रखते हैं। १०, २० एकड़ वाले तो खाली रखते नहीं हैं। या बहुत ज्यादा-ज्यादा जिनके पास हैं जैसा माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि कुछ इने गिने लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा जमीन रखते हैं और उनकी ज्यादा जमीन खाली पड़ी रहती है या जैसा माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि तराई भावर में लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्यादा जमीनें हैं और वह खाली छोड़े हुए हैं। तो कुछ हद होनी चाहिये कि दस एकड़, २० एकड़ तक कुछ हद होनी चाहिए। लेकिन वह यह चाहते हैं अपने संशोधन के जरिये से कि जब तक कुल न खाली रहे.....

एक सदस्य---यह आप कौन सा अमेंडमेंट देख रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह ८७-घ है श्री कमला सिंह ने मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री विष्णु दयाल वर्मा ने मूव किया है, श्री कमला सिंह ने नहीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह अमेंडमेंट है कि "जिसका" से ले कर के "अधिक हो" तक के सब शब्द निकाल दिये जायं। यही है। तो फिर जैसा मैंने कहा कि इसके निकालने पर बचता यही है कि "सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि लगातार ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन वगैरह वगैरह"। तो मैं माननीय राजनारायण जी से, नेता विरोधी दल से पूछता हूं, वह तो वकालत से वाकिफ हैं और नारायणदत्त जी से पूछता हूं कि अगर ये शब्द निकाल दिये जाते हैं तो फिर उसका यही अर्थ क्या नहीं होता है कि सब भूमि जब खाली रहे तब वह कार्यवाही कर सके? और सब भूमि अगर न खाली हो? अभी तो आप लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं कि यह मतलब नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या अर्थ निकलता है इसका? कुल भूमि अगर नहीं खाली है, थोड़ी सी भी भूमि काश्त में है तो फिर यह प्राविजन कैसे अप्लाई करेगा? वह तो बात कुछ और लग रही है। सच्ची बात तो कुछ और है। वह चाहते यह हैं कि यह सारा प्राविजन बेकार हो जाय। हालांकि मैं नीयत पर शुबहा नहीं करता, उनका कोई सदस्य ग़लती करता हो तो मैं यह नहीं कहता कि आप सब लोग ग़लती कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि उसको स्वीकार करने से यह सब बिलकुल व्यर्थ हो जायगा और इस से बिलकुल मामला गड़बड़ हो जायगा।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री राजनारायण का नाम पुकारा।)

श्री शिवनारायण---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप से एक निवेदन पहले ही कर दूं कि इस धारा में चार पांच संशोधन हैं और इसके कई खंड हैं। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो सब खंडों पर मैं एक साथ बोल लूं और २०, २५ मिनट का समय मुझे दे दिया जाय या नहीं तो फिर पांच-पांच मिनट हर बार बोलना पड़ेगा। अगर आप मौका दें तो मैं पूरे संशोधन पर अपनी सम्मति व्यक्त कर दूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—या तो आप सब एक साथ मूव करा लें, नहीं तो फिर जो मूव हुआ है उसी पर बोला जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस पर आ रहा हूं और यह निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा यह खुद ही है कि इसके अगर एकाध मिनट ज्यादा लग जाय तो आप कृपा करेंगे। विष्णुदयाल जी और कमला सिंह जी का संशोधन है। अब मैं मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि आज के एजेन्डे का पृष्ट ४ निकाल लें और उसके ८७—घ को देखने की कृपा करें। वह इस प्रकार है कि "खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७ क—की उपधारा (१) की पंक्ति ३ के शब्द "जिसका " से पंक्ति ४ के शब्द "अधिक हो" तक के सब शब्द निकाल दिये जायं। अब इसका परिवर्तित रूप क्या होगा यह मैं पढ़े देता हूं। सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि लगातार विगत तीन वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य-पालन और कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लायी गयी है तो जब तक धारा १४३ के अधीन तत्सम्बन्धी.....। तो इस धारा का बहुत सीधा सादा संशोधन है। अब चौधरी साहब खुद ही समझ रहे हैं कि मौर्य जी ने कितने ग़लत अर्थ लगाये हैं।

एक सदस्य—ऐसी बात नहीं है।

श्री राजनारायण—मेरे कहने का मतलब यह है कि यह संशोधन स्पष्ट है। वह कहते हैं कि साढ़े बारह एकड़ की जो कैद सरकार की ओर से लगाई जा रही है कि उससे ऊपर जो जमीन है वह अगर परती रह जाय तब तो कलेक्टर उस जमीन को किसी दूसरे को दे सकता है, उसको नोटस दे सकता है या ६ महीने का मौका दे सकता है। लेकिन इससे नीचे के जमीन रखने वाले व्यक्ति सीरदार और भूमिधर भले ही अपनी जमीन परती रख लें, लेकिन कलेक्टर कुछ नहीं बोल सकता है। अब श्री विष्णुदयाल जी कहते हैं कि यह साढ़े बारह एकड़ की कैद क्यों है। अगर हमारे पास एक एकड़ जमीन है और वह परती है तो हमें रखने का कोई हक नहीं है।

श्री चरण सिंह—मान लीजिये अगर किसी के पास ५०० एकड़ जमीन है और वह १०० एकड़ जमीन खाली रखता है तो उसमें यह नहीं आ सकता है जैसा कि संशोधन कर रहे हैं तो यह नहीं ली जा सकती है, क्योंकि सारी जमीन खाली नहीं हो रही है।

श्री राजनारायण—माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बात कही हम उससे सहमत हैं वह कुछ शब्दों का यदि परिवर्तन चाहते हैं तो हम उसे किये देते हैं। हम तो यह समझते हैं कि इसमें लिखा है कि सूचना मिलने पर कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि, तो इससे हम यही समझते हैं कि खाते में भूमि या इसमें सम्मिलित भूमि कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं एक आध शब्द और बढ़ा दूंगा कि खाते या खाते से संबंधित भूमि तो इससे साफ हो जायगी और बाद में स्पष्टीकरण भी रख देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह संशोधन सीधा सादा सा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

केवल इसके भाव को देखना चाहिये, हम शाब्दिक जाल में फंसना नहीं चाहते हैं। यदि राजस्व मंत्री जी को कुछ शब्दों की कमी मालूम पड़ती हो तो हम जोड़ने के लिये तैयार हैं। अगर राजस्व मंत्री जी १२ १/२ एकड वालों को अधिकार देते हैं तो यह ९५ प्रतिशत से ज्यादा हैं। इससे ज्यादा ऊपर रखने वाले मुश्किल से ५ प्रतिशत हैं। तो यह ५ प्रतिशत वाले अगर परती रखें तो मंत्री जी को ख्याल है, लेकिन ९५ प्रतिशत परती रखें तो सरकार कुछ नहीं चाहती है। हमारा कहना यह है कि श्रीमन् आगे एक संशोधन आयेगा और वह बहुत बढ़िया संशोधन है। श्रीमन् अगर कोई व्यक्ति जमीन में खेती नहीं करता, खेती को जोत नहीं पाता तो सही माने में वह देशद्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिये कि वह खेती भी रखे और भूमिधर और सीरदार भी बना रहे। आज चारों तरफ जब कि अकाल है, अन्न की कमी है, अमरीका से गल्ला मंगाने के लिये सांठगांठ की जा रही है, रूस से गल्ला मंगाया जा रहा है, चीन से गल्ले के लिये शर्तें लिखी जाती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे में जमीन परती पड़ी है बहुत ज्यादा, तो यह कहां का न्याय है? ऐसे लोगों को तो देशद्रोही घोषित कर के निकाल देना चाहिये, पर वहां उनको छूट दे रहे हैं। इसलिये हम बहुत जोर के साथ इस संशोधन के समर्थन में खड़े हुये हैं और चूंकि और भी इस संबंध में धारायें आ रही हैं, हम उनके समर्थन में आयेंगे और अगर इसको माननीय राजस्व मंत्री नहीं मानेंगे तो बहुत अन्याय करेंगे, हमारे साथ, किसानों के साथ और उस उद्देश्य के साथ जो कि आज अपने प्रान्त के अकाल को मिटा सकता है। इसलिये मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि इसमें कोई बड़ा दोष नहीं हो जायगा अगर सरकार की ओर से आये हुये विधेयक में एक संशोधन इधर का भी मान लिया गया। हम यहां तर्क और विचार विनिमय के लिये हैं। अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको तो स्वीकार करना चाहिये। अब माननीय मौर्य जी समझ गये होंगे कि वह किस बुद्धि-विभ्रमजन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे थे। इसलिये माननीय विष्णु दयाल वर्मा के या माननीय कमला सिंह के संशोधन को मानने में अब तो कोई हर्ज नहीं है, न? बस ठीक है।

*श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। चूंकि यह कानून, नियम, सरकार की ओर से आया है केवल इसके नाते से इसका विरोध किया जाय तो वह अच्छी बात नहीं है। यह कहा जाय कि राजस्व मंत्री यह चाहते हैं कि ९६ फीसदी लोग यहां के परती जमीन रखें, तो यह कहां तक उचित है। क्योंकि जब विधान बनाया जाता है उसका अर्थ यह तो है नहीं कि वह परती रखें। वह तो गरीब किसान हैं, वह कैसे परती छोड़ सकते हैं, मगर हमारे सोशलिस्ट भाई को इसी में आनन्द आता है कि वह एक मर्तबा जोत आवें और इधर उधर बिया फेंक आवें सेर- दो सेर, अगर उनको इसमें इतमीनान हो तो दूसरी बात है। वरना गरीब किसान है, वह तो उसके लिये तबाह रहता है, उसका घर भर उसमें लगा रहता है। मेरे खयाल से यह संशोधन किसी तरह से मानने के योग्य नहीं है।

(इस समय ४ बज कर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुए।)

*श्री देवदत्त मिश्र—श्रीमन्, मैं, जो संशोधन उपस्थित किया गया है इसका विरोध करता हूं। माननीय राजनारायण जी ने संशोधन के समर्थन में जो तर्क उपस्थित किये वे नकारात्मक हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि उनके संशोधन को मान लिया जाता तो उसका नतीजा यह होगा कि छोटी-छोटी एक एकड़, दो एकड़, ४–५ एकड़ ही होल्डिंग रखने वाले जो लोग हैं वे परिस्थितिवश जैसा कि अक्सर देहात में होता है उसका बैल मर गया या और कोई बात हो गयी और वह ५ एकड़ में से एक, दो या डेढ़ एकड़ जमीन न जोत सके तो इस संशोधन के अनुसार उसकी वह जमीन अबन्डन समझी जाय और उस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार जो चाहे कर ले ज्यादा से ज्यादा, यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय राजनारायण जी जो हमेशा 'हैव नाट्स' का पक्ष लिया करते हैं वह यह भूल गये कि मूल अधिनियम में उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है, इस दृष्टि से कि जिन लोगों के पास साढ़े बारह एकड़ से, यानी जो "हैव्ज" हैं, संपन्न वर्ग है, अगर उसकी जमीन उसी तरह से परती रखी जाय तो उस जमीन को अबन्डन मान करके अगर उसे सेल कर दिया जाय या दूसरे को लेट आउट कर दिया जाय, इस प्रकार का जो प्रस्ताव है उसका अर्थ बिलकुल उल्टा लगाते हैं हमारे राजनारायण जी। अगर हम काश्तकारों की दृष्टि से देखें तो अक्सर इस प्रकार के अवसर आते हैं कि जब उनकी जमीन दो-डेढ़ बीघा होती है, तो "एनी लैंड इन्क्लूडेड इन हिज ओन होल्डिंग", तो उसका मतलब यह होता है कि अगर उनके पास ५ बीघा जमीन है तो उसमें से एक बीघा जमीन में से उनका भी हिस्सा आ जाता है और उसके बाप का भी। तो मैं चाहूंगा कि माननीय राजनारायण इसको इस दृष्टि से देखें उस दृष्टि से नहीं। हमारे यहां ५ एकड़ वाले काश्तकारों के खाते ही सबसे ज्यादा हैं और उनकी जमीन अगर इस तरह से एबन्डन कर दी जाय तो उनका बड़ा भारी अहित होगा। लेकिन साढ़े १२ एकड़ से ऊपर के जो खाते हैं वे मालदार लोगों के खाते हैं और अक्सर होता है कि ये अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिये २-४ बीघे जोत लेते हैं और बाकी को परती डाल देते हैं। उनको अबन्डन कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अन्त में मैं फिर माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि वह इस दृष्टि से इस मामले को देखें।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

***श्री अध्यक्ष**—श्री नारायणदत्त जी के बाद।

श्री शिवनारायण—श्रीमान् जी, मैं पहले भी एक दफा यह प्रस्ताव कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जाइये।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय विष्णुदयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मौर्य जी ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एतराज इसमें यह पेश किया था कि अगर कहीं यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो बड़े खातेदारों का ही भला होगा और मान लीजिये किसी के पास चार हजार एकड़ जमीन है और उसने एक बीघा भी आबाद कर लिया तो बाकी बन्जर रहेगी। तो उसको इस धारा से लाभ मिल जायगा। मैं क्या बताऊं, अगर माननीय मंत्री के हिन्दी के अनुवाद में कोई गलती रह गयी हो तो उसके लिये हममें से कोई कसूरवार नहीं है। इसलिये मैं अंग्रेजी में से पढ़े देता हूं। व्हेन दि कलेक्टर.....

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में नहीं है आपके पास ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी, है तो लेकिन आपका एतराज था कि हिन्दी में ऐसा नहीं है, इसलिये मैं अंग्रेजी में से पढ़ रहा था। इसमें है "एनी लैन्ड इन्क्लूडेड इन दि होल्डिंग आफ भूमिधर आर सीरदार"। हिन्दी में है "किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि" तो "एनी" का अनुवाद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से माननीय मौर्य जी को गलतफहमी हो गयी। इसलिये श्रीमन्, एनी लैन्ड इन्क्लूडेड इन दि होल्डिंग का जब अर्थ लगायेंगे तो थोड़ी से थोड़ी जमीन भी अगर बन्जर होगी तो वह भी आ जायगी।

दूसरी बात, अगर हम जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट लें तो उससे साबित होता है कि साढ़े १२ एकड़ और इससे कम जमीन जो होगी वह लगभग २ करोड़ या उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ज्यादा होगी और १० एकड़ होल्डिंग की जमीन २ करोड़ ६१ लाख के लगभग होगी। आगे उसके अनुपात से अगर देखा जाय तो २ करोड़ एकड़ के लगभग ऐसी जमीन होती है जो साढ़े १२ एकड़ से कम आती है। माननीय मित्र उन्नाव के हैब्ज और हैवनाट्स का जिक्र कर रहे थे। तो जहां हैव नाट्स की पैरवी की जाती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उनको भूमि बन्जर रखने का अधिकार दे दिया जाय। यह नहीं कि तीन साल तक लगातार बन्जर रखे और कोई कहने वाला न हो अगर उनकी मंशा यह है तो उनको हमारा उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा। अगर वह वाकई हैव-नाट्स के इंटरेस्ट को देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि वे खेतों को जोतें। मेहनत करें और उसका चप्पा चप्पा आबाद करें। इसलिये जो हमारा संशोधन है यह तो शोषित व्यक्ति, उत्पीड़ित व्यक्ति के हाथ मजबूत करता है। इसलिये हर प्रकार माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी का संशोधन उपयुक्त है। इसको स्वीकार करना हर दृष्टिकोण से वांछनीय है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी और माननीय नारायण दत्त जी के कहने के पश्चात् कहने के लिये कुछ रह नहीं जाता। लेकिन मुझे दुख है कि गवर्नमेंट एक तरफ दावा करती है कि भूमि का कोई भी भाग जो उपजाऊ है बिना खेती किये हुये न रह जाय। चाहे अफसरों के बंगले हों या मंत्रियों की कोठियां हों उनमें भी खेती की जाय। और ऊसर बंजर को तोड़ कर उनमें खेती की जाय। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का एक प्रतिबन्ध करना इस विधेयक में कि साढ़े बारह एकड़ से कम के काश्तकार अपनी जमीन को तीन-तीन साल तक परती छोड़ दें और हमेशा परती छोड़ दिया करें यह बड़े दुख की बात है। माननीय मंत्री जी यह दूर की बात सोचकर कि इस तरह से हमारे राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग न हो इस संशोधन पर फिर से विचार करें और मानने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। कारण यह है कि अगर आपका यह संशोधन मान लिया जाय तो फिर किसानों की परेशानी का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जायगा। आपके संशोधन का मतलब यह होगा कि अगर पांच एकड़ का किसी का खाता है, और जैसे कि माननीय देवदत्त मिश्र जी ने कहा कि वह किसी कारण खाली रह गया तीन साल तक तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले। या दो एकड़ का खाता है तो भी गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले। इससे एक तरह लोगों के हैरसमेंट का रास्ता खुल जाता है। साढ़े बारह एकड़ तक के किसान जिनकी बाबत माननीय राजनारायण जी ने ठीक ही कहा कि ९५,९६ फीसदी, ठीक इस वक्त नहीं कह सकता, सब तादाद उन्हीं लोगों की है, जिनके पास इतनी कम भूमि है वह कौन खाली रखता है। लगान पर वह दे नहीं सकता है। खाली रखेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मालगुजारी मुफ्त देनी पड़ेगी। इसके अलावा मालगुजारी भी देता रहे तो कौन सा रोजगार करेगा। हमारे देश में जो ६७ फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं उनके पास थोड़ी जमीन है वे तो खाली रखेंगे ही नहीं जमीन। लेकिन अगर आपका संशोधन मान लिया जाय तो मतलब यह है कि १२ एकड़ जमीन में से अगर दस एकड़ उसने काश्त कर ली है, किसी कारण से पानी वक्त पर नहीं मिला, बैल बीच में मर गया, कोई मुसीबत हो गयी, घर में बीमारी हुयी, तो बारह में से दस एकड़ काश्त ली और दो एकड़ नहीं कर पाया, तीन साल तक नहीं चार साल तक, तो मैं अर्ज करता हूं कि उसकी जमीन हर्गिज नहीं लेनी चाहिये। जब हम बातें करते हैं सिद्धांत की, तो हमेशा यह देखना चाहिये कि काबिले अमल क्या चीज है आप उसके पास जोश में ऐसा काम न कर डालें जिससे हमारे जो वास्ट मासेज है उनके लिये वह सुखकारी चीज होने के बजाय दुखदायी हो जाय। जब हम बात करते हैं कि जमीनें खाली पड़ी हैं ले लीजिये तो सबके दिमाग में यह

मोटी सी बात आयेगी कि जिनके बड़े खाते हों उन्हीं से जमीन ली जाय । कानून बनाते वक्त एक एक शब्द को देख लेना चाहिये कि इसका क्या असर पड़ेगा । इसलिये सेलेक्ट कमेटी में जो यह संशोधन रक्खा गया है उसका सीधा सा अर्थ है कि साढ़े १२ एकड़ के खातेदार अगर जुज भी हो उसे खाली रखें तो उनसे कोई पूछताछ न की जाय । यह चीज जानबूझ कर रक्खी गयी है । साढ़े १२ एकड़ से बड़े जिनके खाते हैं, किसी के पास २३ एकड़ है और अगर उसमें से साढ़े १२ एकड़ खाली रखता है या ९९ एकड़ है और साढ़े १२ एकड़ खाली रखता है तो वह जमीन हम उससे तभी लेंगे अगर वह उसे तीन साल तक बराबर खाली रखता है । १०० के ऊपर प्रापोर्शन तय करने की बात सोच रहे हैं । किसी की १२० एकड़ जमीन है तो हम देखेंगे कि इतना परसेंटेज खाली है, इससे ज्यादा नहीं । क्योंकि अगर इतनी अधिक जमीन है तो बावजूद उसके कोशिश के कुछ न कुछ जमीन तो खाली रह ही सकती है । आपके संशोधन से तो यह मतलब होगा कि ५०० एकड़ में से अगर किसी के पास १ एकड़ भी खाली रह जाय तो जब्त । जो कानून बनाना है जिम्मेदारी के साथ बनाना है । यह नहीं कि कोई नारा मिल गया तो कानून बना दिया जाय । नारे उसूलों पर होते हैं, लेकिन उसूल पर प्रैक्टिकल कंसीडरेशन की रोशनी में देख कर चलना पड़ता है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७—क की उपधारा (१) की पंक्ति ३ के शब्द "जिसका" से पंक्ति ४ के शब्द "अधिक हो" तक के सब शब्द निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७—क की उपधारा (१) निकाल दी जाय ।

अगर इसको देखा जाय तो जितनी और उप-धारायें हैं वे (१) से संबंधित हैं और यह धारा निकल जाती है तो पूरा खंड खत्म हो जाता है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसा संशोधन जिसका अर्थ बिल्कुल खप्त हो इसकी आपको स्वयं इजाजत न देनी चाहिये । इसमें कहा गया है कि (१) निकाल दी जाय तो बाकी औरों का क्या होगा । कुछ मतलब होना चाहिये निकालने का, विधेयक, में कुछ संगति बैठनी चाहिये । यह नहीं कि निकाल दिया तो बाकी और क्या रहा । अगर रहे कुछ तो मतलब क्या होता है ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके विरोध करें इस पूरी धारा का । मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त आप इसको पेश न करें और आखिर में पेश करें और पूरी धारा का विरोध करें तो मुनासिब होगा । जिस वक्त इस धारा पर सब संशोधन निपट जायेंगे उस वक्त आप पूरी धारा का विरोध कर सकते हैं । क्योंकि आपके संशोधन के शब्दों का परिणाम यह होता है कि पूरी धारा का विरोध आप करना चाहते हैं । इस समय आप बैठ जायं फिर मैं आपको इसके विरोध के लिये इजाजत दे दूंगा ।

श्री जोरावर वर्मा—तो इस शकल में यह संशोधन नहीं आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—ऐसे प्रस्ताव आप नहीं ला सकते हैं जिसके देखने से यह पता लगता हो कि उसका मतलब खप्त हो जाता है । इस चीज को आप खुद ही कह रहे हैं । तो फिर मैं ऐसी चीज के पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा । आप विरोध की शकल में उसको पेश कर सकते हैं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा निकाल दी जाय । इसके लिये आखिर में मैं आपको मौका दे दूंगा ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, पेशतर इसके कि मैं यह प्रस्ताव पेश करूं मैं जनाब से यह इजाजत चाहूंगा कि इस संशोधन में जहां पर मैंने १ वर्ष इस्तेमाल किया है वहां पर ६ मास और जहां पर २ वर्ष इस्तेमाल किया है वहां पर १ वर्ष रख दिया जाय। जनाबवाला, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७—क की उपधारा (३) के भाग (ग) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "६ मास" के स्थान पर "एक मास जबकि वह क्षेत्रफल १०० एकड़ से कम हो और दो वर्ष जबकि वह क्षेत्रफल १०० एकड़ से अधिक हो" रख दिया जाय तथा आठवीं पंक्ति के शब्द "६ मास" के स्थान पर शब्द "६ मास या एक वर्ष जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—यह तो जिस तरह से आपने बताया है बड़ा कन्फ्यूज सा हो गया है। इसमें आठवीं पंक्ति में यह "६ मास" कहां पर है? आप बैठ जायं मैं जरा इसको देख लूं। मैं समझता हूं कि यह अवैध है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—तो मैं वही पेश किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह पहला भी गड़बड़ है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—पहला तो गड़बड़ नहीं है, मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—आपने जो शब्द कहे हैं वे आठवीं पंक्ति में आते ही नहीं हैं, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७—क की उपधारा (३) के भाग (ग) की पंक्ति ७ में वाक्यांश "(ग) की दशा में उक्त नोटिस.....कर देगा" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) की दशा में विश्वास हो जाने पर उसे देशद्रोही घोषित करेगा और उसकी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांट देगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है मैं नहीं समझ सकता कि मुझे कहां तक सदन में उसके लिये समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें आपके ये शब्द अवैधनिक हैं उसे देशद्रोही घोषित करेगा क्योंकि आपका यह जो विधेयक है वह राजनैतिक या फौजदारी का विधेयक नहीं है और इसमें जो देशद्रोही शब्द आये हैं, वे कानूनी शब्द नहीं हैं। उनके बजाय आप यह कह सकते हैं "की दशा में विश्वास हो जाने पर उसकी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांट देगा।"

श्री राजनारायण—लकिन वे देशद्रोही जरूर हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह इस विधेयक की दृष्टि से कानूनी भाषा नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं। लेकिन मैं अपने विचार ऐसे ही रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आपके आने से पहले जब साढ़े बारह एकड़ वाली जमीन के प्रस्ताव पर भाषण हो रहे थे, उसमें एक मेरा भी प्रस्ताव आया था, जबकि मैंने बटवारे का विरोध करते हुए यह सुझाव दिया था कि खेतों को बांटा न जाय बल्कि सहयोगी खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। तो उस वक्त इस सदन में उधर के बैठने वाले हमारे एक साथी ने कुछ प्रमाण उपस्थित किया था और जर्मनी, रूस, फ्रांस आदि देशों की चर्चा करते हुए उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की थी कि वहां पर जो लोग जमीन में खेती नहीं करते हैं और खेती करते हैं तो पैदा कम करते हैं तो उनकी जमीन सरकार ले लेती है। उसी तरह से हमको यहां भी ईमानदारी से उस प्रश्न को हल करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे सहमत हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इस सदन में भी

उधर बैठने वालों में ऐसे व्यक्तिहैं जो यह महसूस करते हैं कि अगर कोई आदमी जमीन परती रखता है या कोई आदमी उसको अपने पास रख कर कम पैदावार करता है साधन सम्पन्न होने के बावजूद तो उससे उसकी जमीन ले लेनी चाहिये । हमारी यही भावना इस संशोधन के पीछे है । हमने जब देखा कि देश की आजादी के बाद और दूसरे महायुद्ध की विभीषिका के बाद हमारे देश में खाद्य की समस्या को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों पर लोगों के ईमान बिकने लगे और रोटी के पीछे लोगों की इज्जत आबरू भी बिकने लगी तो हमने समझा कि ऐसे लोग जिनकी वजह से देश के लोग भूखों मर रहे हैं और जमीन रखते हुए भी जो पैदावार नहीं करते हैं, देशद्रोही हैं । क्रीमिनल प्रोसीजर कोड में है कि अगर मैं माननीय मंत्री जी की एक सुई भी जो एक दोकरे की होगी इस सदन से या आफिस से चुरा कर ले भागूं तो पकड़े जाने पर ६ महीने की सजा और ५०० रु० जुर्माना भी अदालत कर देगी । अगर मैं माननीय मंत्री जी की टोपी लेकर बिना उनकी इजाजत के इस सदन से या आफिस से चला जाऊं तो साल भर की सजा अदालत दे देगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कोई यकीन नहीं कर सकता है कि आपने चुरायी होगी ।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर छोटी से छोटी चीज की भी चोरी हो जाय तो उसके लिये ६ महीने की सजा और ५०० रु० जुर्माना हो जायगा । लेकिन जो देश के अन्दर आज खाद्य समस्या है उसको हल न करके जमीन रखकर उसका दुरुपयोग करते हैं और अपनी जमीन को खाली रखते हैं वे सबसे बड़ा जुर्म करते हैं वे निश्चित रूप से देशद्रोही हैं । मुझे याद है कि एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि देश में जो चोरबाजारी करेगा उसे खुले बाजार फांसी के तख्ते पर लटका दिया जायगा । आज वही भावना हम देखना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी को मानना चाहिये कि एक आदमी अगर अपने पास खेत रखता है और सालों तक मुतवातिर उस पर खेती नहीं करता है तो वह देश की पैदावार की क्षति करता है और देश के लाखों आदमियों को भूखों मरने पर मजबूर करता है और ऐसा शख्श वास्तव में गद्दार है । अगर माननीय मंत्री जी उसको गद्दार नहीं मानते हैं तो इतना तो अवश्य ही होना चाहिये कि उसे बिना मौका दिये हुए उसकी जमीन छीन कर गरीब लोगों में बांट दी जाय । अध्यक्ष महोदय, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि बिहार से श्रीमती सुचेता कृपलानी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वहां कुछ लोग खाने बिना मरे हैं और इसी तरह से हमारे जिले में भी लोग भूखों मरने जा रहे हैं । हमारे प्रांत के साथ ही साथ बिहार, आसाम और बंगाल में जो दैवी प्रकोप हुआ है उसकी भीषण विभीषिका हमारे सामने है और मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में भी वहां के अन्न का प्राबलम साल्व न हो । ऐसी हालत में लोगों को यह प्रोत्साहन देना कि वे अपनी जमीन परती रखें, किसी तरह से भी उचित नहीं हो सकता । इसलिये मैं चाहता हूं कि जमीन कोई भी परती न रख सके और यदि परती रखे तो जमीन के बटवारे की प्रेरणा के लिये उससे जमीन छीन कर सरकार द्वारा या माननीय मंत्री द्वारा, या एक किसी नियत अधिकारी द्वारा गरीब लोगों में बांट दिया जाय । हम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा बाहर करते हैं और उस तरफ बैठने वाले लोग भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि इसके द्वारा तो हमने यह हक दिया है कि बड़े लोगों से जमीन छीन छीन कर अपने आप गरीबों में बंटती चली जायगी । लेकिन अध्यक्ष महोदय, कहा यह गया है कि साढ़े १२ एकड़ से ऊपर या साढ़े बारह एकड़ तक का कोई काश्तकार है और वह अपनी जमीन परती रखता है तो उसको मौका दिया जायगा कि वह अपनी जमीन का प्रमाण कलेक्टर के सामने पेश करे कि बिना कारण के उसकी जमीन परती नहीं है । मैं तो कहता हूं कि उनकी जमीन छीन कर गरीबों में बांट देनी चाहिये । कौन ऐसा कलेक्टर होगा जिसको इतना मौका प्राप्त होगा कि वह इस बात की जांच करता फिरे । अगर मालूम हो जायगा कि जमीन परती है तो उसको फिर ६ महीने का मौका दिया जायगा कि वह कलेक्टर को प्रमाण पेश करे । कलेक्टर लोग ऐसे बड़े आदमियों के खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले सकते, यह बात निश्चित है । आज तक जितने पिछले कारनामे हैं उनमें कहीं भी ऐसी बात नहीं देखने को मिली है।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप जरा इसको बारीकी से देखें और पढ़ें तो जो उपधारा तीन है उसमें दिया हुआ है कि अगर वह कलेक्टर को सन्तुष्ट कर देता है तो वह उस दशा में तुरन्त नोटिस विसर्जित कर देगा अगर वह समझेगा कि वाजिब तौर से भूमि इस्तेमाल में है। तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं वाजिब इस्तेमाल क्या हो। खंड (ग) की दशा में विश्वास अगर उसको हो जाय तो वह एक नोटिस देगा और उसके बाद जमीन को बांट देगा। तो इस तरह से मालूम होता है कि यह बिलकुल परस्पर विरोधी सा संशोधन हो जाता है। इसकी ओर आप जरा ध्यान दें कि इसके अर्थ क्या हो जाते हैं?

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, तीसरी दशा एक और है कि अगर कलेक्टर देखता है कि वाकई जमीन खाली पड़ी है तो वह नोटिस दे कर ६ मास का नोटिस देगा और उसको मौका देगा कि वह उसको इस्तेमाल में ले आये।

श्री अध्यक्ष---(ग) की दशा में जो यह है कि अगर इन दशाओं में वह जमीन का इस्तेमाल करेगा तो वह उससे छिन जायगी। उसमें है कि वह उपधारा (१) में उल्लिखित नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के भीतर भूमि का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिसमें मत्स्यपालन और कुक्कुटपालन भी सम्मिलित है, प्रयोजन के लिए करेगा, अथवा धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन प्राप्त कर लेगा। ऐसी अवस्था में अगर (ग) की अवस्था हो· · · ·

श्री चरण सिंह---अगर कलेक्टर को संतुष्टि हो जाती है कि इन प्रयोजनों में ६ मास में ले आयेगा तो वह ६ महीने के लिये केस को मुल्तवी कर देगा और देखेगा कि उसने इस्तेमाल किया या नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है, आप जारी रखें।

श्री रामेश्वर लाल---अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बता रहा था कि जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में जो हमारी नीति है या सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से जो यह नीति है कि जमीन बटती चली जाय और उसको प्रोत्साहन दिया जाय अगर यह माना जाता है तो ६ मास का का अवसर नहीं दिया। जाना चाहिये इस तरह जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और जो परेशान हैं उनको एक अवसर मिल जायगा और हमारी सरकार को भी प्रेरणा इसके पीछे मिलेगी। यही समझकर मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जहां तक थ्योरी की बात है यह ठीक है कि सब जमीन परमात्मा की है और कुदरत की रची हुयी है और इसलिये वह राष्ट्र की सम्पत्ति है और वह देशद्रोही है जो जुर्म करता है। जो राष्ट्र की सम्पत्ति का इस्तेमाल नहीं करता वह गलती करता है। अब उसे गलती किस हद तक माना जाय यह अपने अपने दृष्टिकोण के ऊपर है। माननीय श्री रामेश्वर लाल जी उसको देशद्रोही कहना चाहते हैं और शायद वह अक्षर आगे लिखते लिखते रह गये वर्ना वह उसको फांसी पर ही चढ़ा कर छोड़ते। राष्ट्र की सम्पत्ति को ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिये और जो उसको इस्तेमाल नहीं करता वह गलती करता है हम उसको एक मौका और देते हैं और उसके बाद उसकी जमीन ले लेते हैं। बस केवल दृष्टिकोण में अन्तर है बाकी जो उद्देश्य है उसमें कोई अन्तर नहीं है। काम करने के ढंग में फर्क है। तो हम जिस वातावरण में पलकर जितने सब लोग यहां बैठे हुये हैं और इस अवस्था को प्राप्त हुये हैं और यह देश के अच्छे दिन हमारे सामने आये हैं उस वातावरण में हमने यह सीखा नहीं है, हम तो परदेशी थे और जिन्होंने सैकड़ों वर्ष हम पर राज्य किया उनके लिये भी कड़वी बात हम नहीं कहते थे ऐसी शिक्षा पायी थी। देशद्रोही की बात रही दूसरी फिर यह अपने लोग हैं इसके साथ ही साथ हमने यह बात भी

रखी है कि अब तक जो हमारी भूमि व्यवस्था रही है उसमें इन सब बातों की गुंजाइश थी लेकिन अब हमें ऐसा चलना चाहिये कि तमाम लोगों को बदलने का मौका मिलना चाहिये और अगर नहीं बदलते हैं तो हम उनको बदलेंगे कानून के जरिये से भी, प्रचार के जरिये और एक्जाम्पिल के जरिये। फिर भी अगर नहीं बदलते हैं तो हम सब गवर्नमेंट के अंग हैं लेजिस्लेटर, मिनिस्टर होने की हैसियत से तो हम कानून बना रहे हैं लेकिन कानून इस प्रकार बनाना है ताकि उन लोगों को बदलने का मौका जरूर मिले। मैं फिर अर्ज करता हूं कि अब तक जो व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की गुंजाइश नहीं थी कि लोगों को बदलने का मौका मिले।

माननीय रामेश्वर दयाल जी ने कहा और स्वयं मेरा ख्याल भी है कि दो दो चार चार हजार एकड़ के खाते नहीं होंगे लेकिन १ हजार एकड़ के खाते कुल हैं कितने २५,३० और वह भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो देश की दौलत में इजाफा करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो ६ महीने के बाद आ जायेंगे। फिर जो हमारे कानूनी मुशीर हैं उनका कानूनी मशविरा यह है कि जिस रोज से लागू होगा उस रोज से तीन साल नहीं लगेगा। जितना समय बीत गया है वह भी शामिल किया जायगा। तो ऐसी सूरत में जरूरी हो जाता है कि जब वह कानून नहीं था वह भी समय शामिल करते हैं तो ६ महीने का मौका उनको और दें। इसके अतिरिक्त माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा कि उनका तजुर्बा यह है कि यह कलेक्टर लोग बड़े आदमियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते और उनकी जमीन नहीं ली जायगी अगर ६ महीने का मौका मिला। मैं अर्ज करता हूं कि अगर कलेक्टर पर इतना अविश्वास है तो फिर क्या वह शुरू में ऐसा नहीं कर सकता। अगर उनका ख्याल यह है कि ६ महीने के बाद जब मसला आयेगा तो वह तय कर देगा कि वह इस्तेमाल कर ले और नोटिस खारिज कर देगा तो ऐसी नीयत वाले जिलाधीश जो हैं वह शुरू में ही क्यों तय कर देंगे और ६ महीने के लिये क्यों मुल्तवी करेंगे।

दूसरी बात उनकी इत्तिला के लिये यह कह दूं कि लैन्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट में भी नोटिस दिया जाता था जमींदारों को और जिन्होंने इस्तेमाल नहीं की तो हजारों एकड़ दो चार हजार एकड़ नहीं, ठीक तो मुझे याद नहीं लेकिन १ लाख से ज्यादा एकड़ का ऐसा रकबा था जो कि इस तरह से कलेक्टरों ने दूसरे लोगों को उन जमींदारों की तरफ से काश्तकारों को दे दिया और वह सब लोग सीरदार हो गये। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी से कहूंगा कि कम से कम बड़े अफसरान के मुताल्लिक ऐसा ख्याल नहीं रखेंगे कि वे बदनियत हैं। चाहे कलेक्टर हों, मुंसिफ हों, जज हो और डिप्टी कलेक्टर हों सब उसी तबके के हमारे घरों से आते हैं और वह नेकनीयती से काम करते हैं। इसलिये हमको यह मानकर चलना होगा और यह वाक्या भी है। यह सही है कि गलती होती है, होती रही है और होती रहेंगी लेकिन यह धारणा कि अफसर ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे वह ठीक नहीं है और उसे अब हमें खत्म कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

† श्री राजनारायण—श्रीमान्, आज दिन भर मैं यह कोशिश करता रहा कि यहां पर ज्यादा वादविवाद न हो, मगर इस धारा के विषय में आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्री से बहुत दुःख के साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं श्रीमान् आपसे पहले ही कह दूं कि इसमें मुझे कुछ समय अधिक दीजिये क्योंकि बड़ी भारी धारा है। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं तो पूरी पढ़ भी नहीं पाऊंगा। इस खंड २४ से माननीय राजस्व मंत्री क्या चाहते हैं पहले इसको ही देख लिया जाय। खंड २४ से सरकार यह चाहती है कि १२/१/२ एकड़ या उसके ऊपर जो जमीन रखते हैं और अगर उनकी जमीन परती रहे ३ साल तक लगातार तो उस जमीन को कलेक्टर या सरकारी कर्मचारी लेने का प्रयत्न शुरू करें, नोटिस दें, उन से कहें। जहां तक हमारी भावना का सवाल है मैंने पहले ही निवेदन कर दिया श्रीमान्, कि मैं रामेश्वर लाल जी के भाव से पहले सोचता हूं। जब अकाल पड़ता है तो नेशनल क्राइसस माना जाता है और आज भी नेशनल क्राइसस है और मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में एक

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकड़ भी जमीन परती छोड़ना वांछनीय नहीं होना चाहिये। लेकिन राजस्व मंत्री अपने कानून के मातहत १२ १/२ एकड़ से ऊपर वालों को छूट दे रहे हैं कि ३ बर्ष तक वे अपनी जमीन को परती रक्खें। यह उनके कानून का लुब्बेलुबाब है। अगर पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि १ करोड़ एकड़ जमीन परती रह गयी थी और अगर एक एकड़ में १० मन की पैदावार मानी जाय तो १० करोड़ मन गल्ला एक साल में देश का नुकसान हुआ। अपने प्रान्त में करीब पांच करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और अगर यह छूट होती है जमीन परती रखने की और कानून के मातहत होती है तो मैं इसको कैसे मानूं कि यह कानून अच्छा और एक क्रांतिकारी कानून है। माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि हम धीरे धीरे चलना चाहते ह। धीरे धीरे चलने की कोई अवधि होती है। सन् १९४६ से बराबर यह होता रहा कि जमींदारी उन्मूलन होगा, जमींदारी उन्मूलन होगा और चर्चा होती रही जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धाराओं में कि जमीन परती न रहे और जनाब १८६ धारा लीजिये। १८६ में भी सीरदार था और उस समय भी, राजस्व मंत्री ने और सरकार ने, जिनके दिलों में जमीन परती छोड़ने की भावना आज है, दो साल का समय दिया और तब से लेकर आज तक जब जमीन परती न छोड़ने का सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है, जब आचार्य बिनोवा भावे इस बात का प्रचार कर रहे हैं, "सबै भूमि गोपाल की" अधिक अन्न पैदा करो, जमीन काम में लगाओ, जनमत इसके लिये तैयार किया जा रहा है तब माननीय राजस्व मंत्री तीन बर्ष का समय दे रहे हैं और हमको सबक पढ़ा रहे हैं कि हम जल्दी चाहते हैं और वह धीरे-धीरे बढ़ना चाहते हैं। आप ही देखिये कि इस तर्क में कितना दम है। इसके पहले तक श्रीमान् अगर जमीन खाली रहती थी तो वह जमीन गांव समाज के पास जाती थी, मगर अब क्या होगा? इस कानून के हिसाब से ३ बर्ष तक तो वह परती पड़ी रहेगी इसके बाद उसे ६ महीने की मोहलत मिलेगी और यदि वह उपस्थित होकर कलेक्टर को संतुष्ट कर देता है तो कलेक्टर उस दशा में तत्काल नोटिस विसर्जित कर देगा, यह माननीय राजस्व मंत्री ने कानून में रखा है। तो इस सब का लुब्बेलुबाब माननीय राजस्व मंत्री के तर्क के विरुद्ध जाता है। एक तरफ तो अधिक अन्न पैदा करो, परती, बंजर, ऊसर को काम में लाओ, 'ग्रो मोर फूड कंपेन' चल रहा है, मकान की छतों और गमलों में खेती करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे माननीय राजस्व मंत्री कानून में जमीन परती छोड़ने की गुंजाइश रखते हैं। हम तो श्रीमन् साढ़े बारह एकड़ की जो कैद है वह भी नहीं चाहते हैं। हम तो साफ कर देना चाहते हैं कि कोई भी एक एकड़ जमीन रखने वाला अगर अन्न नहीं पैदा करता है तो जमीन उसके पास नहीं रहनी चाहिये। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जमीन बेकार न रहे तो अगर चाहते हैं तो व्यवहार में हमारे साथ क्यों नहीं आते। धारा १८६ में दो वर्ष था और अब ३ वर्ष का समय दे रहे हैं मगर इसके बाद और अन्याय क्या कर रहे हैं कि अगर कलेक्टर साहब साढ़े बारह एकड़ से ऊपर जमीन रखने वाले की जमीन लें तो उस जमीन को वह शिकमी दे सकते हैं। और शिकमी देने के बाद जो लगान होगा उसका कुछ फीसदी उस भूमिदार या सीरदार को मिलता रहेगा। सीधे तरीके से मौर्य जी क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इन्डाइरेक्ट तरीके से जमीन को शिकमी पर देने की बात खोल रहे हैं। अगर साढ़े बारह एकड़ से ऊपर जमीन है और परती है तो कलेक्टर साहब कोई जमीन मान लीजिये ले लें तथा दूसरे को दे दें और जो लगान होता है उसको साढ़े बारह या १५ फीसदी, जो भी आपका नियम हो, वह उसको मिलता रहेगा जिसकी जमीन शिकमी पर उठायी गयी, ताउम्र मिलता रहेगा, आखिर यह कानून जा कहां रहा है। जितनी जनहित की बातें कही जाती हैं तो अब यहां पर श्रीमन्, आपही बतायें कि हम किस नर्म शब्द का प्रयोग करें। हम तो परेशानी के साथ कहते हैं कि तबियत में गुस्सा आता है और एक तरफ आंखें लाल होती है और आंसू भी भर आते हैं। लाल होती हैं इससे कि कानून बनाने कि जो आदत है सरकार की और जो तमाम गड़बड़ी पैदा होती है, और आंखों में आंसू आते हैं उन गरीबों के लिये। अब इन बातों के साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा इस ट्रैजरी बेंच के माननीय सदस्यों से कि भाई केवल तर्क

के लिये तर्क न करो। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से यह विधेयक है इस विधेयक के मातहत देश के प्रति शत्रुता करने वाले लोग पैदा होंगे या नहीं, अन्न के उत्पादन में कमी होगी या नहीं, लोगों के दिलों में जमीन परती छोड़ने की आदत बढ़ेगी या नहीं, यही मोटमोटी बातें हैं और मंत्री महोदय असंगतपूर्ण तर्क से इस सदन का समय लेते हैं। हम निवेदन करते हैं कि हे राजस्व मंत्री जी यदि आप हमारे मकसद से सहमत हैं तो इस संशोधन को मान जाइये और नहीं तो मकसद हमारा और आपका भिन्न है।

* राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार नहीं था कि इस समय मैं इस संशोधन पर बोलूं। लेकिन नेता विरोधी दल के भाषण को सुनकर मुझे इस सदन में यह कहना है मुझे वह क्षमा करेंगे, कि वह खेती-बारी के काम नहीं जानते हैं। श्रीमन् मुझे यों कहना है कि सिद्धांत है कि खेत कभी कभी परती में रक्खे जाते हैं और विरोधी दल के नेता का यह कहना है कि एक दिन के लिये भी कोई जमीन खाली न रहे, यह विचार आपका संशोधन आने के बाद ही पैदा हुआ। उनका यह कहना कि अगर जमीन खाली होगी तो देशद्रोहिता होगी और यह चीज जब सोसलिस्ट पार्टी की तरफ से आ ही गयी तो उसको और खोल कर मैं क्या कहूं, प्रोपेगेंडा कहूं इसको या क्या कहें, लेकिन यह व्यर्थ है। श्रीमन्, अगर देखेंगे कि साढ़े बारह एकड़ से नीचे छोड़ दिये गये हैं तो वह ठीक है। वह जमीन खाली नहीं रहती है। जो कुछ जमीन खाली रहती है उसके कारण होते हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आप यह माने या न माने लेकिन इस प्रांत के लोगों ने चाहे वे बड़े किसान हों या छोटे किसान हों, उन्होंने हमारे देश में अन्न के उत्पादन को बढ़ाया है और बराबर बढ़ा रहे हैं, अन्न का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। चाहे जितनी जमीन पड़ी रहे, वह कहते रहें, लेकिन लाखों की तादाद में उन्होंने गल्ला पैदा किया है। लेकिन जिस तरह हर सरकार यह सोचती है कि देश की तरक्की में और लोगों को बाध्य किया जाय, मजबूर किया जाय, उसी तरह यह भी है। लाखों रुपये लोगों ने लगाये हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े और मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि कुछ सोशलिस्ट भाई ही देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं और लोग भी हैं और वे चाहते हैं उनसे भी कहीं अधिक चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। यह कोई बात नहीं है कि इसको इस तरह से कहें कि वह देशद्रोही होगा, मैं समझता हूं कि यह शब्द हटा दिया जाय। खेती कितनी परती रहती है, उसका तो मैं पूरा विरोध करूंगा जब वह धारा आयेगी। लेकिन इस संशोधन से तो यह मतलब होता है कि छोटे छोटे किसान, असामी तक को वह चाहते हैं कि जिसको जमीन मिली है, उसको अगर कभी मौका न मिले, अगर कभी वह परती रह जाय तो फौरन कब्जा कर लिया जाय और सरकार उसको उठा दे और बांट दे। यह बांटने वाली बात कुछ समझ में नहीं आती है। मैं बांटने का शब्द नहीं समझा। किसको बांट दें? मैं इसको समझ सकता हूं कि यहां की जो मनोभावना है, जो प्रवृत्ति है सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की, लोग हमेशा फारेन को रूसी लोगों की स्थिति को देखते हैं हमारे देश की स्थिति को नहीं देखते, आपके आधे नेता तो रूस से इसको लगाते हैं और आधे कोई इंग्लैन्ड में लेबर पार्टी है उससे लगाते हैं, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है मुझे। हमको तो मतलब है कि इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं कि यह आपका संशोधन निहायत रिएक्शनरी पड़ेगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जिस क्षेत्र में आप जायेंगे। और कोई आपका यह संशोधन आपके सामने रख देगा तो आपको उससे नुकसान पहुंचेगा।

श्री कालीचरन टंडन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन पर जो भाषण इस सदन में हुए हैं, बड़े गौर से मैंने उनको सुना और माननीय मंत्री जी की कुछ दलीलों को भी सुना। माननीय मंत्री जी ने मुझे पर यह आरोप लगाया कि मैं उनके अफसरों की निन्दा करता हूं और हमारी तरफ के लोग करते हैं। ऐसी उनको आशंका है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। कुछ आशंका है और वह इसलिये है कि इसी सदन में पिछली बैठक में आप लोगों ने ऐसा एक प्रस्ताव पास किया कि गन्ना के किसानों को गन्ना की कीमत अगर मिल वाले १५ दिन के अन्दर न दे सकें तो फिर कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह मिल वालों से गन्ने का पैसा मालगुजारी और लगान की वसूली की तरह से दिला दें सूद के साथ। यह पास हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत किसानों का पैसा आज तक बाकी है और नया सीजन अब चलेगा, वह पैसे नहीं मिले हैं और किसी कलेक्टर ने, मैं धृष्टता तो नहीं करूंगा, ऐसा न्याय नहीं किया। तो अध्यक्ष महोदय, कुछ शंका हो जाती है और फिर प्रैक्टिकल कुछ आदमी को देखने सुनने में जो चीजें आती हैं उनसे कुछ अनुभव तो वह प्राप्त करता ही है।

माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे जिले में ही कम से कम ४ हजार एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है और ऐसा नहीं है कि जमीन बंजर या जंगल के नाम पर परती पड़ी हो, बल्कि जो मटर, अरहर वगैरह के नाम पर पड़ी है जहां लोग खेती नहीं कर सकते हैं। हमारे जिले में एक रियासत है वहां पर २००/२५० एकड़ से ज्यादा जमीन परती पड़ी हुई है, इसी प्रकार से एक बरवा जागीर है वहां पर भी २०० एकड़ से ज्यादा जमीन परती पड़ी हुई है। हमारे जिले में एक धनी आदमी है उनके पास ३०० एकड़ जमीन परती पड़ी है। तमकुही एक रियासत मेरे जिले में है उनके पास भी काफी जमीन परती पड़ी हुई है। इस तरह से अकेले मेरे जिले में क़रीब ४ हजार एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। लोग भूख से मरते हैं और इस तरह से जमीन परती पड़ी हुई है।

इसीलिये मैं इस प्रस्ताव को लाया हूं कि हमारे यहां लोग भूख से तड़पते हैं और मरते हैं, जिसको देख कर हमें क्रोध आता है और हमें ज्यादा क्रोध होता है बनिस्बत उनके जो दूर बैठे हैं और देख नहीं पाते। कभी कभी मोटर में या हवाई जहाज में बैठ कर वहां की हालत देखने को चले जाते हैं। उनको इतना दुख नहीं होता। जब लोग भूख से हमारे यहां तड़प-तड़प कर मर रहे थे तो उस समय माननीय चरण सिंह जी हमारे जिले में गये थे और मुझे याद है मैं भी उस समय वहां पर मौजूद था। श्री गेंदा सिंह जी के साथ मंत्री जी गये थे और मैंने देखा और उन्होंने भी बतलाया कि वहां की हालत को देखकर मंत्री जी के आंखों में आंसू आ गये। जब एक दिन में वहां की हालत को देख कर उनकी आंखों में आंसू आ गए तो वह जो कि वहां पर हमेशा रह कर रोज देखता है उससे उसे क्रोध आता ही है और भावना आती ही है। इसी भावना के वशीभूत होकर मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर एक आदमी साढ़े बारह एकड़ जमीन परती रखता है तो उसे छूट दी जाय और हम चाहते हैं कि उससे जमीन छीन ली जाय और वह देशद्रोही ही साबित न हो बल्कि उनको फांसी पर लटका दिया जाय अगर माननीय मंत्री जी हमारे प्रस्ताव की असलियत को देखना चाहते हैं बन्द कराना चाहते हैं तो जो जमीन परती रखे हुए हों उनको फांसी पर लटका दिये जाने की घोषणा करें। राजा साहब ने इसलिये समर्थन किया है, क्योंकि उनके यहां जमीन परती रहती होगी, वह खेती नहीं कर सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि कहां जमीन परती पड़ी हुई है ?

श्री रामेश्वर लाल---अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि परती पड़ी होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तो पर्सनल अटैक हो गया था जो उचित न था।

श्री रामेश्वर लाल---अगर यह कानून बनाया जाय कि जो लोग देश के प्रोडक्शन को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और जमीन परती रखें तो वह फांसी पर लटका दिये जायं। अगर यह कानून बन जाय तो अध्यक्ष महोदय, फिर कोई आदमी जमीन परती नहीं रखेगा क्योंकि छोटे किसानों से बड़े लोगों को अपनी मौत का ज्यादा डर रहता है। इसलिये वह किसी भी हालत में परती नहीं रखेंगे। अगर हमारा संशोधन मान लिया जाय तो मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि जो उन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लगाया है कि मैं लोगों को फांसी दिलाना चाहता हूं तो मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि मैं माननीय नेहरू जी के शब्दों में चाहता हूं कि उनको फांसी होनी चाहिये जो देश को क्षति पहुंचायें और प्रोडक्शन में अड़ंगे लगायें। प्रेग में एक आदमी ने ब्लैक मार्केट किया था तो उसे खुले आम फांसी पर लटका दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि उसी दिन से वहां पर ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गया अगर हमारे देश में भी जैसा कि हमारे नेता कहते आये हैं कि जो देश के साथ द्रोह करेगा और देश को क्षति पहुंचायेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी। अगर ऐसा हो जाय तो फिर कोई जमीन परती नहीं रखेगा।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मुझे कुछ कहना नहीं है सिवाय एक बात के मैं ऐसी जगह रहने के बजाय जहां खूब अच्छे कपड़े पहनने को मिलें और मालपुआ खाने को मिले लेकिन फांसी बात बात पर मिल जाय तो ऐसी जगह रहना मैं पसन्द नहीं करूंगा। जहां रोटी मुश्किल से मिलती हो, कपड़े फटे हों, लेकिन आदमी की आजादी बनी रहे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा १८७-क की उपधारा (३) के भाग (ग) की पंक्ति ७ में वाक्यांश "(ग) की दशा में उक्त नोटिस.....कर देगा" निकाल दिया जाय तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(ग) की दशा में विश्वास हो जाने पर उसकी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांट देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, यह जो खंड २४ है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष---आप ९२ नम्बर वाले संशोधन को पेश नहीं करेंगे?

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं, मैं इस खंड को निकाल देने के सम्बन्ध में संशोधन रख रहा हूं। मैं इसलिये इसका विरोध कर रहा हूं कि अगर सरसरी निगाह से देखा जाय और माननीय मंत्री जैसा समझते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वह किसानों का बहुत बड़ा हित करने जा रहे हैं और जो बड़े-बड़े काश्तकार या ऐसे लोग हैं जो जमीन को परती रखते हैं, उनके लिये कुछ बन्धन लगा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में मंत्री जी का जो उद्देश्य है यह उसके विरुद्ध जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी खत्म होने के बाद जमीन जो परती थी वह वास्तव में किसानों को मिलनी चाहिये थी, या जो भूमिहीन थे उनको मिलनी चाहिये थी।

[श्री जोरावर वर्मा]

उसका दो ढंग से दुरुपयोग किया गया। एक तो जब जमींदारी खत्म होने वाली थी तो जमींदारों ने जमीन को अपने लड़के, लड़कियों, मित्रों रिश्तेदारों के नाम कर दिया, दूसरा तरीका यह रहा कि अधिक अन्न उपजाओ की जो स्कीम चली, उसके आधार पर बहुत से लोगों ने परती जमीन तोड़ डाली। अध्यक्ष महोदय, अब अगर अधिक अन्न उपजाओ वाली योजना के अनुसार अगर यह जमीन पड़ी रहेगी और माननीय मंत्री जी उनको अधिकार देने जा रहे हैं कि ३ साल तक वह जमीन परती रह सकती है। उन्होंने यह किया है कि साढ़े बारह एकड़ तक तो वह परती रह ही सकती है और अगर किसी जिले में आवश्यकता हो तो वहां का कलेक्टर उससे अधिक भूमि भी निर्धारित कर सकता है। तो पहले जो जमींदारों ने पट्टे किये, अगर मान लिया जाय कि साढ़े बारह एकड़ के ही पट्टे किये हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ३ साल तक तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, चाहे परती रहे, उस पर खेती करें या न करें। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय यह है कि वे कृषि करें चाहे न करें लेकिन उद्यानकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन करें तो भी उनकी जमीन नहीं छुई जा सकती है। तो अध्यक्ष महोदय, जैसे बड़े आदमियों को प्रायः शौक हुआ करता है कि एक तालाब खुदवा दें और मत्स्य संवर्धन की योजना कायम करने के लिये उसमें कुछ मछलियां छुड़वा दें तो हमारे मंत्री जी उनको पूरी छूट दे देंगे। या अध्यक्ष महोदय, देखा देखी बहुत से बड़े आदमियों को अंडे खाने का शौक होता है और वे सोचें कि बाजार से कौन लाने जाय तो कुछ मुर्गियां भी पाल लें तो हमारे मंत्री जी उनको भी पूरी छूट देते हैं। तो उनका कुक्कुट पालन हो गया। फिर उद्यानकरण है। तीन साल तो मंत्री जी पूछेंगे ही नहीं और तीन साल के बाद भी अगर जमीन नहीं जोतते हैं तो उस पर १०, २० वृक्ष लगवा दिये, भले ही वे बाद में सूख जायं, और माननीय मंत्री जी का कानून धरा रह जायगा। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी तीन साल के लिये सीरदार को भी यह अधिकार देने जा रहे हैं जब कि दफ़ा १८६ में सीरदार को सिर्फ दो साल तक परती रखने का अधिकार है। फिर धारा १८७ में यह लिखा हुआ है कि जो अवयस्क, पागल या जड़ हो वह अपनी जमीन को सिर्फ दो साल तक परती रख सकता है। उसके बाद भी अगर वह नहीं जोतता है तो तहसीलदार या गांव समाज उसको उठा सकता है। तो अक्षम के लिये तो दो साल है और जो समर्थ हैं उनको तीन साल का टाइम दे रहे हैं।

इसके अलावा जिस तरह से कि बुन्देलखंड में विशेषरूप से है कि जो किसान है उसके पास बैल, गाय और भैंसें होती हैं तो उनके चरने के लिये कुछ फ़ार्म ग्राम (चरोखर) की जरूरत होती है। तो माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से कृषि आय कर में एक पाबन्दी लगा दी है कि जिसकी आय ४,२०० रु० है और ३० एकड़ रकबा है उसके ऊपर हम टैक्स जरूर लगायेंगे उसी तरह से इसमें भी कुछ पाबन्दी होती तो अच्छा होता कि एक आदमी कितनी भूमि में कितनी परती रख सकता है और अधिक से अधिक १० या ५ एकड़ रख सकता है तो बात समझ में आ जाती। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्राविजन (बंधन) नहीं है। जहां तक मैं देखता हूं यह ऐसा ही है जैसे औरंगजेब की एक लड़की को ढाका के एक व्यापारी ने बहुत अच्छा कपड़ा प्रेजेन्ट (भेंट) किया। वह उसको पहन कर बहुत खुश-खुश अपने पिता के पास गयी और उससे कहा कि अब्बा, अब्बा, देखो मैं कितना अच्छा कपड़ा पहन कर आयी हूं। जब औरंगजेब ने देखा तो उसने उसको बहुत डांटा क्योंकि उसमें उसके अंग-प्रत्यंग दिखलायी पड़ते थे। उसने कहा कि तुमने ऐसा कपड़ा पहना है, यह बहुत ही खराब है, जाओ इसको बदल कर फ़ौरन् दूसरा पहनो। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा कपड़ा न पहनें जैसे वह लड़की पहन कर आयी थी जिसे उन्हें फिर उनको जल्दी ही इस विधेयक के स्थान पर दूसरा विधेयक लाना पड़े।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड का विरोध करता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि सोशलिस्ट पार्टी भी इस खंड को निकालना चाहती है और आज यह प्रथम दिन है जब कि माननीय जोरावर वर्मा जी भी चाहते हैं कि यह खंड निकाल दिया जाय। श्रीमन्, आज समयाभाव है, कहना तो बहुत था, लेकिन जितनी जल्दी में कह सकूंगा वही कहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान चाहूंगा कि जबकि उन्होंने लोगों को भूमिधर बनाया, उनसे दस गुना मांगा जा रहा था, तो क्या उनके लिये मुनासिब नहीं था, वह चाहते थे कि उनकी भी आराजी अबंडनमेंट की इस दफा के मातहत जा सके। एक तरफ तो सरकार दसगुना लेती रही, उनको शेषनाग बनाती रही, और दूसरी तरफ इतने ही दिन के बाद उनको जो अधिकार दिये गये थे उनका अपहरण हो रहा है। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह उसका मौलिक अधिकार है कि जिस तरह से वह चाहे उसका उपभोग कर सकता है। जहां तक समाजवादी दल का प्रश्न है जो दल अपने संशोधन में देशद्रोही शब्दों का प्रयोग करता है, भूमि व्यवस्था या किसी भी अधिनियम में, मैं कहता हूं कि इस भारतवर्ष में तो क्या, बल्कि संसार भर के किसी देश में भी इस तरह का संशोधन नहीं लाया गया होगा कि उनको देशद्रोही घोषित किया जायगा। क्या यह आई० पी० सी० है या क्या है कि देशद्रोही घोषित किया जायगा?

श्री अध्यक्ष--यह तो संशोधन नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं उनकी धारणा बता रहा हूं। किसी भी संशोधन में कहीं भी ऐसा नहीं मिल सकता है। उनकी यह दुर्भावना है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। क्या करूं समयाभाव है। उस दिन इस सदन में माननीय विरोधी दल के नेता ने नायिका विभेद का विवेचन किया। वह समझते थे कि कोई कवि सम्मेलन हो रहा है। आज उनके दिल में माननीय मंत्री महोदय के प्रति गुस्सा भी है और प्यार भी है। आंख में आंसू भी है लालिमा भी है। अगर वह नायिका विभेद इस समय रख देते तो बड़ा अच्छा होता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन लोगों की बात छोड़ता हूं, कि जब कि मंत्री महोदय भूमिधरों के लिये चाहते थे कि उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाय जब कि भूमिधरी का आंदोलन चल रहा था। तो किस तरह से इसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी से लेकर एक चपरासी तक इस प्रदेश के कोने कोने में क्या क्या कहते थे, सभी को भली भांति मालूम है। आज वह वर्ग इस सरकार के प्रति क्या विश्वास रख सकता है। मजबूरी तो यह है कि यह लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये अग्रसर तो होते हैं लेकिन यह नहीं समझ सकते कि रिपिटीशन भी खेती में आवश्यक स्थान रखता है। श्रीमन्, शारीरिक, परिवारिक, और सामयिक बहुत सी आपत्तियों और विपत्तियों का सामना करने में बहुत से लोग असमर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि साढ़े बारह से भी कम कर दिया जाय, एक एकड़ हो या दो एकड़ हो, तो उसका अभिप्राय यह होगा कि जितना जो कुछ भी किया गया है मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह जो आप कर रहे हैं इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में चल कर उन भूमिधरों के लिये या जो भी भूमिधर बनना चाहें, या अधिवासी जो हैं उनको भूमिधर बनाने के लिये कैसे समझायेंगे। कितना विश्वास आप का रह जायगा? कितना रुपया आप इकट्ठा कर सकेंगे? और उन मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकेंगे?

*श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अवधेश प्रताप जी और जोरावर वर्मा जी की बातों को सुनने के बाद मुझे अफसोस है कि मैं दोनों की मुखालिफत करना चाहता हूं और माननीय अवधेश प्रताप जी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ता और जोरावर वर्मा जी ने जो बयान दिया न मैं उस पर जाना चाहता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि यह भ्रम दूर हो जाय कि हम जो विरोध इसका करते हैं वह इस कारण से करते हैं कि यह नाकाफी है। हम यह बराबर कहते चले आ रहे हैं कि इसको भरपूर करना चाहिये और इतनी ताकत देनी चाहिये जिससे पूरे तौर से जमीन का उपयोग हो सके। इसलिये विरोध नहीं किया था कि इस तरह से जमीन को परती रहने का अधिकार मिल जाय। वह जितने दिन चाहें परती रक्खें, यह इसका मतलब नहीं है। माननीय जोरावर जी से यह कह देना चाहता हूं कि मछली पालना, मुर्गा पालना या बाग लगाना इस सबको अपने देश में बढ़ाना होगा। माननीय राजस्व मंत्री जी तो चाहते थे कि इसमें से कुछ कम कर दें, लेकिन बहुत हाथ पैर जोड़े कि ये सारी चीजें देश की तरक्की के लिये हैं। मुर्गा पालना भी जरूरी है। मछली भी फूड प्राबलम को साल्व करने के लिये जरूरी है। बंगाल में जा कर देखिये वहां पर जब तक मछली और भात नहीं खाते तब तक पेट नहीं भरता। वह कहते हैं कि इससे इनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। इन चीजों को खेती बाड़ी में जोड़ लिया जाय और बगीचा भी जोड़ लें। इसको कड़ा बनाने की बात कही जाती है। जमीन का ठीक ठीक उपयोग कराया जाय, कानून को कड़ा बना कर और जो भोंडापन है उसको ठीक किया जाय न कि उसका भोंडापन और बढ़ा दिया जाय। मैं माननीय जोरावर जी से कहूंगा कि उनको अपना विरोध वापस लेना चाहिये और सरकार के हाथ में यह भोंडा हथियार देना चाहते हैं यह देखने के लिये कि यह सरकार उससे कुछ कर पाती है या नहीं। हालांकि जैसी सरकार है वह हमें मालूम है।

(इसके बाद सदन ६ बजे सोमवार, २० सितम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१८ सितम्बर, १९५४।

पी० एस० यू० पी०ए० पी १६४ एल० ए०—१९५४—८५०।